रजिस्ट्री सं० डी—(डी)—73 REGISTERED NO. D (D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 1979 (अग्रहायण 17, 1901)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 1979 (AGRAHAYANA 17, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 नवम्बर 1979

सं० ए० 35014/1/79-प्रशा० II—अधिसूचना सं० ए० 11016/1/76-प्रशा० III दिनांक 16 अक्तूबर 1979 द्वारा डेस्क अधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति हो जाने के परिणाम-स्वरूप इस कार्यालय की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 1979 द्वारा अनुभाग अधिकारी (विशेष) के पद श्री ए० गोपालकृष्णन की नियुक्ति उसी तारीख से रद्द कर दी गई है।

सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में के० स० से० के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री बी० बी० मुर्मू को 16 अक्तूबर, 1979 के पूर्वाह्न से तीन मास की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, आयोग के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी (विशेष) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी (विशेष) के पद पर उनकी नियुक्ति होने पर श्री बी० बी० मुर्मू का वेतन समय-समय पर संशोधित वित्त मन्त्रालय, व्यय विभाग के का० ज्ञा० सं० एफ० 10 (24)-ई० III/60 दिनांक 4-5-1961 की शर्तों के अनुसार विनियमित होगा।

एस० बालचन्द्रन,
अवर सचिव
कृते सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 नवम्बर 1979

सं० ए० 19014/6/79-प्रशा० I—भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी श्री एस० के० एफ० कुजुर को राष्ट्रपति द्वारा 12 अक्तूबर, 1979 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 32013/3/79-प्रशा० I—संघ लोक सेवा आयोग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 18-8-1979 के अनुक्रम में संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी ग्रेड I अधिकारी श्री एम० आर० भागवत को राष्ट्रपति द्वारा 11-9-1979 से 23-11-1979 तक की अवधि के लिए अथवा

आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस० बालचन्द्रन,
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 1979

सं० 98 आर० सी० टी० 18—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा श्री एच० एस० राठौर, स्थायी सहायक को 15 नवम्बर, 1979 से 12 फरवरी 1980 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो आयोग में अनुभाग अधिकारी स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

कृष्ण लाल मल्होत्रा,
अवर सचिव
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मन्त्रालय

(का० एवं प्र० सू० विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 1979

सं० एम०-3/73-प्रशासन-5—निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री मनोहर सिंह, जो कि गृह मन्त्रालय संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी थे और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थापित थे, दिनांक 31-10-1979 के अपराह्न में सरकारी नौकरी से निवृत्त हो गए।

दिनांक 17 नवम्बर 1979

सं० ए-12026/1/78-प्रशासन-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, अपने प्रसाद से श्री डी० के० कोचर, अनुभाग अधिकारी, इस्पात, खान एवं कोयला मन्त्रालय (खान विभाग) को दिनांक 12 नवम्बर, 1979 के अपराह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० ए-35018/4/79-प्रशासन-1—पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी श्री डी० सी० भोले राव, पी० एस० आई० को दिनांक 18-10-79 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना प्रभाग, सामान्य अपराध स्कंध, बम्बई शाखा में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस निरीक्षक नियुक्त करते हैं।

की० ला० ग्रोवर,
प्रशासनिक अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 नवम्बर 1979

सं० ओ० दो० 22/76-स्थापना—भारत सरकार दुख के साथ यह अधिसूचित करती है कि दिनांक 12-10-79 को श्री जे० एस० सलधान्हा भारत पुलिस सेवा (आन्ध्र प्रदेश—1949) जोकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रतिनियुक्ति पर निदेशक के पद पर आई० एस० माऊंट आबू में थे, का देहान्त हो गया है।

दिनांक 15 नवम्बर 1979

सं० ओ० दो-1205/75-स्थापना—श्री एम० बी० गौतम ने उनके सरकारी सेवा से निवृत्त होने के फलस्वरूप उप-पुलिस अधीक्षक 3री वाहिनी, के० रि० पु० बल के पद का कार्यभार 31-8-79 (अपराह्न) को त्याग दिया।

दिनांक 16 नवम्बर 1979

सं० ओ० दो० 1073/77-स्थापना—राष्ट्रपति ने कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जी० डी० ओ० ग्रेड II) डा० विनोदा कुमार, बेस हास्पिटल-II हैदराबाद, को केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा नियमावली), 1965 के नियम 5 (1) के अनुसार एक माह के नोटिस की समाप्ति पर दिनांक 5-11-79 के अपराह्न से कार्य भार मुक्त कर दिया है।

सं० ओ० दो-1096/78-स्थापना—राष्ट्रपति ने कनिष्ट चिकित्सा अधिकारी (जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड-II) डा० रिछपाल, बेस हास्पिटल-I केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नई दिल्ली का त्यागपत्र दिनांक 26-9-79 (अपराह्न) से स्वीकृत कर लिया।

ए० के० बन्द्योपाध्याय,
सहायक निदेशक
(प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 नवम्बर 1979

सं० ई-16018/1/79-कार्मिक—रक्षा अग्नि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली से के० औ० सु० ब० में निरीक्षक (अग्निशमन) के रूप में प्रतिनियुक्ति के दौरान श्री एम० बी० वेंगुर्लेकर को के० औ० सु० ब० में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक कमांडेंट (अग्निशमन) नियुक्त किया जाता है और उन्होंने 29 अक्तूबर, 1979 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० मुख्यालय नई दिल्ली के सहायक कमांडेंट (अग्निशमन) के पद का कार्यभार संभाल लिया।

अगर भल्ला,
सहायक महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 नवम्बर 1979

सं० 11/40/79-प्रशा० 1-23634—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र सिविल सेवा के अधिकारी श्री बी० एम० देवले को महाराष्ट्र,

बम्बई में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में तारीख 31 अक्तूबर, 1979 के अपराह्न से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा उप निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. उनका मुख्यालय बम्बई में ही रहेगा।

दिनांक 15 नवम्बर 1979

सं० 11/29/78-प्रशा०-1-23929—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति, श्री हरभजन सिंह को तारीख 3 नवम्बर, 1979 के अपराह्न से अगले आदेशों तक सीधी भर्ती द्वारा, अस्थाई क्षमता में नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री हरभजन सिंह का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

दिनांक 19 नवम्बर 1979

सं० 11/51/79-प्रशा-1-24350—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र, बम्बई में जनगणना कार्य निदेशालय में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत श्री पी० के० प्रधान को जनगणना कार्य निदेशालय मणिपुर, इम्फाल में तारीख 28 अगस्त, 1979 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, इनमें से जो भी अवधि कम हो, पूर्णतः अस्थाई और तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य के पद पर पदोन्नति पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री प्रधान का मुख्यालय इम्फाल में होगा।

3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री प्रधान को उस ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए कोई हक प्रदान नहीं करेगी और तदर्थ तौर पर उनकी सेवायें उस ग्रेड में वरिष्ठता और आगे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

पी० पद्मनाभ,
भारत के महापंजीकार

भारतीय लेखा परीक्षा, लेखा विभाग
कार्यालय, निदेशक लेखापरीक्षा,
केन्द्रीय राजस्व
नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 1979

सं० प्रशासन-1/का० आ० 418/5-12/79-80/1623—भारत सरकार, गृह मन्त्रालय ज्ञापन सं० 25013/7/77-ईस्टे० (ए) दिनांक 26-8-77 के अनुसार 20 वर्ष से अधिक की अर्हक सेवा 1 नवम्बर, 1979 से इस कार्यालय के स्थायी लेखा-परीक्षा अधिकारी श्री एच० एस० रेखी भारत सरकार की सेवा से स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

श्री एच० एस० रेखी सरकारी सेवा में 7-6-1947 को प्रविष्ट हुए और उनकी जन्म तिथि 24-7-1925 है।

कौ० टि० छाया
संयुक्त निदेशक लेखा परीक्षा (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश
हैदराबाद, दिनांक 13 नवम्बर 1979

सं० I/8-132/79-80/160—श्री वि० एन० चारि लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय आंध्र प्रदेश-I सेवा से निवृत्त हुए दिनांक 31-10-79 (अपराह्न)।

सं० 1/8-132/79-80/160—श्री वहीदुद्दीन सिद्दिकि लेखा अधिकारी महालेखाकार कार्यालय आंध्र प्रदेश-II, सेवा से निवृत्त हुए दिनांक 31-10-79 (अपराह्न)।

रा० हरिहरन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार-प्रथम, मध्य प्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 15 अक्तूबर 1979

सं० स्थापना-1/310—महालेखाकार प्रथम, मध्य प्रदेश, ने निम्न लिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को, स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया है :—

सर्वश्री

1. ओ० पी० पुत्र मनोहरलाल शर्मा (02/254) 26-9-79 पूर्वाह्न।
2. के० सी० कपूर (02/256) 24-9-79 अपराह्न।

ध्रु० च० साहू,
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

श्रम मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 6 नवम्बर 1779

सं० 23/3/79-सी० पी० आई०—अक्तूबर, 1979 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100) सितम्बर, 1979 के स्तर से दो अंक बढ़ कर 365 (तीन सौ पैंसठ) रहा है। अक्तूबर 1979 माह का सूचकांक आधार वर्ष 1949=100 पर परिवर्तित किए जाने पर 444 (चार सौ चवालीस) आता है।

रविन्द्र नाथ मुखर्जी
सहायक निदेशक
श्रम ब्यूरो

वित्त मन्त्रालय
राजस्व विभाग
निवारक संकार्य निदेशालय
नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर, 1979
(निवारक संकार्य निदेशालय)

क्रम सं०/फा० सं० 201/12/79-संचार—इस निदेशालय के दिनांक 12 अक्तूबर, 1979 के आदेश फा० सं० 203/1/डी० ए० एस०/79 के अनुसार इलाहाबाद में

स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय में अधीक्षक के पद पर काम कर रहे श्री ए० जी० सक्सेना ने इस निदेशालय में निरीक्षण अधिकारी ग्रुप "ख" के रूप में प्रतिनियुक्ति होने पर 29 अक्तूबर, 1979 पूर्वाह्न से रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में तथा 25 प्रतिशत विशेष वेतन और सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य सामान्य भत्तों सहित तथा अगला आदेश होने तक उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया है।

भारत बी० जुल्का
निदेशक, निवारक संकार्य

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-22, दिनांक 16 नवम्बर 1979

सं० 28012 (13)/79/प्रशासन-1 (क० स० म०)—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित स्थायी लेखा अधिकारियों को भारतीय लेखा सेवा के नियमित संवर्ग के कनिष्ठ समय मान (रुपए 700-1300) में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तारीख से आगामी आदेश पर्यन्त, सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	नाम	उन्नति की तारीख
1.	श्री पी० पेरियास्वामी	20-8-79 (पूर्वाह्न)
2.	श्री ए० बी० मलिक	20-8-79 (पूर्वाह्न)
3.	श्री एम० कृष्णामूर्ति	15-10-79 (पूर्वाह्न)
4.	श्री पी० डी० मक्कड़	21-9-79 (पूर्वाह्न)

आर० एल० बख्शी
रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 1979

सं० 40011 (2)/79/प्रशा०-II—(1) निम्नलिखित लेखा अधिकारी, अपनी सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक के समक्ष लिखी तारीख के अपराह्न से, पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिये गये थे :—

क्रम सं०	नाम रोस्टर संख्या सहित	ग्रेड	पेंशन स्थापना को अन्तरित होने की तारीख	संगठन
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	राम नारायण गर्ग (पी/349)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-4-79	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ।
2.	के० सीवादासा मेनन (पी/317)	—उक्त—	31-5-79	—उक्त—
3.	जयन्ती प्रसाद (पी/112)	—उक्त—	30-6-79	—उक्त—
4.	प्राण नाथ शर्मा (ओ/258)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-6-79	—उक्त—
5.	धर्म पाल (ओ/1)	—उक्त—	31-8-79	—उक्त—
6.	टेक राम (पी/255)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-8-79	—उक्त—
7.	चन्दगी राम जिन्दल (पी/323)	—उक्त—	31-8-79	—उक्त—
8.	रोशन लाल बग्गा (पी/272)	—उक्त—	30-9-79	—उक्त—
9.	एम० सेतुरमन (पी/263)	—उक्त—	30-9-79	—उक्त—
10.	राम लाल गोयल (पी/469)	—उक्त—	30-9-79	—उक्त—
11.	आर० एस० कौशल (ओ/341)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-4-79	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ।
12.	जितेन्द्र नाथ धीर (पी/118)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-6-79	—उक्त—
13.	एम० डी० मिश्रा (पी/16)	—उक्त—	31-7-79	—उक्त—
14.	गिरधारी लाल मित्तल (पी/505)	—उक्त—	31-8-79	—उक्त—

1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
15.	कृष्ण लाल (पी/233)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-9-79	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान मेरठ।
16.	एस० पी० शर्मा (पी/388)	—उक्त—	31-7-79	—उक्त—
17.	एम० सुब्राह्मणियम (पी/53)	—उक्त—	30-6-79	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पुणे।
18.	आर० जानकीरमन (ओ/346)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-6-79	—उक्त—
19.	जी० सी० बनर्जी (ओ/41)	—उक्त—	30-6-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक), (उत्तर मेरठ)।
20.	जी० वेंकटारामन (पी/462)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-6-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायुसेना), देहरादून।
21.	के० एस० नरसिम्हा अय्यर (पी/267)	—उक्त—	30-6-79	—उक्त—
22.	पी० डी० पन्से (पी/354)	—उक्त—	30-6-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर) पुणे।
23.	के० नागराजन (पी०/285)	—उक्त—	30-6-79	—उक्त—
24.	वी० ई० जाचारियह (ओ/163)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-6-79	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्री) कलकत्ता
25.	लीलाधर तनेजा (पी/259)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-6-79	—उक्त—
26.	एन० कृष्णन (पी/58)	—उक्त—	30-6-79	—उक्त—
27.	वी० गोपालन (पी/62)	—उक्त—	30-6-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक), दक्षिण मद्रास।
28.	के० रंगनाथन (पी/156)	—उक्त—	30-6-79	—उक्त—
29.	एन० कृष्णामूर्ति (ओ/159)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-6-79	—उक्त—
30.	कृष्ण दास (अभी आबंटित नहीं) (ए/646)	—उक्त—	30-6-79	—उक्त—
31.	पी० रामाराव (पी/254)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-6-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), बम्बई।
32.	के० पी० भास्करन नायर (पी/310)	—उक्त—	30-6-79	—उक्त—
33.	ए० एन० ग्रोवर (ओ/355)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-6-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (प्रशिक्षण), मेरठ।
34.	डी० पी० चड्ढा (पी/274)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-6-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद।
35.	वाई० डब्ल्यू० सूदन (पी/330)	—उक्त—	30-6-79	—उक्त—
36.	वी० वी० रामरत्नम (पी/599)	—उक्त—	31-7-79	रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिणी कमान, पुणे।
37.	अमृत लाल अरोरा (ओ/17)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-7-79	रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ।
38.	एच० आर० सुब्राह्मणियम (पी/194)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-7-79	रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिणी कमान, पुणे।
39.	वी० वी० गोपालाराघवन (पी/6)	—उक्त—	31-7-79	—उक्त—
40.	सूरज प्रकाश (पी/207)	—उक्त—	31-7-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायुसेना) देहरादून।
41.	वी० कृष्णामूर्ति (पी/128)	—उक्त—	31-7-79	—उक्त—
42.	भोलादत्त नौटियाल (पी/573)	—उक्त—	31-7-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद।
43.	गुरु बख्श सिंह (पी/456)	—उक्त—	31-7-79	—उक्त—

1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
44.	एस० पी० बाजपेयी (पी/198)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-7-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद ।
45.	के० के० नन्दी (पी/85)	—उक्त—	31-7-79	—उक्त—
46.	आनन्द स्वरूप पाराशर (ओ/422)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-7-79	रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ ।
47.	जोगा सिंह (पी/446)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-7-79	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ ।
48.	के० बालाचन्द्रन नायर (पी/122)	—उक्त—	31-7-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना), बम्बई ।
49.	एम० एल० मुखर्जी (पी/371)	—उक्त—	31-7-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक), उत्तर, मेरठ ।
50.	के० के० बसु	—उक्त—	31-8-79	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना ।
51.	कृष्ण लाल साहनी (पी/396)	—उक्त—	31-8-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायुसेना), देहरादून ।
52.	धर्म पाल गाजरी (पी/158)	—उक्त—	31-8-79	—उक्त—
53.	बृज लाल गौड़ (पी/170)	—उक्त—	31-8-79	—उक्त—
54.	विधुराम खरवाल (पी/527)	—उक्त—	31-8-79	—उक्त—
55.	मोहन सिंह (पी/86)	—उक्त—	31-8-79	—उक्त—
56.	एम० रामदास (पी/276)	—उक्त—	31-8-79	रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिणी कमान, पुणे ।
57.	वाई० एस० चिन्नें (पी/205)	—उक्त—	31-8-79	—उक्त—
58.	एम० धर्मराजन (पी/42)	—उक्त—	31-8-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर), पुणे ।
59.	एस० वी० कृष्णामर्ति शर्मा (ओ/82)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-8-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रक) दक्षिण, मद्रास ।
60.	मंगल सेन भसीन (पी/440)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-8-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ ।
61.	हरि भक्त शर्मा (पी/467)	—उक्त—	31-8-79	—उक्त—
62.	ए० सी० सेन गुप्ता (पी/135)	—उक्त—	31-8-79	—उक्त—
63.	कुसुम कुमार जेतली (पी/291)	—उक्त—	31-8-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद ।
64.	तीरथ राम नारंग (पी/398)	—उक्त—	31-8-79	—उक्त—
65.	विश्वामित्र हान्डा (पी/152)	—उक्त—	31-8-79	—उक्त—
66.	अमरीक सिंह चथरथ (पी/555)	—उक्त—	30-9-79	—उक्त—
67.	कस्तूरी लाल वर्मा (पी/72)	—उक्त—	30-9-79	—उक्त—
68.	एस० वी० श्रीनिवासन (पी/10)	—उक्त—	30-9-79	रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिणी कमान, पुणे ।
69.	टी० बी० नायर (पी/149)	—उक्त—	30-9-79	—उक्त—
70.	टी० श्रीनिवासन (पी/215)	—उक्त—	31-9-79	—उक्त—
71.	एस० रंगाचारी (ओ/81)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-9-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर), पुणे ।
72.	के० राय (ओ/366)	—उक्त—	30-9-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायुसेना), देहरादून ।

1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
73.	एस० के० सरकार (ओ/119)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-9-79	लेखा नियंत्रक (फैक्टरी) कलकत्ता।
74.	नीरेन्द्र नाथ राय (ओ/32)	—उक्त—	30-9-79	—उक्त—
75.	बी० के० चक्रवर्ती (ओ/137)	—उक्त—	30-9-79	—उक्त—
76.	डी० पी० बनर्जी (पी/168)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-9-79	—उक्त—
77.	बलराज (ओ/335)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-9-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक), उत्तर, मेरठ।
78.	इन्दर सिंह ओबराय (पी/387)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-9-79	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक), दक्षिण, मद्रास।

रक्षा लेखा महानियंत्रक निम्नलिखित लेखा अधिकारियों की मृत्यु की सखेद अधिसूचना करते हैं :—

क्रम सं०	नाम रोस्टर संख्या	ग्रेड	मृत्यु तिथि	विभाग की उपस्थिति से रजिस्टर से विलग किये जाने की तारीख	संगठन
	सर्वश्री				
1.	जी० एन० वैद्य (ओ/215)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	23-2-79	24-2-79 (पूर्वाह्न)	लेखा नियंत्रक (फलट्री), कलकत्ता।
2.	आई० बी० शर्मा (अभी आवंटित नहीं)	—उक्त—	17-4-79	18-4-79 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर) पुणे
3.	आर० एस० सिंह (ओ/263)	—उक्त—	19-5-79	20-5-79 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद।
4.	धर्मपाल शर्मा (पी/166)	स्थायी लेखा अधिकारी	2-6-79	3-6-79 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ।
5.	गंगाराम (ओ/221)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	8-6-79	9-6-79 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास।
6.	टी० आर० राम सुब्रामनियन (ओ/361)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-8-79	31-8-79 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक (दक्षिणी) पुणे।

एस० एन० चट्टोपाध्याय,
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशासन)

रक्षा मन्त्रालय

भारतीय आर्डनेन्स फैक्ट्रियां सेवा

आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड

डी० जी० ओ० एफ० मुख्यालय सिविल सेवा

कलकत्ता-700069, दिनांक 30 अक्तूबर 1979

सं० 18/79/ई/ई-1 (एन-जी)—श्रीमान महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां, वर्तमान रिक्ति में, श्री बी० मंडल, आशुलिपिक ग्रेड-बी/वरिष्ट व्यक्तिक सहायक, को आशुलिपिक ग्रेड-ए/व्यक्तिक सचिव/ग्रुप-बी (राजपत्रित) के पद पर तारीख 24-9-79 से अग्रिम आदेश न होने तक स्थानापन्न आधार पर प्रोन्नत करते हैं।

दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० 19/79/ए/ई-1 (एन० जी०)—वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर श्री सौमेन्द्र भूषण राय, मौलिक एवं स्थायी सहायक, अस्थायी ए० एस० ओ० और श्री विश्वनाथ दे, मौलिक एवं स्थायी स्टेनोग्राफर ग्रेड-II अस्थायी ए० एस० ओ०, 31-10-79 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

डी० पी० चक्रवर्ती
ए० डी० जी० ओ० एफ/एडमिन
कृते महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरियां

कलकत्ता-700016, दिनांक 9 नवम्बर 1979

सं० 54/79/जी०—वार्धक्य निवृत्ति आयु (58 वर्ष) प्राप्त कर, श्री के० पी० राय स्थानापन्न उप प्रबन्धक मौलिक एवं स्थायी सहायक प्रबन्धक दिनांक 31-7-79 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए ।

वी० के० मेहता
सहायक महानिदेशक

श्रम मन्त्रालय

कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था

धनबाद, दिनांक 1979

सं० प्रशासन-12 (3) 79—श्री डी० के० रूज, लेखा अधीक्षक को कोयला खान कल्याण आयुक्त के सहायक सचिव/अधीक्षक केन्द्रीय चिकित्सालय के सचिव के रूप में तारीख 26-9-79 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है ।

टी० सी० के० लोथा
कोयला खान कल्याण आयुक्त

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय

(वाणिज्य विभाग)

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 1979

आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण

(स्थापना)

सं० 6/1290/79/प्रशासन (राज०)/7986—मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात एतद्द्वारा केन्द्रीय स्थल जल परिषद (डब्ल्यू आर०), जयपुर में श्री एस० एस० राणा, मानचित्रकार को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय बम्बई में 15 अक्तूबर, 1979 के पूर्वाह्न से, अगला आदेश होने तक स्थानापन्न रूप से नियंत्रक, आयात-निर्यात के रूप में नियुक्त करते हैं ।

2. श्री राणा, नियंत्रक, के रूप में 650-30-740-35, 810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे ।

सं० 6/1287/79-प्रशासन (राज०)/7991—मुख्यनियंत्रक आयात-निर्यात एतद्द्वारा डाक एवं तार कोएक्सियल स्टेशन, दावनगोरे में श्री एस० राजन, कनिष्ठ अभियन्ता को संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय, बम्बई में 23 अक्तूबर, 1979 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप से नियंत्रक, आयात-निर्यात के रूप में नियुक्त करते हैं ।

2. श्री राजन, नियंत्रक के रूप में 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे ।

सी० एस० आर्य
उप-मुख्य नियंत्रक

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 1979

सं० 6/1130/76-प्रशासन/राज०/8005—सेवा निवृत्ति की आयु होने पर, श्री एच० डी० शाह ने संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, बम्बई में 31 जुलाई, 1979 के दोपहर बाद से नियंत्रक, आयात-निर्यात के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

सी० एस० आर्य
उप-मुख्य नियंत्रक,
कृते मुख्य नियंत्रक

इस्पात और खान मन्त्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 12 अक्तूबर 1979

सं० 7271 बी, ए-19012 (3-एम० एस०)/79-19बी०—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायनज्ञ) श्री एम० सत्यनारायण को सहायक रसायनज्ञ के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, अस्थाई क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 17-9-79 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है ।

वी० एस० कृष्णस्वामी
महा निदेशक

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 19 नवम्बर 1979

सं० ए-19012(103)/78-स्थापना ए०—श्री आर० के० घोघें, स्थायी वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन शास्त्र) को दिनांक 29 अक्तूबर, 1979 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप में सहायक रसायनविद के पद पर पदोन्नति की जाती है ।

एस० बालगोपाल
कार्यालय अध्यक्ष

आकाशवाणी महानिदेशालय

(सिविल निर्माण स्कन्ध)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 नवम्बर 1979

सं० ए-35018/2/78-सी० डब्ल्यू-I—आकाशवाणी महानिदेशक, के० लो० नि० वि० के सहायक इंजीनियर, श्री वाई० श्री० धवले को रुपये 650-30-740-810-द० रो०-35-880 40-1000-द० रो०-40-1200/- के वेतनमान में सिविल निर्माण स्कन्ध, आकाशवाणी, बम्बई में सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद पर 31-8-79 (अपराह्न) से प्रथमतः प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते हैं ।

2. श्री धवले के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण वित्त मन्त्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित, कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/24/ ई-III/60 दिनांक 4-5-1961 के अनुसार किया जायेगा।

एस० रामास्वामी
अपर मुख्य इंजीनियर (सिविल) के
इंजीनियरी अधिकारी
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 1979

सं० ए०-12025/1/79-स्थापना—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक श्री विशवानाथ अधिकारी को सिनियर आर्टिस्ट के पद पर अस्थायी रूप से 9 नवम्बर 1979 से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

जनकराज लिखी
उपनिदेशक (प्रशासन)
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 1979

सं० 17-2/74-प्रशासन-I—श्री जे० सी० गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली से 26 सितम्बर, 1979 अपराह्न को उप निदेशक लेखा (भण्डार) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

सं० ए० 12025/24/78-(एच० क्यू०) प्रशासन-I—राष्ट्रपति ने डा० एस० आर० गुप्ता को 27 अक्तूबर, 1979 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नई दिल्ली में जीव रसायनज्ञ (बायोकैमिस्ट) के पद पर अस्थायी तौर पर नियुक्त किया है।

शाम लाल कुठियाला,
उपनिदेशक प्रशासन

केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान शाला

पुणे-24, दिनांक 17 अगस्त 1979

सं० 629/22/79-प्रशासन—विभागीय पदोन्नति समिति (ग्रुप "ख") (राजपत्रित) से की गई सिफारिश पर निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान शाला, पुणे, एतद्द्वारा निम्नानुसार अनुसन्धान सहायकों (इंजीनियरी) को सहायक अनुसन्धान अधिकारी (इंजीनियरी) के पद पर केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान शाला, पुणे में वेतनमान रुपये 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 स्थायी रूप से स्थानापन्न पदों पर उनके नामों के सामने दिखायी गई तारीख से नियुक्ति करते हैं।

	पद भार सम्भालने की तारीख
1. श्री आर० एम० सिन्नरकर . .	3-8-79 (पूर्वाह्न)
2. श्री व्ही० एम० वान्सकर . .	4-8-79 (पूर्वाह्न)
3. श्री आर० डी० कुलकर्णी . .	3-8-79 (पूर्वाह्न)
4. श्री एस० एन० गवकी . .	6-8-79 (पूर्वाह्न)
5. श्री एस० आर० व्हटकर . .	3-8-79 (पूर्वाह्न)
6. श्री ए० एफ० शेवरे . .	4-8-79 (पूर्वाह्न)

उपर्युक्त अधिकारियों को सहायक अनुसन्धान अधिकारी (इंजीनियरी), के पद के लिए केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान-शाला (पुणे) में दो साल की उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से परिवीक्षावधी होगी।

दिनांक 14 नवम्बर 1979

सं० 608/61/79-प्रशासन—विभागीय पदोन्नति समिति (ग्रुप 'ख') से की गई सिफारिश पर निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान शाला, पुणे एतद्द्वारा श्री व्ही० एम० बापये को सहायक अनुसन्धान अधिकारी (इंजीनियरी) के पद पर केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान शाला, पुणे ; वेतनमान रु० 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 पर अगस्त 9, 1979 को पूर्वाह्न से नियुक्ति करते हैं।

श्री वी० एस० बापये के लिए 9 अगस्त, 1979 से दो साल परिवीक्षावधी होगी।

सं० 608/62/79-प्रशासन—विभागीय पदोन्नति समिति (ग्रुप 'ख') से की गई सिफारिश पर निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान शाला, पुणे एतदद्वारा श्री बी० एस० मोटवानी को सहायक अनुसन्धान अधिकारी (इंजीनियरी) के पद पर केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान शाला, पुणे में वेतनमान रु० 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-40-1000-द० रो० 40-1200 पर 31 अगस्त, 1979 को पूर्वाह्न से नियुक्ति करते हैं।

श्री बी० एस० मोटवानी के लिए 31-8-79 से दो साल परिवीक्षावधी होगी।

डा० एस० पी० चड्ढा,
मुख्य अनुसन्धान अधिकरी (श्रेणी-II)
कार्यभारी : प्रशासन
कृते : निदेशक

ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 16 नवम्बर 1979

सं० ए० 19023/48/78-प्र० III—इस निदेशालय में कानपुर में उप वरिष्ठ विपणन अधिकारी (वर्ग II) के पद पर पदोन्नति होने के उपरान्त श्री जी० एस० कशिवा ने तारीख 23-7-1979 के अपराह्न में नागपुर में विपणन अधिकारी (वर्ग II) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

बी० एल० मनिहार
निदेशक प्रशासन
कृते कृषि विपणन सलाहकार

फरीदाबाद, दिनांक 19 नवम्बर 1979

सं० ए० 31014/3/78-प्र० 1 (खण्ड-III)—कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार श्री संतरी प्रसाद को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में दिनांक 19-8-78 से विपणन अधिकारी (वर्ग III) के स्थाई पद पर मूलतः नियुक्त करते हैं।

बी० एल० मनिहार
निदेशक प्रशासन

परमाणु ऊर्जा विभाग

विद्युत प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग

बम्बई-5, दिनांक 8 नवम्बर, 1979

सं० पीपीईडी/3 (236)/79-प्रशासन/1217/15999—विद्युत प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग, बम्बई के निदेशक इस प्रभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित दिनांक से अगले आदेश तक के लिए उसी प्रभाग में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता-ग्रेड 'एसबी' नियुक्त करते हैं:—

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान ग्रेड	नियुक्ति दिनांक
1.	श्री सी० एस० वैद्य	नक्शानवीस 'सी' (स्थायित्वत)	2-8-79
2.	श्री बी०डी० गंडा	वैज्ञानिक सहायक, 'सी' (स्थायित्वत)	1-8-79
3.	श्री एम० आर० पटनायक	वैज्ञानि सहायक 'सी' (स्थायित्वत)	1-8-79
4.	श्री आर० वी० शेट्टी	वैज्ञानिक सहायक 'सी' (स्थायित्वत)	18-79

दिनांक 20 नवम्बर 1979

सं० पीपीईडी/3 (262)/78-प्रशासन/15966—इस प्रभाग के एक स्थायी प्रवरण कोटि लिपिक श्री एन० टी० वारवानी जिन्हें दिनांक सितम्बर, 26, 1979 की अधिसुचना संख्या पीपीईडी/3 (262)/78-प्रशासन/14268 के द्वारा स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, ने अक्तूबर, 4, 1979 के अपराह्न को सहायक कार्मिक अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया।

क्रय एवं भंडार निदेशालय

मद्रास क्षेत्रीय यूनिट

मद्रास, दिनांक 29 अक्तूबर 1979

सं० एम० आर० पी० यू०/200(9)/79/प्रशासन—इस कार्यालय की तारीख 19-8-79 की अधिसूचना सं० एमआरपी यू/200(9)/78/प्रशासन के क्रम में श्री एन० राजगोपालन की स्थानापन्न रूप से की गई नियुक्ति की अवधि 1-9-78 से 29-7-79 के अपराह्न तक बढ़ा दी गई थी। श्री एन० राजागोपालन ने सहायक क्रय अधिकारी के पद का कार्यभार 29-7-1979 के अपराह्न में छोड़ दिया।

एस० रंगाचारी,
क्रय अधिकारी

रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र

कलपाक्कम-603102, दिनांक 22 अक्तूबर 1979

सं० ए० 32013/8/79-आर:—रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र के परियोजना निदेशक, इस केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को अगले आदेश तक के लिए 650—30—740—35—810—द० रो०—35—880—40—1000—द० रो०—40—1200 रुपये के वेतन-मान में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस बी नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	नाम	वर्तमान ग्रेड	प्रोन्नति पद पर नियुक्ति की जाने की तारीख
1.	श्री एस० धनपाल	स्थायीवत नक्शा-नवीस 'सी'	1-8-79
2.	श्री वी० वेणुगोपाल	अस्थायी वैज्ञानिक सहायक 'सी'	1-8-79
3.	श्री एस० शंकरन	अस्थायी फोरमैन	1-8-79
4.	श्री एस० नाथमुनि	अस्थायी फोरमैन	1-8-79
5.	श्री ए० सुभाष चन्द्र बोस	अस्थायी फोरमैन	1-8-79
6.	श्री वी० पवनाशम	अस्थायी फोरमैन	1-8-79
7.	श्री ए० के० चन्द्रन	अस्थायी फोरमैन	2-8-79

टी० एस० वी० अय्यर,
प्रशासन-अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 1979

सं० ए० 32014/3/79–ई० सी०:—महानिदेशक, नागर विमानन निम्नलिखित पांच तकनीकी सहायकों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई, तारीख से तदर्थ आधार पर सहायक तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं और उनके नाम के सामने दिए गए स्टेशनों पर तैनात करते हैं ।

क्रम सं०	नाम	मौजूदा तैनाती स्टेशन	जिस स्टेशन पर तैनात किया गया	कार्यभार संभालने की तारीख
	सर्वश्री			
1.	के० सी० शर्मा	वै० सं० स्टेशन, पालम	रेडियो भंडार डिपो, नई दिल्ली	6-9-79 (पूर्वाह्न)
2.	जे० आर० शर्मा	वै० सं० स्टेशन, अहमदाबाद	वै० संचार स्टेशन, पोरबन्दर	27-9-79 (पूर्वाह्न)
3.	के० टी० जोहन	वै० सं० स्टेशन हैदराबाद	वै० संचार स्टेशन हैदराबाद	4-10-79 (पूर्वाह्न)
4.	जसवन्त सिंह	वै० सं० स्टेशन बम्बई	वै० संचार स्टेशन, बम्बई	4-10-79 (पूर्वाह्न)
5.	के० एस० मुखर्जी	वै० सं० स्टेशन पोर्टब्लेयर	वै० संचार स्टेशन, कलकत्ता	6-10-79 (पूर्वाह्न)

हरबंस लाल कोहली,
निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 1979

सं० ए०–32013/5/78–ई सी:—इस विभाग की दिनांक 30-11-78 की अधिसूचना सं० ए० 32013/5/78–ई सी के क्रम में राष्ट्रपति ने श्री आर० पी० शर्मा की नागर विमानन विभाग में उपनिदेशक संचार के रूप में तदर्थ नियुक्ति को 30-8-1979 के बाद 12-10-1979 तक जारी रखने की संस्वीकृति दे दी है ।

सं० ए० 32014/3/79–ई० सी०:—महानिदेशक नागर विमानन, निम्नलिखित दो तकनीकी सहायकों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से तदर्थ आधार पर सहायक तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं और उन्हें प्रत्येक के नाम के सामने दिए गए स्टेशन पर तैनात करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	मौजूदा तैनाती स्टेशन	किस स्टेशन पर तैनात किया गया ।	कार्यभार संभालने की तारीख
1.	श्री के० रामनाथन	वै० संचार स्टेशन, पालम ।	वै० संचार स्टेशन, पालम	25-10-79 (पूर्वाह्न)
2.	श्री डी० आर० कृष्णास्वामी	वै० संचार स्टेशन, तारकेश्वर ।	वै० संचार स्टेशन, कलकत्ता.।	12-10-79 (पूर्वाह्न)

दिनांक 15 नवम्बर 1979

सं० ए० 32012/3/78–ई एस—महानिदेशक, नागर विमानन ने श्री एम० सी० महे, को दिनांक 3 नवम्बर, 1979, पूर्वाह्न से नियमित आधार पर प्रशासनिक अधिकारी (ग्रुप "ख" पद) के रूप में नियुक्त किया है और अन्य आदेश होने तक उन्हें प्रिंसिपल, नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद के कार्यालय में तैनात किया है ।

आर० एन० दास,
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 1979

सं० ए०-32013/7/78-ई० I—इस विभाग की दिनांक 24-11-1978 की अधिसूचना संख्या ए-32013/7/78-ई० 1 के क्रम में राष्ट्रपति जी ने श्री एस० सी० मजुमदार, उपनिदेशक को दिनांक 30-8-79 के बाद 31-12-1979 तक या पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर निदेशक, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक के रूप में नियुक्त किया है।

सी० के० वत्स,
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 9 नवम्बर 1979

सं० 12/4/78-स्थापना:—निम्नलिखित स्थानापन्न/अस्थायी सहायक अभियंताओं को प्रत्येक के नाम के आगे लिखे दिनांक से सहायक अभियंता के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :—

नाम	स्थायी नियुक्ति का दिनांक
1	2
1. श्री राजन पाल सिंह	19-7-1975
2. श्री वाई० श्रीराममूर्ति	20-7-1975
3. श्री देवेन्द्र सिंह	21-7-1975
4. श्री वी० एन० बी० खरे	22-7-1975
5. श्री सी० आर० छाबा	23-7-1975
6. श्री के० रामचन्द्रन	24-7-1975
7. श्री एन० सी० राय	25-7-1975
8. श्री आर० पी० अय्यर	26-7-1975
9. श्री ए० के० मलिक	27-7-1975
10. श्री ए० जी० आर० अयंगार	1-3-1976
11. श्री डी० एस० सक्सेना	29-4-1976
12. श्री के० एन० शर्मा	8-8-1976
13. श्री एस० के० शर्मा	11-3-1977
14. श्री जी० मोहन राव	5-5-1977
15. श्री टी० आर० कपूर	24-6-1977
16. श्री के० पी० शर्मा	1-11-1977
17. श्री आर० जे० पोल	5-3-1978

एस० श्रीनिवासाचार,
महानिदेशक

वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

देहरादून, दिनांक 13 नवम्बर 1979

सं० 16/257/76-स्थापना-I:—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, ने डा० रमेश चन्द्र सेटिया, अनुसंधान अधिकारी का दिया गया त्यागपत्र दिनांक 31 जुलाई, 1978 के अपराह्न से स्वीकृत कर दिया है।

दिनांक 14 नवम्बर 1979

सं० 16/334/79-स्थापना-I:—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, श्री टी० कृष्णामूर्ती को, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून के आधीन योजना स्कीम के अन्तर्गत 'वन मृदा प्रयोगशालायें (वन मृदा व वनस्पति सर्वेक्षण)' के क्षेत्रीय केन्द्र कोयम्बटूर में दिनांक 15 अक्टूबर, 1979 के अपराह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 15 नवम्बर 1979

सं० 15/109/76-स्थापना-I:—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून निम्नलिखित अनुसंधान सहायकों (प्रथम वर्ग) को उनके नाम के आगे लिखी तारीखों से उनके सामने लिखे पदों पर अस्थाई रूप से अगले आदेशों तक सहर्ष अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

नाम	पद	तारीख
1. श्री पी० पी० भोला	अनुसंधान अधिकारी वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय ।	15-11-79 (अपराह्न)
2. श्री पी० सी० पाण्डे	अनुसंधान अधिकारी वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय	22-10-79 (पूर्वाह्न)
3. श्री एस० सी० मिश्रा	अनुसंधान अधिकारी वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय	22-10-79 (पूर्वाह्न)
4. श्री वी० एन० टण्डन	अनुसंधान अधिकारी वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय	22-10-79 (पूर्वाह्न)
5. श्री ए० के० अनन्थानारायण	अनुसंधान अधिकारी वन अनुसंधान प्रयोगशाला, बंगलूर	26-10-79 (पूर्वाह्न)
6. श्री सी० आर० रंगास्वामी	अनुसंधान अधिकारी सन्डल अनुसंधान केन्द्र, बंगलूर	26-10-79 (पूर्वाह्न)
7. श्रीमति बी० एस० कमला	अनुसंधान अधिकारी वन अनुसंधान प्रयोगशाला, बंगलूर	26-10-79 (पूर्वाह्न)

उनके अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्ति दो साल की परिवीक्षा पर होगी ।

सं० 15/109/76–स्थापना–I—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून निम्नलिखित तदर्थ अनुसंधान अधिकारियों को दिनांक 22 अक्टूबर से अगले आदेशों तक सहर्ष अस्थाई रूप से नियमित अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करते हैं।

1. श्री एच० एस० गहलोत,
2. श्री वी० वी० गुप्ता,
3. श्री के० के० शर्मा
4. श्री आर० सी० गौड़
5. श्री शिव प्रसाद
6. श्री डी० सी० चौधरी
7. श्री कृष्ण लाल
8. श्री आर० एस० आर्य

वे दिनांक 22-10-79 से दो साल की परिवीक्षा पर होंगे।

सं० 15/109/76–स्थापना–I:—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून ने निम्नलिखित व्यक्तियों को दिनांक 22 अक्टूबर, 1979 के पूर्वाह्न से अपने मूल पदों पर जिनमें वे अपनी तदर्थ अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्ति से पहले काम कर रहे थे प्रत्यावर्तित कर दिया है :—

1. श्री पी० एस० पयाल
2. श्री आदर्श कुमार
3. श्री के० सी० बडोला
4. श्री सी० आर० शर्मा
5. श्री आर० डी० टण्डन
6. श्री डी. के० जैन
8. श्री डी० डी० एस० नेगी
8. श्री पी० पी० जैन
9. श्री आर० सी० मित्तल
10. श्री वी० के० जैन
11. श्री के० के० कालरा
12. श्री एच० एस० अनन्यापद्मानाभा
13. श्री एस० आर० माधवनपिल्ले।

दिनांक 17 नवम्बर 1979

सं० 16/322/79–स्थापना–I:—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, श्री अनिल कुमार मुखी को, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून के अधीन योजना स्कीम के अन्तर्गत "वन मृदा प्रयोगशालायें (वन मृदा व वनस्पति सर्वेक्षण)" के क्षेत्रीय केन्द्र कोयेम्बटूर में दिनांक 27 सितम्बर, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करते हैं।

गुरदयाल मोहन,
कुल सचिव,
वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, मद्रास

मद्रास–600034, दिनांक 14 नवम्बर 1979

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1976 (सातवां संशोधन) जो कि दिनांक 21-2-1976 से प्रभावी हुआ, के नियम 232-क के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की जाती है कि उप नियम (2) के अन्तर्गत निर्दिष्टित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 9 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों और उन व्यक्तियों का नाम, पता व अन्य विवरण जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 33 में उल्लिखित अधिकारी द्वारा 1,000 रुपये या अधिक राशि की शास्ति अधिरोपित की गई है, इस प्रकार है :—

सूची I

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पता	अधिनियम के उल्लंघित उपबन्ध	अधिरोपित शास्ति की राशि
1	2	3	4	5
1.	श्री आर० नागार्जुन सुपुत्र श्री के० बी० रंगास्वामी मुदलियर	एल 5, 29/71, चिटोड पोस्ट तालुक भवानी जिला, कोयम्बटूर।	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम की धारा 9(1)(ख) (ख ख)	न्यायालय द्वारा 1,750 रुपये जुर्माना किया गया।

II—विभागी न्याय–निर्णयन

—शून्य—

सूची II

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पता	अधिनियम के उल्लंघित उपबंध	अधिरोपित शास्ति की राशि
1	2	3	4	5
1.	सी० नम्पेरमाल, गउण्डर, एल० 5 सं० 17/67	सं० 13, मोहमेदेयर स्ट्रीट, मेटूर	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियमावली 1944 का नियम 151	2000 रु० की शास्ति लगाई गई। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम–1944 के अंतर्गत 9 (1) क और 9(1)(कक) के अन्तर्गत 2 अभियोगों के लिये दोष सिद्ध होने पर 1000 रु० की शास्ति अदा न करने पर 3 महीने के सख्त कारावास की सजा।
2.	ए० गोपाल, एल० 5 सं० 18/77	करंगलपट्टी, तीसरी रोड़, सेलम	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियमावली 1944 के नियम 151 (सी) 160	2 अभियोगों के लिए अर्थात् 9 (1) (ख) और 9 (1) (कक) के अधीन 2000 रु० की शास्ति और 1000 रु० की शास्ति अदा न करने पर 2 महीने के सख्त कारावास।
3.	सर्वश्री संतोष कुमार, उद्योग	एल० 4 सं० 143/पी डी पी/72, कोयम्बटूर	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियमावली 1944 की धारा 9	1000 रु० का जुर्माना लगाया गया।
4.	बी० मानीकम, सुपुत्र श्री वरदा गोन्टर	सनर स्ट्रीट, चीटोड, भवानी तालुक, जिला कोयम्बटूर	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियमावली 1944 के नियम 32(1)	250 रु० की शास्ति लगाई गई। जब्त करने के बदले में 1000 रु० की शास्ति लगाई गई। न्यायालय के बरखास्त होने तक के लिये कारावास तथा 300 रु० जुर्माना होने की सजा सुनाई गई।
5.	बी० रामस्वामी, सुपुत्र श्री वेलु नईकर, एल० 5 सं० 8/73	मोडाचूर, गोबी तालक	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियमावली 1944 का नियम 151 (सी)	250 रु० शास्ति अधिरोपित की गई। 9 महीने के सख्त कारावास का दण्ड भुगतने के लिए दोषी पाया गया।
6.	जी० पेरुमाल रेड्डियार, सुपुत्र श्री गोन्नू रेड्डियार	एल० 5 सं० 2/67 केमी अमपट्टी (वाया) एन्थीयूर, भवानी तालूक	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियमावली 1944 का नियम 151 (सी)	250 रु० शास्ति अधिरोपित। दोषी पाये जाने पर न्यायालय के बरखास्त होने तक कारावास तथा 500 रु० का जर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई।
7.	एम० कृष्णस्वामी गौण्डर, एल० 5 सं० 11/68, सुपुत्र श्री मारपा गोन्डर	चिट्टोड़	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियमावली 1944 का नियम 151 (सी)	250 रु० की शास्ति अधिरोपित। दोष सिद्ध होने पर 500 रु० का जुर्माना के अदा करने की सजा सुनाई गई।
8.	एस० टी० मुथ्थुस्वामी, एल० 5 सं० 19/66	सेडापालियम, कुन्डम।	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियमावली 1944 के नियम 151 (सी)	250 रु० की शास्ति अधिरोपित। दोष सिद्ध होने पर जर्माने के रूप में 500 रु० अदा करना।

1	2	3	4	5
9.	आर० कलिअप्पा गाउंडर, एल० 5 सं० 348/64 सुपुत्र श्री रक्किया गाउण्डर।	पेरुंडुरी, ईरोड तालुक	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियमावली 1944 का नियम 151 (सी)	2000 रु० शास्ति अधिरोपित। दोष सिद्ध होने पर जुर्माने के रूप में 500 रु० अदा करना।
10.	आर० कालिअप्प गोन्डर, एल० 5 सं० 348/64 सुपुत्र श्री रक्किया गाउण्डर।	पेरुंडुरी, ईरोड तालुक	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियमावली 1944 का नियम 151 (सी)	250 रु० की शास्ति अधिरोपित। जब्ती के बदले 250 रु० जुर्माना। दोष सिद्ध हो जाने पर जुर्माने के रूप में 500 रु० अदा करना।
11.	पी० ए० जगन्नाथन सुपुत्र श्री अरूमुगम	एल० 2 सं० 12/68, चिटौड	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियमावली 1944 के नियम 32 (1)	250 रु० शास्ति अधिरोपित। दोष सिद्ध होने पर 500 रु० अदा करने का जुर्माना।
12.	पी० करप्पुसामी, सुपुत्र श्री पोगीअपा गोन्डर।	डेसयमपलायम, पी० पुलियम्पट्टी, गोबी तालुक	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियमावली 1944 के नियम 32 (1)	250 रु० शास्ति। जब्ती के स्थान पर 1250 रु० का जुर्माना। 1000 रु० जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
13.	पी० नाचीमुथ्यु, सुपुत्र श्री पेरुमाल गौण्डर, एल० 5 सं० 4/74, तम्बाकू व्यापारी।	चिटोड, भवानी तालुक	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियमावली 1944 के नियम 151 (सी)	250 रु० शास्ति अधिरोपित। जब्त के बदले में 250 रु० जुर्माना। दोष सिद्ध होने पर 9 महीने की सख्त कारावास की सजा।

II—विभागीय न्यायनिर्णय

शून्य

सूची III

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पता	अधिनियम के उल्लंघित उपबन्ध	अधिरोपित शास्ति की राशि
1	2	3	4	5
1.	श्री पी० महादेवन,	पी० एम० जी०, इन्डस्ट्रीस, कोयम्बटूर।	कें० उ० शु० अधिनियम, 1944 की धारा 9(1) (ख) 9(1) (ख ख)	2000 रुपये जुर्माना किया गया।
2.	श्री आर० नटराजन	विजय इलेकट्रिकैल इण्डस्ट्रीस, कोयम्बेटूर।	—यथोपरि—	750/– रु० जुर्माना किया गया।

II–विभागीय न्याय निर्णयन

शून्य

सं० IV/16/384/78/CX Adj.–II:—

एम० जी० वैद्या,
समाहर्ता,
कें० उ० शु०, मद्रास

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

नई दिल्ली-110022, दिनांक 3 नवम्बर 1979

सं० 6/5/78-प्र०-2—अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एतद्द्वारा श्री बी० के० घोष, पर्यवेक्षक को केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (श्रेणी-2) सेवा में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के ग्रेड में 15-9-79 से अन्य आदेश होने तक स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 6 नवम्बर 1979

सं० 6/2/79-प्र० 2—अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित तकनीकी सहायकों को केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (श्रेणी-ब) में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के ग्रेड में उनके नामों के सामने दी गई तिथियों से अन्य आदेश होने तक स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं :—

1. श्री परमानन्द	11-9-79
2. श्री जे० एस० दुग्गा	11-9-79

दिनांक 12 नवम्बर 1979

सं० 6/8/77-प्र०-2—अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एतद्द्वारा श्री जी० पी० आनन्द, पर्यवेक्षक को केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा (श्रेणी-2) में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के ग्रेड में 27-1-78 से अनुपस्थिति में अन्य आदेश होने तक स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 13 नवम्बर 1979

सं० 6/5/78-प्र०-2—अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित पर्यवेक्षकों को केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (श्रेणी-2) सेवा में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के ग्रेड में उनके नामों के सामने दी गई तिथि से अन्य आदेश होने तक स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं।

1. श्री के० सी० बत्रा	20-9-79
2. श्री डी० पी० राठी	22-9-79

सन्तोष विश्वास, अवर सचिव

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 'कोरो मण्डल' मोस्टल माइनिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 8 नवम्बर 1979

सं० 519 (560)—कम्पनी अधिनियम, की धारा 560 की (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि 'कोरोमण्डल मोस्टल माइनिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 'नव भारत केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 8 नवम्बर 1979

सं० 1339 (560)—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि नवभारत केबल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी० एस० राजू,
कम्पनियों का रजिस्ट्रार, आन्ध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और बाला जी कारगो मूवरस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

बंगलौर, दिनांक 14 नवम्बर 1979

सं० 3184/560/79-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बालाजी कारोगो मूवरस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और रायबहादुर एस० बी० गोविन्द राजन ब्रदर्स एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

बंगलौर, दिनांक 14 नवम्बर 1979

सं० 563/560/794—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि रायबहादुर एस० बी० गोविन्द राजन ब्रदर्स एन्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और के० सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

बंगलौर, दिनांक 14 नवम्बर 1979

सं० 1665/560/79—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि के० सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और विजय नगर मैन ओनर्स एसोसिएशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

बंगलौर, दिनांक 14 नवम्बर 1979

सं० 1435/560/79—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि विजयनगर मैन ओनर्स एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और कुर्ग एवरग्रीन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

बंगलौर, दिनांक 14 नवम्बर 1979

सं० 2301/560/79—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कुर्ग एवरग्रीन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी० टी० गजवानी
कम्पनियों का रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और इन्टर स्टेट फाईनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जलन्धर, दिनांक 15 नवम्बर 1979

सं० जी/स्टेट/560/2290—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर इन्टर स्टेट फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और ब्लू बर्ड फाईनेन्सीयरस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जलन्धर, दिनांक 15 नवम्बर 1979

सं० जी/स्टेट/560/2969—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर ब्लू बर्ड फाईनेन्सीयरस प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सत्य प्रकाश तायल
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और रांची ग्रीवरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 1979

सं० 6664/19782—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर रांची ग्रीवरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जी० बी० सक्सैना
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और स्टैरो फिल्मस लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 16 नवम्बर 1979

सं० डी एन /6652/560/79—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि स्टैरो फिल्मस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वाई० सत्यनारायण
कम्पनियों का रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और श्री कुप्पुस्वामी ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 17 नवम्बर 1979

सं० 4786/560(3)/79—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास अवसान पर श्री कुप्पुस्वामी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ह०/- अपठनीय
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स बर्मा शैल पेनशन्स ट्रस्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

बम्बई, दिनांक 16 नवम्बर 1979

सं० 15414/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बर्मा शैल पेनसन्श ट्रस्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स बीके वुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

बम्बई, दिनांक 16 नवम्बर 1979

सं० 13865/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बीके वुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारणदर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी० एल० मीना
कम्पनियों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स मीरान्डा एग्रो इंडस्ट्रीज रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

बम्बई, दिनांक 16 नवम्बर 1979

सं० 18070/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मीरान्डा एग्रो इंडस्ट्रीज रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स वाधी बदर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

बम्बई, दिनांक 16 नवम्बर 1979

सं० 12840/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वाधी बदर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एल० एम० गुप्ता
कम्पनियों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार

कार्यालय आयकर आयुक्त,
नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 1979

आयकर

सं० जुरि-दिल्ली/1/79-80/27434—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-1, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि दिनांक 9-11-79 से निम्नलिखित आयकर रेंज बनाया जाएगा :—

निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, दिल्ली रेंज-1-एफ, नई दिल्ली।

एम० डब्ल्यू० ए० खान,
आयकर आयुक्त, दिल्ली-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 1979

सं० जुरि/दिल्ली/2/79-80/27575—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-2, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि दिनांक 9-11-79 से निम्नलिखित आयकर रेंज बनाया जाएगा :—

निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, दिल्ली, रेंज-2-एच, नई दिल्ली।

एम० डब्ल्यू० ए० खान
आयकर आयुक्त, दिल्ली-2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 1979

सं० जुरि-दिल्ली/4/79-80/27851—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-4, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि दिनांक 9-11-79 से निम्नलिखित आयकर रेंज बनाया जाएगा :—

1. निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, दिल्ली रेंज-3-जी, नई दिल्ली।
2. निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, दिल्ली रेंज-3-एफ, नई दिल्ली।

एम० डब्ल्यू० ए० खान
आयकर आयुक्त, दिल्ली-4, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 1979

सं० जुरि-दिल्ली-3/79-80/27716—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर, आयुक्त, दिल्ली-3, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि दिनांक 9-11-79 से निम्नलिखित आयकर रेंज बनाया जाएगा :—

निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त दिल्ली रेंज-4-जी, नई दिल्ली।

एस० जी० जयसिंघानी
आयकर आयुक्त, दिल्ली-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर, 1979

सं० जुरि-दिल्ली/5/79-80/27170—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 123 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-5, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि दिनांक 29-10-79 की अधिसूचना सं० जूरि-दिल्ली/5/79-80/25954 को दिनांक 8-11-79 से रद्द माना जाए।

दिनांक 9 नवम्बर 1979

सं० जुरि-दिल्ली-5/79-80/27999—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-5, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि दिनांक 9-11-79 से निम्नलिखित आयकर रेंज बनाया जाएगा :—

निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, दिल्ली रेंज-5-एफ, नई दिल्ली।

दिनांक 14 नवम्बर 1979

सं० जुरि-दिल्ली-5/79-80/28758—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 124 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस विषय पर पहले जारी की गई अधिसूचनाओं में आंशिक परिवर्तन करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-5, नई दिल्ली निर्देश देते हैं कि आयकर अधिकारी, डि० 4(4) नई दिल्ली का आयकर अधिकारी डि० 4(6), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किए गए/निर्धारण-योग्य उन व्यक्तियों/मामलों के संबंध में, जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'एस' से आरंभ होते हैं, आयकर अधिकारी, डि० 4(6) नई दिल्ली के साथ समवर्ती अधिकार क्षेत्र होगा किन्तु इनमें वे मामले शामिल नहीं होंगे जो आयकर अधिकारी, डि० 4(6) नई दिल्ली को धारा 127 के अधीन सौंपे गए हों या इसके बाद सौंपे जाएं।

कार्यनिष्पादन की सुविधा के लिए आयकर आयुक्त, दिल्ली-5, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 124 की उपधारा-2 में अपेक्षित आदेशों को पास करने के लिए निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-5-सी को प्राधिकृत भी करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 15-11-79 से लागू होगी।

के० आर० राघवन
आयकर आयुक्त, दिल्ली-5, नई दिल्ली

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-III/11-79/4251—

अतः मुझे डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 10578 है तथा जो पदम सिंह रोड, डब्ल्यू ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तकों) और यह कि अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित रूप में वास्तकि रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भाररीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. सुरेश चन्दर सेठी पुत्र तारा चन्द, निवासी 84, सुन्दर नगर, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री आत्म प्रकाश पुत्र पं० चिरंजी लाल निवासी 1088 कूंचा नटवां, चांदनी चौक, दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला मकान नं० 10578 इलाका नं० 16 क्षेत्रफल 269 वर्ग गज, पदम सिंह रोड, डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में स्थित है ।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली

तारीख 8-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०-II /11-79-426--

अतः मुझे डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० एफ-715 है, तथा जो मालवीय नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था या, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रामजीदास दूआ, पुत्र नौबत राय
निवासी एफ-715, मालवीय नगर, नई दिल्ली
(अन्तरक)

2. भजन सिंह पुत्र अमर सिंह
निवासी एफ-7/7, मालवीय नगर, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० एफ 7/5, क्षेत्र फल 125.88 वर्ग गज, मालवीय नगर, नई दिल्ली में स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III नई दिल्ली

तारीख 8-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2
नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-III/11-79/427—अतः मुझे डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 90/84ए है तथा जो मालवीय नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 7-3-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री दीनानाथ गान्धी, राम नरायण गांधी व ओमप्रकाश गांधी, पुत्र गण परमानन्द गांधी, निवासी ई-27, ग्रेटर कैलाई-I, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री ओम प्रकाश वाधवा पुत्र बिहारी लाल वाधवा, श्रीमती राज वाधवा पत्नि ओमप्रकाश वाधवा, निवासी 90-84ए, मालवीय नगर, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 90/84ए, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, मालवीय नगर, नई दिल्ली में स्थित है ।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

तारीख 8-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-III/11-79/428—अतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 11946 है तथा जो डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 13-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन, कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री सुमन भंडारी व रमन भंडारी पुत्रगण उग्र सेन भंडारी निवासी 1000, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. अजीत कौर पत्नि साधू सिंह निवासी 12/2390, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान म्युनिसिपल नं० 11946, प्लाट नं० 58, ब्लाक नं० 3-ए, क्षेत्रफल 877 वर्ग गज, डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग, में स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली

तारीख : 8-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्ज रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०-III/11-79/429—अतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० एच-5/14 है, तथा जो मालवीय नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री खेम चन्द, पुत्र खुशीराम
सैक्टर 23, 2315, चन्डीगढ़ ।
(अन्तरक)

2. श्री राम जीदास व श्रीमती पार्वती देवी
निवासी एच-5/14, मालवीय नगर, नई दिल्ली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० एच-5/14, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, मालवीय नगर, नई दिल्ली में स्थित है ।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली ।

तारीख : 8-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-2,

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/11-79/430—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जी-11/2 है, तथा जो मालवीय नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया गया या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री गोदू मल पुत्र उतम चन्द निवासी 7/9 रेलवे कालोनी दया बस्ती दिल्ली इनके स्पेशल अटोरनी एस० एन० बन्सल पुत्र जी० एन० बन्सल निवासी जी-11/2 मालवीय नगर, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्रीमती रक्षा रानी बंसल पत्नि श्री एस० डी० बंसल निवासी जी-11/2, मालवीय नगर, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० जी-11/2 क्षेत्रफल 126 वर्ग गज मालवीय नगर, नई दिल्ली में स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख: 8-11-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-3/11-79/431— यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और

जिसकी सं० जी/43 बी है, तथा जो मालवीय नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-3-1979 को

पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

यतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती पुष्पा वोहरा पुत्री चुनी लाल धवन पत्नि दीना नाथ वोहरा निवासी मकान नं० 31 माल रोड दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री मोती राम पुत्र दियो मल, लछमन दास पुत्र दियो मल निवासी 16 मालवीय नगर, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० निल/43 बी क्षेत्रफल 100 वर्ग गज मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 में निम्न प्रकार स्थित है :—

पूर्व : सर्विस लेन

पश्चिम : सड़क

उत्तर : मकान नं० निल/43 ए

दक्षिण : मकान नं० निल/44।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०-3/11-79/432—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी सं० एफ-3/12 है, तथा जो मालवीय नगर, और दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह से प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा, (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शिव लाल पुत्र सुन्दर लाल ये अटौरनी श्री मुंशी सिंह पुत्र धर्म सिंह निवासी एफ-315 मालवीय नगर, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्रीमती भागवन्ती पत्नि शिव लाल निवासी एफ-3/12 मालवीय नगर नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० एफ-3/12 क्षेत्रफल 128 वर्ग गज मालवीय नगर नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

उत्तर : सड़क
दक्षिण : प्लाट एफ-3/11
पूर्व : सड़क
पश्चिम : सर्विस लेन ।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निदश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-3/11-79/433— यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० एच-7/6-7 है तथा जो मालवीय नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को; जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री गुरचरन सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह, निवासी जी-86 मालवीय नगर, नई दिल्ली द्वारा श्री चानन राम गुप्ता पुत्र श्री मेघर मल निवासी एच-7/6 मालवीय नगर, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री देशबन्धु व नरिन्दर कुमार पुत्रगण श्री चानन राम गुप्ता निवासी एच-7/6, मालवीय नगर, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० एच-7/6-7, क्षेत्रफल 1777.50 वर्ग फुट (197.50 वर्ग गज) मालवीय नगर, नई दिल्ली में स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-3/11-79/434—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 10, ब्लाक-ए है, तथा जो ग्रीन पार्क एक्सटेन्शन, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-3-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ईश्वर चन्द गुप्ता पुत्र राम चन्द्र गुप्ता निवासी ए-11, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव 2, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री अजीत प्रशाद जैन पुत्र ज्योती प्रशाद जैन निवासी 2559, धर्मपुरा दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक डेढ़ मंजिला रिहायशी मकान जो फ्रीहोल्ड रिहायशी प्लाट नं० 10, ब्लाक-ए क्षेत्रफल 355.5 वर्ग गज (297.28 वर्ग मीटर) पर बना है, ग्रीन पार्क एक्सटैनशन नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : मकान नं० ए-14 व ए-15 (कुछ हिस्सा)
पश्चिम : सड़क
उत्तर : मकान नं० ए-9
दक्षिण : मकान नं० ए-11

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-2

नई दिल्ली-2, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-3/11-79/435—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जे-4/6 है, तथा जो राजोरी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती मोहिन्दर कौर पत्नि प्रीतम सिंह द्वारा जलन्धर पाईप फिटिंग कं० चौक भगत सिंह जलन्धर शहर-1 (अन्तरक)

2. श्री रमेश चन्द्र, योगिन्दर प्रकाश पुत्रगण श्री बास्ती राम निवासी एच नं० 9317 गली नं० 8, मुलतानी डांडा पहाड़ गंज, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० जे-4/6 राजोरी गार्डन नई दिल्ली जो फ्री होल्ड प्लाट क्षेत्रफल 206 वर्ग गज पर बना है, ततारपुर गांव में पड़ता है, निम्न प्रकार से स्थित है :—

उत्तर : खुली जमीन
दक्षिण : सड़क
पूर्व : मकान नं० जे-4/5
पश्चिम : मकान नं० जे-4/7

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-III/11-79/436—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इस पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269—ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, वह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रु० से अधिक है

जिसकी सं० एच-2 है, तथा जो ग्रीन पार्क नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कम करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/य

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269—ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती एडिथ नाथ बैरी पत्नि स्वर्गीय श्री नाथ बेरी इनके जनरल अटौरनी श्री ए० जे० लेवी निवासी एच-2, ग्रीन पार्क नई दिल्ली के द्वारा

(अन्तरक)

2. श्री के० के० चड्ढा पुत्र स्वर्गीय श्री सुखराज चड्ढा निवासी, 11 पार्क एरिया करोल बाग नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जो प्लाट नं० 2 ब्लाक एच क्षेत्रफल 200 वर्ग गज पर बना है ग्रीन पार्क नई दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है :—

उत्तर : सड़क
दक्षिण : सर्विस लेन
पूर्व : प्लाट नं० 1 ब्लाक एच (अब प्लाट नं० 16 ब्लाक एफ)।
पश्चिम : प्लाट नं० 3 ब्लाक एच।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰/एक्यु-III/11–79/437— यतः, मुझे, डी॰ पी॰ गोयल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ 10/66 है, तथ जो पंजाबी बाग नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन व अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री ललित कुमार पुत्र आर॰ के॰ नन्दा निवासी जे-10/49, राजोरी गार्डन नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्रीमती बिमला रानी पत्नि कैलाश चन्द निवासी 3/3 जयदेव पार्क नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय म दिया गया है ।

अनुसूची

मकान जो प्लाट नं॰ 10 सड़क नं॰ 66 क्षेत्रफल 279.55 वर्ग गज पर बना है, पंजाबी बाग गांव मादीपुर दिल्ली राज्य दिल्ली में स्थित है ।

डी॰ पी॰ गोयल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-III/11-79/438—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 94 है, तथा जो गांव मटियाला डा० उत्तम नगर नजफगढ़ रोड़ नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21 मार्च 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

5—356GI/79

1. श्री सुमन कपाही पुत्र शिव कुमार कपाही निवासी 5/12 पंजाबी बाग एक्सटेनशन नई दिल्ली ये जनरल अटौरनी श्री मीर सिंह के
2. मै० डीलक्स एन्टरप्राइसेस 94 मटियाला दिल्ली राज्य दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट क्षेत्रफल 825 वर्ग गज जिस पर डेढ़ मंजिला मकान बना है 94, गांव मटियाला, डाकखाना उत्तम नगर, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है :—

पूर्व : मैं ए० के० इन्डस्ट्रीज की प्रापर्टी
पश्चिम : मीर सिंह की जमीन
उत्तर : सड़क
दक्षिण : शेर सिंह व अन्य की जमीन।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

फार्म आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०-III/11-79/439—

यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 30 रोड़ नं० 56 है, तथा जो पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गुरबक्श सिंह पुत्र श्री मेजर एस० करतार सिंह निवासी 57-बी सेन्ट्रल एवेन्यू, कलकत्ता-72 (अन्तरक)

2. श्री हरनाम सिंह पुत्र एस० जीत सिंह निवासी 5/71 पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 30, रोड़ नं० 56 दर्जा सी क्षेत्रफल 555.55 वर्ग गज, पंजाबी बाग में स्थित, गांव मादीपुर जिला दिल्ली, दिल्ली।

डी० पी० गोयल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-3/11-79/440—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० जे 5/24 है, तथा जो राजोरी गार्डन, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-3-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री हजारा सिंह पुत्र जगत सिंह माहेल, निवासी जे-5/42 राजोरी गार्डन नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री डी० के० साहनी निवासी जे-5/109 राजोरी गार्डन, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जो कि प्लाट नं० 24 (फ्री होल्डा) पर बना हुआ ब्लाक नं० जे-5 क्षेत्रफल 160 वर्ग गज राजोरी गार्डन नामक कालोनी में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : लोन
पश्चिम : सड़क
उत्तर : प्लाट नं० जे-5/23
दक्षिण : प्लाट नं० जे-5/25।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-2

दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू यतः, मुझे डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 1/2 62 का है, तथा जो नोर्थ एवेन्यू रोड़, पंजाबी बाग में नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची, और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रेमपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय स्व० ध्यान सिंह, 62 नोर्थ एवेन्यू रोड़, पंजाबी बाग नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री प्रीतम सिंह पुत्र स्व० ध्यान सिंह 62 नोर्थ एवेन्यू रोड़, पंजाबी बाग नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

62 नं० की जायदाद का 1/2 अविभाजित भाग जो कि नोर्थ एवेन्यू रोड़, पंजाबी बाग में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 277.78 वर्ग गज है ।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए०सी०/एक्यु०/3/11-79/442—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० 1/2 भाग प्लाट नं० 18 रोड़ नं० 71 है, तथा जो पंजाबी बाग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री जे० आर० सिंह पुत्र लेट दिवान मुलक राज, निवासी 64 पंच शील एन्क्लेव, नई दिल्ली
(2) श्री मती राज सेले पुत्री स्व० दीवान मल क राज निवासी सी-2/23 नई दिल्ली रोहतक रोड़, नई दिल्ली
(3) श्रीमती उषा सिंह पत्नी स्व० अनत राज सिंह डी-608 करजन रोड़ होस्टल नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री अविनाश सचदेवा सुपुत्र स्व० जगन्नाथ निवासी 4/44 पंजाबी बाग, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रोड़ नं० 71 पर स्थित प्लाट नं० 18 का आधा भाग जिसका क्षेत्रफल 548.33 वर्ग गज है जो कि पंजाबी बाग, गांव मादीपुर दिल्ली जिला में स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु-3/11—79/443—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 1/2 हिस्सा प्लाट नं० 18 सड़क नं० 71 है, तथा जो पंजाबी बाग नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्रीमती कमल छाबड़ा पत्नि अनिल राज सिंह व श्रीमती निर्मल कुमारी पत्नि देव राज सिंह निवासी 168 माऊंट रोड, मद्रास
2. श्रीमती स्वर्ण कौर पत्नि अजीत सिंह निवासी 21/43 पंजाबी बाग, दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 18 का 1/3 हिस्सा जो सड़क नं० 71 पर है क्षेत्रफल 365.55 वर्ग गज, पंजाबी बाग कालोनी, गांव मादीपुर दिल्ली राज्य दिल्ली में स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-3/11-79/444—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1/6 हिस्सा प्लाट नं० 18 सड़क नं० 71 है, तथा जो पंजाबी बाग नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नि स्वर्गीय श्री पृथ्वी राज निवासी सी-64, पंचशील इन्कलेव, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमती स्वर्ण कौर पत्नि श्री अजीत सिंह निवासी 2/43 पंजाबी बाग, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध म कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 18 का 1/6 हिस्सा जो सड़क नं० 71 पर है क्षेत्रफल 182.78 वर्ग गज, पंजाबी बाग गांव मादीपुर दिल्ली में स्थित है।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-3/11-79/445—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी और जिसकी सं० आरन्स 19 है, तथा जो इन्दर पुरी कालोनी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-3-1979 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती शान्ती देवी विधवा पत्नि श्री कंवर भान कालरा निवासी आर० ए० इन्दरपुरी दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री हरदीप सिंह वाधवा पुत्र श्री इकबाल सिंह वाधवा निवासी 16/1325 गली नं० 19, नाईवाला करोल बाग नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० आर० ए० 19 क्षेत्रफल 200 वर्ग गज (एक मंजिला मकान) इन्दर पुरी गांव नरायणा दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : मकान नं० आर० ए० 18

पश्चिम : सड़क

उत्तर : सड़क

दक्षिण : लेन।

डी० पी० गोयल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-3/11-79/446—यतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 1/2 हिस्सा प्लाट नं० 22 सड़क नं० 56 है तथा अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-5-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती आर० सी० गलोरिया पुत्र दीवान चन्द निवासी 5961, शंकर मार्किट, कनाट सर्कस नई दिल्ली (अन्तरक)

1. श्री हरभजन सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह, सुखवीर सिंह पुत्र हरभजन सिंह 8227, गली नं० 6, मुलतानी ढांडा पहाड़ गंज, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फी होल्ड प्लाट नं० 22 सड़क नं० 56 क्षेत्रफल 660.64 वर्ग गज (1/2 हिस्सा) (330.32 वर्ग गज) कालोनी पंजाबी बाग, गांव मादीपुर दिल्ली राज्य दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है :—

उत्तर : सड़क नं० 56,
दक्षिण : सर्विस लेन,
पूर्व : कोठी नं० 20/56,
पश्चिम : सड़क नं० 67।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3 दिल्ली-2

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-III/11-79/447—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
है, तथा जो पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-3-1979 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण, में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री आर० सी० गलौरिया पुत्र दिवान चन्द निवासी 5971 शंकर मार्किट कनाट सर्कस नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री हरभजन सिंह चोपड़ा व श्रीमति हर भजन कौर निवासी 8227 गली नं० 6, मुलतानी टांडा पहाड़ गंज, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 22 का 1/2 हिस्सा जो सड़क नं० 56 पर है क्षेत्रफल 330.32 वर्ग गज (कुल 660.64 वर्ग गज) पंजाबी बाग, गांव मादीपुर दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

उत्तर : सड़क नं० 56,
दक्षिण : सर्विस लेन,
पूर्व : कोठी प्लाट नं० 20/56 के ऊपर,
पश्चिम : सड़क ।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली, नई दिल्ली-2

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्रकप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-III/3-39—4986/3798—यतः, मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1164 वार्ड नं० 7 है, तथा जो गली सामोसन, फ्रास खाना दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5 मार्च 1970 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के मानयदृष प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती लछमी बाई बनाम लक्ष्मी बाई विधवा पत्नि श्री हुकम चन्द मुन्द्रेजा निवासी 1164 गली सामोसन फराश खाना दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री कैलाश चन्द घनश्याम दास पुत्रगण रतन लाल निवासी गली कडले काशन फतेहपुरी दिल्ली व कंवल किशोर पुत्र रतन लाल निवासी 6253 कूचा शिव मंदिर गली बताशान, खारी बावली दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला मकान म्युनिसिपल नं० 1164 वार्ड नं० 7 जो फ्री होल्ड प्लाट क्षेत्रफल 120 वर्ग पर बना है गली सामोसन फ्राशखाना दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है :—

पूर्व : मकान नं० 7/130
पश्चिम : गली
उत्तर : मसजिद
दक्षिण : गली।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 14-11-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-II/3-79/5028/—यतः, मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जे-137 है, तथा जो कीर्ति नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-3-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गंगाराम पुत्र छेलुराम चीप सिल्क स्टोर अजमल खान् रोड करोल बाग नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री एम० सी० ग्रोवराय पुत्र बिशन दास निवासी बी-3/14 राजोरी गार्डन नई दिल्ली व कृष्ण लाल पुत्र मदन लाल, ए-43, राजोरी गार्डन नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० जे-137, क्षेत्रफल 250 वर्ग गज, कीर्ति नगर, गांव बसई दारापुर दिल्ली राज्य दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है :—

उत्तर : सड़क
दक्षिण : सर्विस लेन व पार्क
पूर्व : सड़क
पश्चिम : मकान नं० जे-136।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 14-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-2/3-79/5097/3790—यतः, मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 142 है, तथा जो राजा गार्डन दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बलदेव कुमार चड्ढा पुत्र जगदीश लाल निवासी एच-45 किरती नगर और अब आयरलैण्ड इनके जनरल अटोरनी श्रीमती कुमुद लता गुप्ता पत्नि रमेश कुमार गुप्ता निवासी 142 राजा गार्डन, दिल्ली (अन्तरक)
2. श्री रमेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राखा राम गुप्ता निवासी 142, राजा गार्डन नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जो प्लाट नं० 142 क्षेत्रफल 220 1/2 वर्ग गज पर बना है राजा गार्डन , गांव बसई दरा पुर दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है :—

उत्तर : प्लाट नं० 141
दक्षिण : सड़क
पूर्व : सड़क
पश्चिम : प्लाट नं० 135।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 14-11-1979

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 16 नवम्बर 1979

निर्देश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰/एक्यु-2/3-79/4973/3—यतः, मुझे, आर॰ बी॰ एल॰ अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है और जिसकी सं॰ जे-45 है, तथा जो राजौरी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री भाटिया एण्ड इंदर मोहन भाटिया सन्स आफ श्री मुकन्द लाल भाटिया निवासी 25/60 न्यू रोहतक रोड नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री गुरचरण सिंह पुत्री सरदार सिंह निवासी एस-31 राजौरी गार्डन नई दिल्ली
   (2) सत्या भूषण एण्ड
   (3) सुभाष चन्द्रा सन्स आफ देवकी नन्दन निवासी 6-3 रतनपार्क नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट जे-45 राजौरी गार्डन दिल्ली जिसका क्षेत्रफल 243 वर्ग गज है जोकि गांव बसाई डेरापुर दिल्ली स्टेट दिल्ली में स्थित है। जोकि निम्नलिखित प्रकार से घिरा हुआ है :—

पूर्व : रोड़

पश्चिम : प्लाट नं॰ जे-86।

आर॰ बी॰ एल॰ अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख 16-11-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 16 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-2/3–79/1014/5014—यतः, मुझे, आर० बी० एल० अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० 159 है, तथा जो राजौरी गार्डन नई, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्रीमती सरदारनी इन्दर कौर पत्नि श्री एस० अलग सिंह ओबराए निवासी जेड-13 राजौरी गार्डन, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री विनोद कुमार छाबरा और सुरिन्दर कुमार छाबरा पुत्र श्री खेम चन्द्र निवासी म० न० 948 तिलक गली कश्मीरी गेट, दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) स सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक प्लाट नं० जे-149, राजौरी गार्डन दिल्ली जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग गज है तथा जोकि निम्नलिखित प्रकार से घिरा हुआ है :—

उत्तर : प्लाट नं० जे-148
दक्षिण : प्लाट नं० जे--147ए
पूर्व : रोड
पश्चिम : प्लाट नं० जे/167 ।

आर० बी० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 16-11 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-57, लखनऊ कार्यालय

लखनऊ, दिनांक 5 सितम्बर 1979

निर्देश सं० एस-105/अर्जन 79-80—यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 2504/2 है, तथा जो अमरोहा मुरादाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमरोहा जिला मुरादाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से उचित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सरदार सुमेर सिंह व महेन्द्र प्रकाश (अन्तरक)
3. श्री मो० नफीसअब्बासी, मो० हाफिज अब्बासी (अन्तरिती)
3. उपरोक्त जैसा फार्म 37 जी में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो ऐसी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खसरा नं० 2594/2 की 0.47 डेसिमल भूमि व उस पर बना सनीमाहाल "कमला टाकीज" व इमारत मय सभी फिटिंग्ज व फनीचर आदि के जो चुंगी के भीतर कस्बा अमरोहा जिलस मुरादाबाद में स्थित है यथा सम्पत्ति का वह सब विवरण जो फार्म 37-जी संख्या 1075/79 व सेलडीड में वर्णित है जो कि सब-रजिस्ट्रार अमरोहा के कार्यालय में दिनांक 12-3-79 को दर्ज है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षय प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 5-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ कार्यालय

लखनऊ, दिनांक 14 सितम्बर 1979

निर्देश सं० 179/अर्जन—यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक

और जिसकी सं० एक दुकान इन्कलूडिंग बिल्डिंग और जमीन है तथा जो मोहल्ला बाजार मिसटन गन्ज पी एन बी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रामपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-3-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री साहू निरंकार सरन (अन्तरक)
2. श्री सुबोध कुमार गुप्ता (अन्तरिती)
3. श्री साहू निरंकार सरन (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता दुकान वाला खाना पुख्ता इमारत स्थित मोहल्ला मिस्टनगन्ज पंजाब नेशनल बैंक रोड़ शहर रामपुर व सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड तथा फार्म 37-जी संख्या 894 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार रामपुर के कार्यालय में दिनांक 29-3-1979 को पंजीकृत हो चुके हैं।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 14-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 14 सितम्बर 1979

निर्देश सं० जी-39/अर्जन——यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 498/179 है, तथा जो फैजाबाद रोड लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-2-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. प्रोफेसर ई० अहमद शाह (अन्तरक)
2. श्रीमती ज्ञानदेवी और मेसर्स अरोरा काटेज प्रा० लि० (अन्तरिती)
3. क्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क, में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बंगला नं० 498/179 जो कि फैजाबाद रोड लखनऊ में स्थित है तथा सम्पत्ति का वह सब विवरण जो फार्म 37-जी संख्या 1218/79 व सेलडीड में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 6-2-1979 को दर्ज है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी,
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 14-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 14 सितम्बर 1979

निर्देश सं० बी-41/अर्जन 79-80—यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 986-बी है, तथा जो दरियाबाद, इलाहाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30 मार्च, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री गया प्रसाद केसरवानी जी

(अन्तरक)

2. श्री विष्णु मित्तल, 2 अरविन्द अग्रवाल पुत्रगण स्व० विद्यासागर, श्रीमती स्नेह लता अग्रवाल, 4 श्रीमती मंजू अग्रवाल

(अन्तरिती)

3. श्री गया प्रसाद विक्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध म कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान नम्बरी 986-बी दरियाबाद इलाहाबाद जो कि प्लाट नं० 165 साउथ हाउसिंग स्कीम पाटीकेन्ड पर बना है व सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड व फार्म 37-बी संख्या 1241 में वर्णित है जोकि सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 30-3-79 को पंजीकृत हो चुके हैं।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 14-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 18 सितम्बर 1979

निर्देश सं० एस-180/अर्जन/यत:, मुझे अमर सिंह बिसेन, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/ रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० प्लाट 17-ए व 17-बी है, तथा जो काजीपुरा मुरादाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मुरादाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-3-1979
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमानप्र तिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्न लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: —

1. श्री भारत सिंह पुत्र राम सिंह
(अन्तरक)

2. श्री संजीव कुमार अग्रवाल
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूचि

प्लाट आराजीयात नम्बरी 17-अ रकबई 6 एकड़ 42 डिसमल व नम्बरी 17-बी रकबई डिसमल कुल किता 6 एकड़ 71 डिसमल वाके मोजा काजीपुरा तहसील व जिला मुरादाबाद व सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड व फार्म 37-जी संख्या 418/79 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार मुरादाबाद के कार्यालय दिनांक 20-3-1979 को पंजीकृत हो चुके हैं ।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 18-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ कार्यालय

लखनऊ, दिनांक 18 सितम्बर 1979

निर्देश सं० एम-106/अर्जन 79-80—यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० है, तथा जो मो० बाग खिरनी शाहजहांपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शाहजहांपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 16) के अधीन, तारीख 30-3-1979
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्री जगदीश नारायण शुगलू
(अन्तरक)
2. श्रीमती डा० मदन जीत सिंह
(अन्तरिती)
3. श्री जे० एन० शुगलू (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में सेकिसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान मय आराजी व जुमला जागीरात व जमीन वगैरह करीब 200 वर्ग गज वाकें मोहल्ला वाग सिरनी शाहजहांपुर व सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड व फार्म 37-जी नं० 928/79 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार शाहजहांपुर के कार्यालय में दिनांक 30-3-1979 को दर्ज है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 18-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269–घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-57, रामतीर्थ मार्ग, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 18 सितम्बर 1979

निर्देश सं० डी-34/अर्जन—यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269–ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एक किता मकान है, तथा जो मो० बाग सिरनी शाहजहांपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शाहजहांपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-3-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, यह तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269–घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269–घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्री जगदीश नारायण शुगलू
(अन्तरक)
2. श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह
(अन्तरिती)
3. उपरोक्त विक्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. उपरोक्त विक्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान मय आराजी व जमला तामीरात बांकें मोहल्ला बाग सिरनी क्षेत्रफल लगभग 250 वर्ग गज शाहजहांपुर सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड व फार्म संख्या 37-जी संख्या 927/79 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार शाहजहांपुर के कार्यालय में दिनांक 30-3-1979 को पंजीकृत हो चुके हैं।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 18-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 नवम्बर 1979

निर्देश सं० एन-29—यतः, मैं, अमर सिंह बिसेन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक

और जिसकी सं० बी-42 सेक्टर-ए है, तथा जो महानगर लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-4-1979 को

पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से जैसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री लक्ष्मी अस्थाना, जी० एन० अस्थाना, कुमारी अमिता अस्थाना, अलका अस्थाना

(अन्तरक)

2. श्री डा० एन० एन० महेन्द्रा, श्रीमती कुसुम महेन्द्रा, 3. विनय महेन्द्रा, 4. शरद महेन्द्रा, 5. आशीश महेन्द्रा नाबालिग पुत्र गण डा० एन० एन० महेन्द्रा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० बी-42 सेक्टर-ए महानगर लखनऊ (क्षेत्रफल 9833 वर्ग फीट) तथा सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड तथा फार्म 37-जी संख्या 1921 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 23-4-1979 को पंजीकृत हो चुके हैं।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 9-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 जनवरी 1979

निर्देश सं० टी-20—यतः, मझे, अमर सिंह बिसेन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 954 है, तथा जो कटरा इलाहाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-4-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती कामिनी श्रीवास्तव (अन्तरक)
2. श्री वेणी प्रसाद द्विवेदी व जनार्दन प्रसाद पाण्डेय (अन्तरिती)
3. विक्रेता व श्री राम किशोर शुक्ला किराएदार (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान का नं० 954 दो मंजिला स्थित कटरा इलाहाबाद व 163 वह सब विवरण जो सेलडीड तथा फार्म 37-जी संख्या 1563 में वर्णित हैं जो कि सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 18-4-1979 को पंजीकृत हो चके हैं।

अमर सिंह बिसेम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 9-11-1979
मोहर:

प्ररूप आई॰टी॰एन॰एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 नवम्बर 1979

निर्देश सं॰ एम-107/—यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

जिसकी सं॰ खसरा 1069 है, तथा जो मो॰ कटघर महबुल्लागंज मरादाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मुरादाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-4-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रामकिशन, हरचन्द्री, राजेश्वर राव दुबे।
(अन्तरक)

2. श्रीमती माधुरी अग्रवाल, रामसखी देवी
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अराजी आबादी रकबई 889 वर्ग गज इमारती वाक्य मुरादाबाद मोहल्ला कटघर महबुल्लागंज खसरा सं॰ 1069 व सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड व फार्म 37-जी संख्या 1985 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार मुरादाबाद कार्यालय में दिनांक 7-4-1979 को पंजीकृत हो चुके हैं।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 9-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 नवम्बर 1979

निर्देश सं० एच-32/अर्जन-79—यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 81/3 है, तथा जो शिवपुरी बांस मण्डी लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-4-1979
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गिरीश शुक्ला
(अन्तरक)
2. श्री हनुमान दास अग्रवाल, श्रीमती चन्दो देवी
(अन्तरिती)
3. विक्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

3613 वर्ग फिट पर बना हुआ भवन नं० 81/3 शिवपुरी बांस मण्डी लखनऊ व सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड व फार्म 37-जी नं० 1475 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 23-4-1979 को पंजीकृत हो चुके हैं ।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 9-11-1979
मोहर ।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 नवम्बर 1979

निर्देश सं० डी-35/अर्जन-79—यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 102/43 है, तथा जो अहाता गुलाब निकेतन शिवाजी मार्ग लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रभु नारायण कक्कड़

(अन्तरक)

2. श्री धनपतराय अरोड़ा, श्रीमती रुकमनी रानी, मदन लाल अरोड़ा, राकेश अरोड़ा

(अन्तरिती)

3. विक्रेता व अभियन्ता सारदा सहायक खण्ड (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 102/43 स्थित अहाता गुलाब निकेतन शिवाजी मार्ग लखनऊ व सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड व फार्म 37 जी संख्या 1305 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 24-3-1979 को पंजीकृत हो चुके हैं।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 9-11-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 नवम्बर 1979

निर्देश सं० एब77/अर्जन—यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो ग्राम मझोला मुरादाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मुरादाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-4-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, विपिन कुमार गुप्ता (अन्तरक)
2. श्री अजीत अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अमित अग्रवाल, अखिल अग्रवाल (अन्तरिती)
3. विक्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता आराजी प्लाट मय पुख्ता चहारदीवारी तादादी 590.7545 वर्ग मीटर वाकें मौजा मझोला, परगना व जिला मुरादाबाद जो कि मय पुख्ता चहार दीवारी के व सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड तथा फार्म 37-जी संख्या 807/79 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार मुरादाबाद के कार्यालय में दिनांक 30-4-1979 को पंजीकृत हो चुके हैं।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 9-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 9 नवम्बर 1979

निर्देश सं० एस-182/अर्जन—यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मकान 92/161 है, तथा जो बांस मंडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीजर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-3-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री हिमांशु धरसिंह प्रेसीडेन्ट व कृष्ण पाल सिंह वाईस-प्रेसीडेन्ट ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन अवध केशर बाग लखनऊ द्वारा (अन्तरक)
2. श्री सुरेन्द्र कुमार पहावा (अन्तरिती)
3. विक्रेता व श्री सी० एन० भार्गव (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 92/161 का फर्स्ट फ्लोर भाग स्थित बांस मण्डी लखनऊ व सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड व फार्म 37-जी संख्या 1460 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 30-3-1979 को पंजीकृत हो चुके हैं।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 9-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 15 नवम्बर 1979

निर्देश सं० —यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269—ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रु० से अधिक

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो मोहल्ला ब्रह्मपुरा नई बस्ती नरकुलागंज बरेली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बरेली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-31979

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269—ग के अनुसरण उक्त अधिनियम की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों :—

1. श्री ओम शंकर सिद्धार्थ कुमार
(अन्तरक)

2. श्री राजेन्द्र कुमार, विजय कुमार, नरेन्द्र कुमार
(अन्तरिती)

3. श्री ओम शंकर (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्ति पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किला मकान पुख्ता मय तामीली इमारत वाकें मोहल्ला ब्रह्मपुरा नई बस्ती नरकुलागंज शहर बरेली व सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड व फार्म संख्या 37जी 1992 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार बरेली के कार्यालय में दिनांक 29-3-1979 को पंजीकृत हो चुके हैं।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी;
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 15-11-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 15 नवम्बर 1979

निदेश सं० आर139/अर्जन-79-80—यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 201 सी है, तथा जो नई बस्ती बरेली में में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बरेली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-4-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री संजय कुमार
(अन्तरक)
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद, विजय कुमार व नरेन्द्र कुमार
(अन्तरिती)
3. विक्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित ह, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 189 पर बने मकान नं० 201-सी का 1/3 भाग जो कि मोहल्ला नई बस्ती शहर बरेली में स्थित है तथा सम्पत्ति का वह सब विवरण जो फार्म 37जी सेलडीड डाकुमेंट नं० 1646 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार बरेली के कार्यालय में दिनांक 2-4-1979 को पंजीकृत हो चुके हैं।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 15-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 16 नवम्बर 1979

निर्देश सं० एस-183/अर्जन-79-80—यतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000-/ रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 13 दुकान मय इमारत व भूमि क्षेत्र फल 163 वर्ग मीटर है, तथा जो पुजेरी गली मुरादाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुरादाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-4-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पृथ्वीजीत कुमार (अन्तरक)

2. श्री सत्य प्रकाश व प्रेमचन्द्र (अन्तरिती)

3. विक्रेता व किराएदार लोग :—

सर्वश्री/

1. राम निवास,
2. चुन्नीलाल,
3. ज्ञानबीर सरन,
4. सिपाही लाल,
5. घनश्याम दास,
6. मुन्नी लाल,
7. शिव कुमार,
8. रामरसूत सिंह,
9. राम किशोर,
10. राम आसरे प्रसाद,
11. ओम प्रकाश,
12. प्रताप नारायन

(वह व्यक्ति, जिनके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(तेरह) 13 किता दुकानात पुख्ता जिसमें से 12 किता दुकानात उत्तर रुखी है और एक किता दुकान पूर्व रुखी है मय आराजीतहती 163 वर्ग मीटर बाके मोहल्ला पुजेरी गली मुरादाबाद पूर्व रास्ता खरन्जा सरकारी महद्दूदाजैल गवी बाद आराजी आवचक मुर्वैया मजकूर के दुकानात वाला खाना मैसर्स प्यारे लाल राम किशन सर्राफ जनूबी जुज से मकान में ज्ञानबीर व जुज में आराजीराम मुशर्त की शुमाली सरकारी जेरी मंजिल का कवर्ड एरिया 60 वर्ग मीटर है व सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड फार्म 37-जी संख्या 747/79 में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार मुरादाबाद के कार्यालय में दिनांक 19-4-1979 को पंजीकृत हो चुके हैं।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 16-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़, दिनांक 6 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० 253/79-80—यतः, मुझे, पी० रंगानाथन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० लिमिटेड शाहाबाद है, तथा जो दी ए० सी० सी० विक्कर्स बाबकाक वर्कस पि० ओ० शाहाबाद ए० सी० सी० गुलबर्गा में स्ट्रिक्ट गुलबर्गा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुलबर्गा (डाकुमेंट सं० 180/79-80') में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मैसर्स दी असोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड शाहाबाद सीमेंट वर्क्स पी० ओ० शाहाबाद ए० सी० सी० 585229 गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक स्टेट (अन्तरक)

2. मैसर्स दी० ए० सी० सी० विकर्स बाबकाक लिमिटेड शाहाबाद वर्क्स पी० ओ० शाहाबाद ए० सी० सी० 585229 गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया हुआ है।

अनुसूची

(दस्तावेज 180/79-80 तारीख 31-3-1979)

सिविल सम्पत्ति जिसका सम्बन्ध (1) स्टोन मशीनरी, (2) दीवार जो केन्टीन हवेली के चारों ओर है (3) कलवर्ट जो गुलबर्गा एयर रोड पर है व जो पानी के पाइप के बाजू में है (4) पानी का पाइप लाइन जो नए पाटर्न शाप को लगा है। 1 और 3 ए० सी० सी० विकर्स बाबकाक लिमिटेड शाहाबाद के काम पास में है आइटम और (2) गुलबर्गा रावर मेन रोड पर है। और मशीनरी प्लाट जो दस्तावेज गुलबर्गा में 31-3-79 को रजिस्टर्ड किए हैं उसमें बताए हैं।

पी० रंगानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 6-10-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़, दिनांक 10 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० 254/79-80—यतः, मुझे, पी० रंगानाथन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1289 और 1290 है, तथा जो अलटो डी० पीखोरीम सेरोला सोकीरी विलेज पंचायत बरडेज गोआ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बरडेज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, (दस्तावेज सं० 303/79) तारीख 7-5-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजर मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और यह कि अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिगियम, 1922 (1922) का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री प्रकाश रामकृष्ण सलगावकर वासकोडागामा गोआ

अन्तरक)

2. श्री के० पुनडालीका मलया पनथिस गोआ :
पता है :—मैनेजर सिन्डीकेट बैंक दलही चोकडा रोड़ अहमदाबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाज की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीरत पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज 303/79-80 ता० 7-5-1979)

घर सम्पत्ति सं० 1289 और 1290 जो "फानडेम शालम के नाम से कहलाता है तथा जो अलटो डी पोखोरीम सेरीला आफ सोकोरा विलेज पंचायत तालुक बरडेज गोआ।

पी० रंगानाथन
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 10-10-1079
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़, दिनांक 10 अक्तूबर 1979

निर्देश वं० 255/79-80—यतः, मुझे, पी० रंगानाथन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० 1289 और 1290 है, तथा जो अलटी डी० पोरवोरीय सोकोरो विलेज पंचायत तालुक बारडेज, गोआ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बारडेज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, (डाकुमेंट सं० 305/79) तारीख 14-5-1979 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. श्री प्रकाश रामाकृष्णा सलगावकर वासकोडागामा, गोआ
(अन्तरक)

2. श्री के० रामनाथ बालिगा मापूसा गोआ,
पता : मैनेजर सिण्डिकेट बैंक कल्पना टी० सी० 26/776 कोआपरेटिव कालेज रोड, त्रिवेन्द्रम
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 805/79-80 ता० 14-5-979)

घर सम्पत्ति सं० 1289 और 1290 का भाग जो "फानडेम गालय" के नाम से कहलाता है तथा जो अलटो पोरवोरिम सिकोरो विलेज पंचायत आफ सेराला तालुक बारडेज गोआ में है।

पी० रंगानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 10-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़, दिनांक 10 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० 256/79-80—यतः, मुझे, पी० रगानाथन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 1289 और 1290 है, तथा जो अलटो डी० पोरवोरीम सेराला आफ सीकोरो गांव पचायत बरडेज गोआ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बारडेज, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, (दस्तावेज स० 304/79-80) तारीख 11-5-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रकाश रामकृष्ण सलगावकर वासकोडागामा गोआ

(अन्तरक)

2. श्री एम० देवदास कीनी सनकयोलीम गोआ
पता : मनेजर सिण्डीकेट बैंक मिशन स्ट्रीट मैंगलूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

[दस्तावेज सं० 304/79-80 ता० 11-5-79]

घर सम्पत्ति स० 1289 और 1290 का भाग जो "फानडेभ शालम" तथा जो अलटो पोरवोरीम सीकोरो विलेज पचायत आफ सेराला तालुक बारडेज गोवा में है ।

पी० रगानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 10-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एम०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 3 नवम्बर 1979

निर्देश स० आर० ए० सी० 339/79-80—यतः, मुझे, के० के० वीर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन नं० 834 है, तथा जो नालगोंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नालगोंडा, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती शमसुन्नीसा बगम पत्नी एम० ए० अजीज
(2) श्रीमती रफीकुनासा बगम, पति मोहीनी दीन हुसन
5-4-94 एम० बी० रास्ता सिकन्दराबाद
(अन्तरक)
2. श्री सेक्रटरी सर्वेलाण्ड रिकार्ड उद्योग क्वापरेटिव हौज सोसाइटी रामगोरी नलगोण्डा
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य-वाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन सर्वे नं० 834, खसरा नं० 900 वीस्तर्न 13.27 एकर्स नलगोंडा गाऊ नलगोंडा रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 413/79 उप रजिस्ट्रार कार्यालय नलगोंडा में ।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 3-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 3 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० 340/79-80——यतः, मुझे, के० के० वीर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मलगी नं० 37 है तथा जो 22-7-269/37 दीवान देवडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आजमपुरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह से प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स शाह बुलडर्स 22-7-269/3 दीवानदेवडी हैदराबाद

(अन्तरक)

2. श्रीमती हेमलता पती जमना दास 8-1-212 शिवाजी नगर सिकन्दराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मलगी नं० 37-आर० सी० सी० का वीसतर्न 23.66 वर्ग मीटर न० 22-7-269/37 दीवान देवडी, हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज न० 940/79 उप रजिस्ट्रार कार्यालय आजमपुरा में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 3-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 3 नवम्बर 1979

निदेश स० आर० ए० सी० 341/79-80—यतः, मुझे, के० के० वीर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सर्वे 6-2-655 है, तथा जो कैरताबाद हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कैरताबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को धारण, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब; उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्रीमती विकारुनीसा बेगम,
   (2) श्रीमती आसिफजान बेगम,
   (3) श्रीमती मगबुल जान बेगम,
   (4) श्रीमती मीजमजान बेगम,
   (5) श्रीमती मिकरम जान बेगम,
   (6) श्री मिर्जा सलीम बेगम,
   (7) मिर्जा मुहमद अली बेगम,
   तमाम का घर नं० 6-10-123/ए मासाब टेनक हैदराबाद

   (अन्तरक)

2. (1) श्रीमती बीलकीज जान बेगम,
   (2) श्रीमती नजमुनीसा बेगम,
   (3) श्रीमती शहरयार जान बेगम,
   घर नं० 6-2-655 कैरताबाद, हैदराबाद

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन और घर नं० 6-2-655 कैरताबाद, हैदराबाद वीस्तन 2350 वर्ग यार्ड रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 956/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय, कैरताबाद में ।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 3-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 3 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० 342/79-80—यतः, मुझे, के० के० वीर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है ।

और जिसकी सं० जमीन नं० 157/7 है, तथा जो तीकटा सिकन्दराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एस० ईश्वर रेड्डी 157/7 तीकटा सिकन्दराबाद (अन्तरक)

2. दी राघवा क्वापरेटिव हौज बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटड 6/87/4 अलवाल सिकन्दराबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जिरायती जमीन वीस्तर्न एक एकड़ का विभाग सर्वे नं० 157/7 तीकटा हैदराबाद अर्बन सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 482/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में ।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 3-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 3 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 343/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मलगी नं० 33 है, जो 1-7-234 या 241 एस० डी० रास्ता स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए, था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

10—356 GI/79

(1) श्रीमती के० कमला पति सीता रामा राजु पदमाकीप पारडेन सिकन्दराबाद

(अन्तरक)

(2) सैयद नजमुल होसेन पिता सैयद अमीर हुसेन 453 एस० आर० डी० याकीतपुरा, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मलगी नं० 33—घर नं० 1-7-234 या 241-चन्द्रालोक कामपलकस एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद । रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 506/79-ऊप रजिस्ट्रीकार्यालय सिकन्दराबाद में ।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 3-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 3 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 344/79-80—यतः मुझे के० के० वीर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 33 कार्यालय है, जो एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 1979 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि० नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री स्वातिक कन्स्ट्रकुशन कम्पनी 111-एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद

(अन्तरिक)

(2) श्री बी० वी० शमराजु 1-10-1/15 अशोकनगर हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय नं० 337—3 मंजिला पर चेन्द्रालोक काम्पलेक्स सरोजनीदेवी रास्ता सिकन्दराबाद। रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 686/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 3-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 3 नवम्बर 1979

निदेश सं० आर० मे० सी० नं० 345/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० आफिस 237 मंजल 2 सिकन्दराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 111-एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद

(अन्तरक)

(2) श्रीमती बी० सी० घर नं० 1-10-1/15 अशोकनगर हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण।—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय नं० 237 दो मंजिला पर चन्द्रालोक का घर में 111-सरोजनी देवी रास्ता सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 687/79। ऊप रजिस्ट्रीकार्यालय सिकन्दराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद।

तारीख : 3-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 3 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 346/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269—ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 24 है, जो 16-2-मलकपेट हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अजमपुरा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, यह तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269—ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री वी० कृष्ण प्रसाद घर 1-8-549/2 धीकड़पल्ली हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री एस० नरहरि घर नं० 18-4-391, अलीमाबाद के बार—हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधिबाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 24, घर नं० 16-2-वैस्टर्न 1109, वर्ग यार्ड मलकपेट हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 718/79 ऊप रजिस्ट्री कार्यालय आजमपुरा।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी,
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 3-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 3 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 347/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 7 है, जो न्यायादीश कालोनी मलकपेट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आजमपुरा में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एस० सुन्दर राऊ पिता एम० कोनडलराऊ 3-6-696 मुकतादीबार एस० कोनडलराओ हिमायतनगर, हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री डाक्टर कर्नल जनारदन रेड्डी 1-5-16/सी० मुर्शीदाबाद, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 7-वीस्तर्न 450 वर्ग यार्ड न्यायादीश कालोनी मलकपेट हैदराबाद। रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 939/79 ऊप रजिस्ट्री कार्यालय आजमपुरा।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 3-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद
हैदराबाद, दिनांक 13 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 348/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० दोर नं० 1600/24 है, जो पतेकानपेट नेलूर स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है,), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नेलूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती कीन्डर स्त्री देवम्मा पति वेनकटा कृष्णन रेड्डी, घर पम्मारेड्डी पालम कोकुरतालुक नेलूर जिला

(अन्तरक)

(2) श्री (1) गडी रामचेन्द्रा रेड्डी
(2) गडी धरनोजा पति रामचेन्द्रा रेड्डी
अन्ना रेड्डी पलिम गाऊ, कोवुर नेलूर जिला

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 1600/- वार्ड नं० 24 पतेकानपेट नेलूर में है रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 702/79 ऊप रजिस्ट्रीकार्यालय नेलूर है।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 349/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 32/1 है, जो सीमाजीगुडा, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बात या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) धीतेन्दर परशाद घर नं० 6-3-1238 राज भवन रास्ता सीमाजीगुडा, हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्रीमती हबीबुनीसा बेगम, पति हुसीमीद्दीन पारुकी 3-1-298 नीमबोली अड्डा, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकान की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुलीजमीन सरवे नं० 32/1 मे० वीस्तर्न 1942.5 वर्ग यार्ड सीमाजीगुडा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 964/79 ऊर रजिस्ट्रीकार्यालय कैरताबाद में ।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-11-79
मोहर :

प्ररूप आई०टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 नवम्बर 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 350/79-80—यतः मुझे के० के० वीर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 118/2 है, जो कैरताबाद, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती हेमालता देवी 7-1-414/45 श्रीनिवासनगर इस्टेट हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री (1) धेल्ला प्रसन्नाकुमार
(2) धेला प्रवीन कुमार
3-6-462/हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर की खुली जमीन 546 वर्ग यार्ड कैरताबाद हैदराबाद में है रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 977/79 में है उप रजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में जमीन का सरवे नं० 118/2 में है।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० —

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 नवम्बर 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 351/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 6-3-907/912 है, जो सीमाजीगुडा हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कैरातबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

11—356GI/79

(1) श्रीमती डाक्टर बी० पीनटु 149/ए ब्रिगेडियर सैयद रास्ता, सिकन्दराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री सुनील पिता, हरीराम सधीदेव 32-सावनाधर बामबे-26।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन वीस्तर्न 412 वर्ग यार्ड नं० 6-3-907/912 राज भवन रास्ता के पास सयमाजीगुडा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1002/79 ऊप रजिस्ट्री कार्यालय कैरातबाद में।

के० के० वीर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-11-79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 352/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 2 एस है, जो 384 सीमाजीगुडा हैदराबाद स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण-रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त, अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती हुसीराला सत्यावती और दूसरे
पनघेन्द्रा गुडीवाडा तालुक कृष्णा जिला
(अन्तरक)

(2) श्रीमती के० कामेश्वरी आई० सी० 68
येरममंजील-कालोनी हैदराबाद
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खाली जमीन नं० 2 सरवे नं० 384 सीमाजीगुडा हैदराबाद में वोल्यूम 867 वर्गयार्ड रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1055/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-11-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 1 नवम्बर 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 353/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन 129 है, जो युसुफगुडा हैदराबाद में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती पी० कमला देवी पत्नि पी० रामचन्दर राऊ 12/2/725/23 पी० और टी० कालोनी हैदराबाद। (अन्तरक)

(2) श्री दी० सेरवेल कुवापरेटु होसिंग सोसाईटी लिमिटेड, हैदराबाद-28 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन सर्वे नं० 129 वीस्तर्न 39.4 गुनटास युसुफगुडा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1065/79 उप रजिस्ट्रो कार्यालय कैरताबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 354/79-80—यतः मुझे के० के० वीर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें; इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है।
और जिसकी सं० जमीन नं० 129 है, जो युसुफगुडा हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजर मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्सास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री पी० रामचनदर राऊ
12-2-725/23-पी० आर० टी० कालोनी
रेती बौनी हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री टी० सेरेवेल कुवापरेटु होजीनगर सोसाईटी लिमिटेड रेती कौली हैदराबाद-28।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन सर्वे नं० 129 वीस्तर्न 23 3/4 गुनटास युसुफगुडा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1066/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11 13-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 355/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन नं० 129 है, जो युसुफगुडा हैदराबाद स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्री पी० वेनकटेशवर राऊ
12/2/725/23 टी० ओ० टी० कालोनी
हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री टी० सरवेल कुवापरेटु हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन सर्वे नं० 129 युसुफगुडा हैदराबाद में है वीस्तर्न 2873.75 वर्ग यार्ड रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1068/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में है।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 356/79-80--यतः मुझे के० के० वीर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 234 है, जो गुडीमलकापुर हैदराबाद स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती लक्ष्मी कुसुमाम्बा
बी० रंगय्या के द्वारा
बाकारम हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री डी० सेरेवेल कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड रेती बौली
हैदराबाद-28।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन सर्वे नं० 234 गुडीमलकापुर वीस्तर्न नं० 2.15 मेकर्स रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1070/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख 13-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 357/79-80—यतः मुझे के० के० वीर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन 234 है, जो गुडामलवापुर हैदराबाद स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 79 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती के० सरोजनीदेवी पति वेनकट नरसय्या 16-11-1/5/8 सलीमनगर कालोनी हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री डी० सेरेवेल कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड रेती बौली, हैदराबाद-28

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन सर्वे नं० 234 गुडीमलकापुर हैदराबाद वीस्तर्न 1.07 मेकर्स रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 716/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय खैरताबाद में

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-11-1979
मोहर।

प्ररूप आई टी एन एस————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 15 नवम्बर 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 358/79-80—यतः मुझे के० के० वीर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० जमीन 32/1 है जो शिवाजी गुडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; औरया

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धार 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात –

(1) श्री धीतेन्द्र राज 1238/शिवाजिगुडा हैदराबाद (अन्तरक)

(2) श्रीमती रेनुका बालीराऊ सी-5-आर० आर० लाबा तारनाका हैदराबाद

(अन्तरती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन और सर्वे नं० 32/1 सीमाजीगडा हैदराबाद वीस्तर्न 875 [illegible] रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 849/79 उप रजिस्ट्रीकार्यालय सिकन्दराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 15-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 15 नवम्बर 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 359/79-80—यतः मझे के० के० वीर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 4 और 5ए है जो परमागुटा हैदराबाद स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री मोहनलाल लकीटीवा
6-3-927/बी राजभवन रास्ता
सीमाजीगड़ा हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री शरीफ महम्मद अकील अनसारी
ममताज अहमद के-रपी है।
6-3-666/ए पनजागुटा हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 4 और 5ए घर नं० 772/4 पनजागुटा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1287/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 15-11-79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 15 नवम्बर 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 360/79-80—यतः मुझे के० के० वीर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० नं० 40 ता 44 है जो गनडीगुडा राऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद वैस्ट में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मैसर्स डी० एल० एफ० यनाइटेड लिमि०
21-22 नरीन्द्रामहल
पार्लियामेन्ट भवन नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) मैसर्स प्रीतम गरडेन
प्रीतमपाल 16-1-484
सैदाबाद हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जरायती जमीन वीस्तेन 50 एकर्स 29 गुनटाल गनडीगुडा गाऊ रन्गारेड्डी जिला सर्वे नं० 40 41 42 43 44 रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 536/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद ईस्ट में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 15-11-79
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एस०एन०———

आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 15 नवम्बर 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 361/79-80—यतः

मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इस के पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० अधिक है

और जिसकी सं० 6-3-883/डी/12 है जो पन्जागुडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करना या उस से बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० रघुनन्दा राऊ

(2) एम० श्रीनिवास
6-3-883/ए-/12 पनजाकुटा कालोनी
हैदराबाद

(2) श्रीमती गनेसी बाई कुनडलया पत्नि एफ० सी० कुनडलीय

(2) रमेश कुमडलीया

(3) अशोककुनडलीया

(4) मनजु आर कुनडलीया, तमाम का घर
6-3-88/ए/12/1
पनजागुटा कालोनी हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

घर नं० 6-3-883/ए/12-और 6-3-883/ए/12/1 पनजागुडा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1001/79 ऊप रजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में ।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 15-11-79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 15 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 362/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 10-3-108/1 है, जो ट्री० मारिडपल्ली स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री एन० सी० वाटसा पिता देविड वाटसा 10-3-108/1 ईस्ट मरिडपल्ली सिकन्दराबाद

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सेटी गोपाल कृष्णामूर्ति 1-3-166 राजामुदीदार गली, सिकन्दराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 10-3-108/1 प्लाट नं० 29ए है, ईस्टमरिजपल्ली सिकन्दराबाद में। रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 476/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, अधिकारी

तारीख : 15-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 15 नवम्बर 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 363/79-78—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 10-1-5/2 है, जो ई० मारेजपल्ली स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० पी० नायर पिता पी० कृष्णापीलि
2/सी० पी० आर० अवेन कोचीन
केराला।

(अन्तरक)

(2) श्री रजीक कृष्ण गुप्ता
घर नं० 8-2-139 रास्ता नं० 3
बनधारा हिल्स हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तमाम जमीन और घर वीस्तर्न 340-64 वर्ग यार्ड प्लाट नं० 2 सर्वे नं० 65/2 और घर नं० 10-1-5/2 इस्टमरिडपली रजिस्ट्रीकार्यालय सिकन्दराबाद में है।

के० के० वीर०
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 15-11-79
मोहर :

फार्म आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 15 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 364/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन नं० 46, 48 है, जो 52/1 मारेडपल्ली स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण-लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वी० नागराजन घर नं० 163 मारेड पली वेस्ट सिकन्दराबाद

(अन्तरक)

(2) रेलवे उद्योग समयक्त घर सोसाईटी लिमिटेड सोसाईटी लिमिटेड टी० सुब्रमनयम अधीकारी है, रेलवे नीलयम, सिकन्दराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जरायती जमीन वीस्टर्न 8-25 एकर्स मारेडपल्ली गाऊ सिकन्दराबाद में सर्वे नं० 46, 48, 52/1, 54/1, 55/1, 59/1, रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 513/7 ऊप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 15-11-79

महर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 15 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 365/79-80—यतः मुझे के० के० वीर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० 12-5-87 है, जो लाला गुडा स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाय गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री रिनालड मैकलस डी० रोजियो
13-बी-धोटुटेराम कोलाबु रास्ता बाम्बे
(2) ए० ज० धाको
(3) तीसरी मोरीन पोलीमीन
(4) एवानी गलासीपीर्ग

(अन्तरक)

(2) मरकीस पीलीफ पुटमेन
12-5-87—बतकमाकुनटा
सिकन्दराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एस्टेट विभाग घर नं० 12-5-87—बतकम्माकुनटा लालागुडा सिकन्दराबाद 788 वर्ग यार्ज रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 568/78 ऊप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी,
(सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख 15-11-79
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 15 नवम्बर, 1979

निदेश सं॰ आर॰ ये॰ सी॰ नं॰ 366/79-80—यतः मुझे के॰ के॰ वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं॰ विभाग नं॰ 12-5-87 है, जो लालागडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री (1) रोनाल्ड मैकलडी डी॰ रोजरीयो
(2) ए॰ जी॰ चाको
(3) माऊरीन दीलीना चाको
(4) मैसै यनीवर्सैल्स 13/बी, कोटी देराम, बाम्बे। (अन्तरक)

(2) वीटले पुटमेन
12-5-87—सिकन्दराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं॰ 12-5-87-पडमरत्रीभाग ह् बतकम्माकनट लालागुडा सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं॰ 569/79। ऊप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में।

के॰ के॰ वीर
सक्षम प्राधिकारी,
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख :15-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 15 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 367/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० 8-2-503 है, जो जुबिली हिल्स स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद कैरतावाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

13—356 GI/79

(1) श्रीमती कुसुम भारती पति देव दास भरती
(2) सतीश चन्द्रा भारती
(3) सुधीरचन्द्रा भारती तमाम का घर नं० 8-2-503 जुबलीहिल्स हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) (1) श्रीमती नरिमला बेन पति सीवाली
(2) श्रीमती मनजुला (3) नीलीन कुमार
(4) गिरीशकुमार, (5) नीलेशकुमार घर नं० 8-2-503 जुबली हिल्स, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला घर नं० 8-2-500 और उस के सम्बन्धी घर मोटारकान अध्योगीकी का घर—नोगरानी कार का घर, वगैरा वीस्तर्न 3358.12 वर्ग मीटर है धुबली हिल्स हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 802/79 ऊप रजिस्ट्री कार्यालय कैरतावाद में।

के० के० वीर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जनरेंज, हैदराबाद

तारीख : 15-11-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी०एन० एम०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 15 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 368/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० 10-3-173 है, जोमारेड पली सिकन्दराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वीपुला वेंकट लक्ष्मी पति वी० जी० नागेश्वर राऊ मरिडपल्ली सिक सीकीशज कालोनी सिकन्दराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री मोईद मला तायुब भाई ममजीवाला
कृष्णा कालोनी, अशोक निवास नोलकपुर, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

वीमनजिला घर नं० : 10-3-173 और जमीन नं० 21/1ए वीस्तर्न 222.22 वर्ग यार्ड है सनत जार्ज रास्ता सिकन्दराबाबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 615/79 ऊप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 15-11-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० — ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 15 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 369/79-80—यत: मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3-6-135 है, जो हिमायत नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती हीलमोहिनी पति स्वर्गीय राज कौशल राज, घर नं० 494/22/सनजीवरेड्डी नगर, हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री हनुमान प्रसाद पिता भूरामल
(2) रमेश चन्द्र,
(3) सुरेश चन्द्र
(4) नारायणी बाई पति हनुमान प्रसाद घर नं० 3-6-139/1, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 3-6-136 विस्तीर्ण 885 वर्ग यार्ड हीमायत नगर, हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज सं० 1627/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 15-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 370/79-80—यत: मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 38 और 39 है, जो 16-2 सैदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री प्रभाकर राउ प्रतापनस पिता स्वर्गीय हनुमान राउ, 6-2-906 कैरताबाद, हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) लेक्रेटेरी, स्टेट बैंक हैदराबाद, उद्योग कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन सर्वे नं० 38 और 39 वार्ड नं० 16-2 विस्तीर्ण 8 एकड़ सैदाबाद हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 927/79 रजिस्ट्री कार्यालय आजमपुरा में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० न० 371/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 4-1-938/215 व 17 है, जो तिलक रोग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कृष्ण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 5-8-612 अबीद रास्ता, हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती परहाना युसुपीदीन 6-3-1119/ए बेगम पेट, हैदरबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकान की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, भीरत पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 4-1-938/आर 15 व 17 तीसरे मन्जिल पर श्रीकृष्ण काम्प्लेक्स तिलक रास्ता हैदराबाद के पास में है विस्तीर्ण 1157 वर्ग यार्ड, रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1835/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकरी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 नवम्बर, 1979

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 372/79-80—यत: मुझे के० के० वीर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 4-1-938/आर०-12 व 14 है, जो तिलक रास्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री कृष्ण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 5-8-612 आबीद रास्ता, हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री वी० वीशवेशर राऊ, 1-1-404/ए बाकारम, हैदराबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

हाल नं० 4-1-938/आर 12 ता० 14 तीसरे मन्जिल पर श्री कृष्ण घर, तिलक रास्ता हैदराबाद में है। रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1518/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 373/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 4-1-938/आर० 19 व 20 है, जो तिलक रास्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 1979 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मैसर्स श्री कृष्ण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 5-8-612 आबीद रास्ता, हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री मोर मुहम्मद अली खान, 6-2-6 लकड़ी का पुल, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मझोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 4-1-938/आर० 19 और आर०-20, 5 मन्जिलेपर। कृष्ण काम्प्लेस, तिलक रास्ता हैदराबाद। रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1519/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 374/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधीकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 79 है, जो एस० पी० रास्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और /या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मुहम्मद अबदुल आदी "ए-कौसर्स", मलकपेट, हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री सैयद युसुफ 10-4-11/7, मासाबटेनक, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर प्लाट नं० 79 विस्तीर्ण 194 वर्ग यार्ड, इजाजत नामा नं० 1548/114/74, सरवार पटेल रास्ता, सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 642/79, उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद।

तारीख : 16-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 375/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3-5-121 व 142 है, जो ऐडीन गार्डेन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च, 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनिय०, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्रीमती सयेबाजादी अजीधीया बेगम पती नवाबीस जान बहादुर नवाजीस नीला, ऐडीन गार्डेन, रदराबाद।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मोहन्दर कौर पति सरदार करतार सिंह, 5-2-423 रीसाला अबदुल्ला, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो थी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन नं० 3-5-121 ता० 142 ऐडीन गार्डेन किन्ग कोठी, हैदराबाद। विस्तीर्न 566 वर्ग यार्ड। दस्तावेज नं० 1464/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 376/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० खुली जमीन है, जो सैदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद, आजमपुरा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती तहजीबुन्नीसा बेगम, 16-2-867 सैदाबाद हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) स्टेट बैंक उद्योग को आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 57 मलकपेट. गनफाउन्ड्री, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन विस्तीर्ण 2229 वर्ग यार्ड, सैदाबाद हैदराबाद में। रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 655/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय आजमपुरा में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 377/79-80—यतः मुझे के० के० वीर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० खुली जमीन है, जो सैदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन आजमपुरा में तारीख मार्च, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती तहज़ीबुनीसा बेगम, 16-2-867 सैदाबाद हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) स्टेट बैंक हैदराबाद उद्योग को आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, लिमिटेड, मलक पेट, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन विस्तीर्न 2771 वर्ग यार्ड, सैदाबाद हैदराबाद। रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 654/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय आजमपुरा में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 378/79-80—यतः मुझे के० के० वीर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है'), की धारा 269—ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 15-9-297/1 है, जो 15-9-299 अफजल गंज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, यह तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269—ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) 1. श्रीमती जयाबुन्नीसा बेगम, 2. अहमद दीलावर शरीफ, 3. मुहम्मद युसुफ शरीफ, 4. मुहम्मदकाघा शरीफ, 5. दीलावर बेगम, 6. कैरुन्नीसा बेगम, 7. मुरीसा बेगम, 15-9-297/1 अफजल गंज, हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री सैयद यूसुफ और सैयद इब्राहीम 17-8-343 धाऊनी नदिअली बेग, याकुतपुरा, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 15-9-297/1 और मलगी नं० 15-9-299/ (पहला और दूसरा मन्जिल पर) अफजल गंज, हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1828/79 उप रजिस्ट्री दस्तावेज नं० हैदराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 16 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 379/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मलगी नं० 1 है, जो सागर वी मकान में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)* के अधीन मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ।—

(1) श्रीमती नरबदा बाई, (2) श्री मुकुन्दलाल पति (3) श्री लक्ष्मीनिवास पति घर नं० 4-1-10 तिलक रोड, हैदराबाद ।

(2) श्री मुहम्मद अली मकान 8-7-685 दारुगली निजामाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मलगी नं० 1 जमीन की सतह पर "सागर वी मकान" 1-2-524/3 दीमल गुडा, हैदराबाद। विस्तीर्ण 231 वर्ग फीट, रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1798/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 16-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद
हैदराबाद दिनांक 17 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 380/79-80—यतः मुझे के० के० वीर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 1-10-47/1 है, जो अशोक नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1808 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री वेन्कटराउ पिता श्री सीतारामय्या, श्रीमती शशीरिका स्त्री सीतारामय्या, 4-1-920 तीलक रोड, हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) डाक्टर बी० नरसिम्मारेड्डी, 5-8-50/2, नामपल्ली हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि; जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विभाग घर 1-10-47/1 अशोक नगर हैदराबाद। पहला मन्जिला पर 1620 वर्ग यार्ड। रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1759/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 17-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 17 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 381/79-80—यतः मुझे के० के० वीर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 3-6-158 है, जो हिमायत नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती इन्दिरा बाई पति स्वर्गीय राजा दीलराम बीरजी, पुराना बाग, दीलीटोकी, हैदराबाद।
(अन्तरक)

(2) डाक्टर सैयद जवीद मुनीर पिता सैयद मुनीर अहमद 318/बी, मलेपली, हैदराबाद।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

बीभागी घर नं० 1 म्युनिसिपल नं० 3-6-158 हैदर गुडा गुडा, हिमायत नगर, हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1631/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय, हैदराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 17-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 17 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 382/79-80—यतः मुझे के० के० वीर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० वीबरा 3 का 3-6-658 है, जो हैदरगुडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती इन्दिरा बाई पति स्वर्गीय राजादीलेराय बीरजी, 8-2-861/ए, रोड नं० 12 बनजारा हिल्स, हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) डाक्टर सैयद मजीद मुनीर 318/बी, महापली हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विभागी नं० 3 घर नं० 3-6-158 हैदरगुडा हैदराबाद हिमायत नगर का विभाग विस्तीर्ण 208.00 वर्ग यार्ड। रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1632/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 17-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 17 नवम्बर 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 8383/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रुपये से अधिक है,

और जिसकी सं० 6-8-139 वा 137 है, जो हनम कोनडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वारंगल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) 1. श्रीमती न शनता अय्यांगर पत्नी थेन-सी अय्यांगर, 2. डाक्टर रनगराव, 3. एन० रामप्रसाद 4. मेन द्वारकानाथ, 5. श्रीमती जया लक्ष्मी प्रमोद' 6. श्रीमती तारा सत्यान, 7. श्रीमती रमा बालाजी, जया नगर, बेंगलूर। (अन्तरक)

(2) श्री यादा नारायणा पीनावारी गली, वारंगल के निवासी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मलगी नं० 6-8-134 धीरे रास्ता हनमकोनजा वारंगल रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 620/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय वारंगल में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 17-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 17 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 384/79-80—यतः मुझे के० के० वीर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 6-8-135 न, जो हनम कोनडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, वारंगल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1879

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् —

(1) 1. श्रीमती शान्ता आय्यंगर, (2) डाक्टर एन० रत्नाराव, (3) एन० रामप्रसाद, (4) एन० द्वारकानाथ, (5) श्रीमती जयालक्ष्मी प्रमोद, (6) श्रीमती तारा सत्या, (7) श्रीमती रामा-बालाजी श्री बालाजी 367 जया नगर, बेंगलूर।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती मदनपली पद्मा पति एम० कोशटय्या, 1-8-157 तनती कार्यालय, हनमकोनडा, वारंगल।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मलगी नं० 6-8-135 चौरास्ता हनमकोनडा वारंगल रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 621/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय वारंगल।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 17-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 17 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 385/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है ।

और जिसकी सं० मलगी नं० 6-8-736 है, जो हनमकोनडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वारंगल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922) का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती एन० शान्ता आय्यंगर पति एन० आय्यंग (2) डाक्टर एन० रंगनाथ, (3) रामाप्रसाद (4) एन० द्वारकानाथ, (5) श्रीमती जयालक्ष्मी प्रमोद, (6) श्रीमती तारा सत्यन, (7) श्रीमती रामाबालाजी, 367, जयानगर, बेंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) श्री नसरीवीन पिता करमाली मसली गीरयाजीपेट वारंगल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मलगी नं० 6-8-136 हनमकोनडा वारंगल रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 622/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय वारंगल में ।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद ।

तारीख : 17-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 17 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 386/79-80—यत: मझे के० के० वीर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मलगी नं० 6-8-137 है, जो हनमकोनडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वारंगल भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) (1) श्रीमती एन० शान्ता आय्यंगर पति एन० टी० आय्यंगर, तारनाका हैदराबाद में। (2) डाक्टर एन० रंगाराव, (3) एन० रामप्रसाद, (4) द्वारकानाथ, (5) श्रीमती जयालक्ष्मी प्रमोद (6) श्रीमती तारासत्यम, (7) श्रीमती रामाबालाजी।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सीतारामुलु, वारंगल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मलगी नं० 6-8-137 चौरास्ता हनमकोनडा वारंगल में है, रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 623/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय वारंगल में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 17-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 17 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 387/79-80—यतः मुझे के० के० वीर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० 6-8-130, 131, 132 तथा 133 है, जो हनमकोनडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कार्यालय, वारंगल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के [प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।]

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) (1) श्रीमती एन० शान्ता आय्यंगर पति डाक्टर आय्यंगर तारनाका हैदराबाद, (2) डाक्टर रंगाराज, (3) एन० रामप्रसाद, (4) एन० द्वारकानाथ, (5) श्रीमती जयालक्ष्मी प्रमोद, (6) श्रीमती तारा सत्यन, (7) श्रीमती रामा-बालाजी।

(अन्तरक)

(2) (1) श्री गुनडा सीकुमार (मेनर) पिता श्री लिन्गामुखी, (2) श्री श्री कुमार (माइनर), (3) श्री श्रवण कुमार, (4) श्री उमामहेश्वर, (5) श्री जीतेन्द्र कुमार, 12/635 ता० 650, वारंगल।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर और मलगी नं० 6-8-130, 131, 132 और 133, चौरास्ता हनमकोनडा, वारंगल के पास में। रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 624/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय वारंगल में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 17-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 17 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 388/79-80—यतः
मुझे के० के० वीर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० 6-8-129, 137 है, जो हनमकोनडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वारंगल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) (1) श्रीमती एन० शान्ता आय्यंगर, (2) एन० रंगराज, (3) एन० रामाप्रसाद, (4) एन० द्वारकानाथ, (5) श्रीमती जयालक्ष्मी, (6) श्रीमती तारासत्यन, (7) श्रीमती रामाबालाजी बेंगलूर।

(अन्तरक)

(2) (1) श्री रामाबरपु प्रकाशम, (2) आर० विद्यासागर, (3) आर० सुदर्शन, पुरानाबीट बाजार, वारंगल के निवासी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर और मलगी नं० 6-8-129 और 137 उप रजिस्ट्री कार्यालय हनमकोनडा, वारंगल, रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 625/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय, वारंगल में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 17-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 17 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 389/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 2 है, जो 8-2-696/697 बनजारा हिल्स में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री ओ० पी० वासुदेव पिता अमीन चन्द्रा, कोटल रोड, नागपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुरेन्द्र कौर कोहली, पति अमरजीत सिंह कोहली, (2) मैसर्स गुरजीत कौर कोहली 3-6-131/1 हैदरगुडा, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1196 वर्ग यार्ड प्लाट नं० 2 कम्पनी घर नं० 8-2-696/697, रास्ता नं० 12 बन्जारा हिल्स, हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1784/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय, कैरताबाद में।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 17-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 17 नवम्बर, 1979

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 390/79-80—यतः मुझे के० के० वीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 7-12 है, जो लकसीटीपेट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मनपीरमाल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफिल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) (1) श्री जे० एन० उपेन्द्र राव, (2) जे० नरेशकुमार, 1-2-412/8, बेगम महल कालोनी, हैदराबाद। (अन्तरक)

(2) श्री एन० कानय्या पिता जैनराय्या, 7-12 लकसेटी-पेट, करीमनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 7-12 लकसेटी पेट, करीमनगर में है रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 239/79 उप रजिस्ट्री कार्यालय मनचेनयीला में ।

के० के० वीर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 17-11-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एम० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 296-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर का कार्यालय

जालन्धर, दिनांक 29 अक्तूबर, 1979

निदेश सं० ए० पी० सं० 1964—यतः मुझे बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मेला सिंह सहोता, सहोता बिल्डिंग सिवल लाइन्स, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) मै० ऐपेक्स इन्स्ट्रीज म० 54 दादा कालोनी, इन्डस्ट्रियल एरिया, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 8645 मार्च, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के पास लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 29-10-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर कार्यालय

जालन्धर, दिनांक 2 नवम्बर, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1966—यतः मुझे बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, मार्च, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) सर्वश्री सतनाम सिंह, हरजीत सिंह, मोहन सिंह पुर लाज सिंह, रवीदास नगर, जालन्धर।
(अन्तरक)

(2) श्री गुरदयाल सिंह पुत्र हजारा सिंह, जसबीर कौर, पत्नी हरदियाल सिंह, कोठार।
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण 1—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जैसा कि विलेख सं० 8128 मार्च, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के पास लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 2-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 7 नवम्बर 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1967—यतः मुझे बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जी० टी० रोड फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुरदियाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, जी० टी० रोड, फगवाड़ा

(अन्तरक)

(2) श्री जनक राज दुग्गल पुत्र बलराज दुग्गल, जी० टी० रोड, फगवाड़ा।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 2208 मार्च 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फगवाड़ा में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 7-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 7 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1968—यतः मुझे बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती राज कौर पत्नी हीरा सिंह ई० सी०-139 पेज पीर, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती राजिन्द्र कौर पत्नी तरलोचन सिंह ई० एफ० 52 लाडो कली रोड, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 8109 मार्च 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 7-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 7 नवम्बर 1979

निर्देश सं० ए० पी० नं० 1969—यतः मुझे बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री केसर सिंह पुत्र कौर सिंह ई-सी-139, पंजपीर जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती राज कौर पत्नी हीरा सिंह पंजपीर, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 8110 मार्च, 1979 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के पास लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 7-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 7 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1970—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, मार्च 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री वेद प्रकाश पुत्र तेलू राम सिंगला, जी० टी० रोड, फगवाड़ा।

(अन्तरक)

(2) श्री कृष्ण चन्द्र पुत्र राम सरूप खोसला, सुभाष नगर, फगवाड़ा।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 2201 मार्च, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा के पास लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 7-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 7 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1971—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1979
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रूप चन्द पुत्र तेलू राम सिंगला, जी० रोड, फगवाड़ा।

(अन्तरक)

(2) डा० कृष्ण चन्द्र पुत्र राम सरूप सुभाश नगर, फगवाड़ा।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसाकि विलेख नं० 2219 मार्च 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा के पास लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 7-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 7 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1972—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री चमन लाल पुत्र तेलू राम सिंगला, जी० टी० रोड, फगवाड़ा।

(अन्तरक)

(2) डा० ऊषा खोसला, पत्नी डा० कृष्ण चन्द्र खोसला, सुभाष नगर, फगवाड़ा।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर सं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानना है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख सं० 2203 मार्च, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 7-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 7 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1973—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री रूप चन्द पुत्र तेलू राम दिगला, जी० टी० रोड, फगवाड़ा।

(अन्तरक)

(2) डा० ऊष, खोसला पत्नी डा० कृष्ण चन्द खोसला सुभाष नगर, फगवाड़ा।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 2218 मार्च 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 7-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 7 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए० सी० नं०/1974—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1979
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री चमन लाल पुत्र तेलू राम सिंगला, जी० टी० रोड, फगवाड़ा।
(अन्तरक)

(2) श्री राम सरुप पुत्र राम नाथ खोसला, सुभाष नगर, फगवाड़ा।
(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 2220 मार्च 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 7-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए० सी० सं० 1975—यतः, मुझे बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो गांव शांकर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नकोदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री चानन सिंह पुत्र अतर सिंह गांव शांकर तहसील नकोदर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जगदीश कौर पत्नी श्री अजीत सिंह गांव शांकर, तहसील नकोदर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर सं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 2982 मार्च, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर के पास लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 8 नवम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1976—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो गांव जेठपुर तहसील जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1979 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री तेजा सिंह पुत्र कान्शिक सिंह जेठपुर, तहसील जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री सोहन सिंह, मलकीयत सिंह पुत्र तेजा सिंह गांव जेठपुर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे म अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख सं० 8631 मार्च 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के पास लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 8-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 9 नवम्बर, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1977—यत: मुझे बी० एम० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर से स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र महताब सिंह माडल टाउन फगवाड़ा।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती हरपाल कौर पत्नी गुरदीप सिंह एन० एम० 123 मोहल्ला कराहवां, जालन्धर।

(अन्तरक)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय-20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 5562 मार्च, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के पास लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 9-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 9 नवम्बर, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 978—यत: मुझे बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण-रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती गुरदियाल कौर पत्नी हरभजन सिंह बेरा रोड, फगवाड़ा।

(अन्तरक)

(2) श्री बाल कृष्ण पुत्र रखी राम वासी प्रतापपुरा तहसील, फिलौर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 2199 मार्च, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा के पास लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 9-11-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर कार्यालय

जालन्धर, दिनांक 9 नवम्बर, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1979—अतः मुझे बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो फगवाड़ा से स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरदियाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, जी० टी० रोड, फगवाड़ा।

(अन्तरक)

(2) श्री कैलाश चन्द्र पुत्र जगन्नाथ, जी० टी० रोड, फगवाड़ा।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जैसा कि विलेख नं० 2209 मार्च 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा के पास लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 9-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 7 नवम्बर, 1979

निदेश सं० टी० आर० 148/अर्जन/आगरा/78-79—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है।

और जिसकी सं० 5/85 बाके है तथा जो मदिया कटरा मथुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और यह है कि अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री सुरेन्द्र नाथ बंसल पुत्र रघुनाथ बंसल, नरेन्द्र कुमार बंसल पुत्र श्री जमुना प्रसाद बंसल, सुरेन्द्र कुमार बंसल पुत्र कैलाशनाथ बंसल, अरविन्द बसल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद बसल, निवासी रघुनाथ नगर, महात्मा गांधी रोड आगरा।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स लिबर्टी फुटवियर कम्पनी बाके मथुरा रोड आगरा, पार्टनर श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक शहरी जायदाद नंबरी 5/85 बाके मदिया कटरा मौसूमा मथुरा रोड आगरा आधा भाग शामलाती।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 7-11-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 7 नवम्बर 1979

निदेश सं० 762/अर्जन/आगरा/78-79—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 5/85 है तथा जो मदिया कटरा आगरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 10-5-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री सुरेश नाथ बंसल पुत्र श्री रमेश नाथ बंसल, नरेन्द्र बंसल पुत्र श्री जमुना प्रसाद बंसल, सुरेन्द्र कुमार बंसल पुत्र श्री कैलाशनाथ बंसल, अरविन्द बंसल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद बंसल, निवासी रघुनाथ नगर, महात्मा गांधी रोड, आगरा।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स लिबर्टी एवर प्राइजेज वाके मथुरा रोड, आगरा द्वारा पार्टनर पुरुशोत्तमदास गुप्ता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक शहरी जायदाद नम्बरी 5/85 वाके मदिया कटरा आगरा का आधा भाग शामलाती।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 7-11-1979

मोहर :]

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 7 नवम्बर, 1979

निदेश सं० 749/अर्जन/मिरठ—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या सेठ वाड़ा मथुरा है तथा जो मथुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मथुरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से दर्शित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुरेन्द्र चन्द अग्रवाल, निवासी सेठवाड़ा, तिलक द्वार, मथुरा।

(अन्तरक)

(2) श्री रामनाथ अग्रवाल, नि० केसरवार मथुरा व श्रीमती सुशीला देवी, सुभाष चन्द्र अग्रवाल निवासी सतधड़ा, मथुरा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक हिस्सा मकान नं० 1206 पुराना व 1317 नया वार्ड के सेठ वाड़ा तिलक द्वार, मथुरा।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 7-11-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 मई 1979

निदेश सं० 542-ए/पी-नं०/कैराना/79-80--अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 99, 104, 106 है तथा जो ग्राम बहेड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कैराना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-5-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मुखबीर सिंह व बलराम सिंह पुत्रगण आसा राम ग्राम पुरमाकी परगना झिन्झाना हाल बहेड़ा परगना झिन्झाना, तहसील कैराना, जिला मुजफ्फरनगर।

(अन्तरक)

(2) श्री चमन लाल पुत्र देवी चन्द व श्रीमती चन्द्रा प्रभा स्त्री चमन लाल ग्राम बहेड़ा परगना झिन्झाना तहसील कैराना, जिला मुजफ्फरनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित को तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 99/1/1, 106/2 अ 10 किले 7III/2 ल० 77.35 सालाना स्थित ग्राम ढिढालो परगना झिन्झाना व दरोवस्त मकान दक्षिण मुहाना व इससे मिला हुआ, दूसरा मकान दक्षिण मुहाना तामोर कच्ची ग्राम बहेड़ा परगना झिन्झाना, तहसील कैराना, जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 27-5-1979।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 अक्तूबर 1979

निर्देश सं० 205ए/पी० एन०/बागपत/79-80—यतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 2749 है, तथा जो ग्राम छपरौली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बागपत में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-5-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) के अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तर के लिए तथ और प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में पाया गया वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री मुन्शी व करमसिंह पुत्रगण देवी राम, नि० विनौली, प० बरनावा, तहसील, सरधना, जिला मेरठ। (अन्तरक)

(2) श्रीमती सरला देवी पत्नी सुरेशपाल, व मु० बाहेती बेवा इकबाल सिंह, नि० छपरौली तह० बागपत, जिला मेरठ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि ग्राम छपरौली बांगार का ख० नं० 2749/6/3-11 मि० लगान सालाना 80.33 पैसे।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 27-10-1979

मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 29 अक्तूबर 1979

निदेश सं० 118-ए/पी/एन/मंसूरी/79-80—अतः मुझे बी० सी० चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो खलमान स्प्रिंग रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मंसूरी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16-4-79 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों), के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को भावी उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) श्री अमी चन्द्र सचदेव, 13, कैन्टोनमेन्ट, अमृतसर (अन्तरक)

(2) श्री प्रीतम सिंह, सागर भवन, कुलरी मंसूरी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गृह सम्पत्ति तीन मंजिला जो कि स्प्रिंग रोड, मंसूरी में स्थित है।

बी० सी० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 29-10-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना सातारा रोड, पूना
पूना, दिनांक 13 नवम्बर, 1979

निदेश सं० सी० ए०/एस०आर०-अहमदाबाद/अगस्त 79/458—अतः मुझे ए० सी० चन्द्रा
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० सी० एस० क्र० 3576/1 है, तथा जो अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 24-8-79
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269.ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. वि अहमदाबाद, इमारत कम्पनी लिमिटेड,
प्रेसिडेंट : श्री एस० आर० तांबोली,
चेयरमैन, : श्री एम० एम० सोनी, अहमदनगर
(अन्तरक)

2. श्री कनकमल भगनमल गांधी,
मिरी तालुका, पाथर्डी, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर ।
(अन्तरिती)

4. मैसर्स एम० आर० भिंगारवाला,
क्लाथ मार्केट, अहमदनगर,
(वह व्यक्ति, जिसके आरे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त उम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्रापर्टी : सी० एस० क्र० 3576/1, अहमदनगर, सिटी
क्षेत्र फल : 66.3 वर्ग मीटर्स ।
(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 1676 दिनांक 24-8-79 को सब रजिस्ट्रार अहमदनगर के कार्यालय में लिखा है)

ए० सी० चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख 13-11-79
मोहर :

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 19th November 1979

No. F.6/79-SCA (I)—The Hon'ble the Chief Justice of India has promoted/appointed the following Officers and members of the the staff of this Registry to the post shown against each with effect from the forenoon of November 16, 1979 until further orders.

S. No.	Name	Post held	Post to which appointed
1.	Shri B.R. Gupta	Offg. Section Officer	Offg. Court Master.
2.	Shri D. Banerjee	Assistant	Offg. Section Officer *Vice* Shri B.R. Gupta.
3.	Shri C.L. Mahajan	Assistant	Offg. Section Officer.
4.	Shri Krishan Lal	Assistant (on deputation to the Gujral Commission of Inquiry).	Offg. Court Master (pro-forma).
5.	Shri A.B. Lal Kanojia	Assistant	Offg. Court Master.
6.	Shri P.K. Basu	Assistant	Offg. Court Master *vice* Shri Krishan Lal (on deputation).

MAHESH PRASAD
Deputy Registrar (Admn. J.)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 3rd November 1979

No. A. 35014/1/79-Admn.II.—Consequent on his appointment to the post of Desk Officer, *vide* notification No. A. 11016/1/76-Admn.III dated the 16th October, 1979, the appointment of Shri A. Gopalakrishnan as Section Officer (Spl.) *vide* this office notification of even number dated the 17th September, 1979, stands cancelled with effect from the same date.

The Secretary, Union Public Service Commission hereby appoints Shri B. B. Murmu a permanent Section Officer of CSS cadre of the Union Public Service Commission to officiate on *ad hoc* basis as Section Officer (Special) in the Commission's office for a period of three months with effect from forenoon of the 16th October, 1979 or until further orders whichever is earlier.

On his appointment to the post of Section Officer (Spl.), the pay of Shri B. B. Murmu will be regulated in terms of the Ministry of Finance, Department of Expenditure O.M. No. F. 10(24)-E.III/60 dated 4-5-1961, as amended from time to time.

S. BALACHANDRAN
Under Secy.
for Secy.
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 2nd November 1979

No. A. 19014/6/79-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri S. K. F. Kujur, an officer of the Indian Audit & Accounts Service, as Under Secretary in the office of Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 12th October, 1979.

No. A. 32013/3/79-Admn.I.—In continuation of Union Public Service Commission Notification of even number dated 18-8-1979 the President has been pleased to appoint Shri M. R. Bhagwat a permanent Grade-I officer of the CSS cadre of the Union Public Service Commission, as Deputy Secretary in the office of the Union Public Service Commission on *ad hoc* basis for a further period from 11-9-1979 to 23-11-1979 or until further orders, whichever is earlier.

S. BALACHANDRAN
Under Secy,
Union Public Service Commission

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 19th November 1979

No. 98RCT18.—Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri H. S. Rathour, a permanent Assistant of this Commission as Section Officer in an officiating capacity with effect from 15th November, 1979 to 12th February, 1980 or until further orders whichever is earlier.

K. L. MALHOTRA
Under Secy.
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPTT. OF PERSONNEL & A.R.

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 16th November 1979

No. M-3/73-Ad.V.—On attaining the age of superannuation Shri Manohar Singh, who was a permanent Section Officer of the Cadre of the Ministry of Home Affairs and was posted in the Central Bureau of Investigation, retired from the Government service with effect from the afternoon of the 31st October, 1979.

The 17th November 1979

No. A-12026/1/78-Ad.V.—The Director, Central Bureau of Investigation and Inspector General of Police, Special Police Establishment is pleased to appoint Shri D. K. Kochar, Section Officer, Ministry of Steel, Mines and Coal (Deptt. of Mines), as Junior Analyst in the Central Bureau of Investigation on deputation basis with effect from the afternoon of 12th November, 1979 and until further orders.

No. A-35018/4/79-Ad-I.—Deputy Inspector General of Police, Special Police Establishment, hereby appoint Shri D. C. Bhalerao, P.S.I. an officer of Maharashtra State Police on deputation as Inspector of Police in the Delhi Special Police Establishment, Division of the Central Bureau of Investigation GOW Bombay Branch in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 18-10-79 until further orders.

Q. L. GROVER
Administrative Officer (E)
C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110001, the 14th November 1979

No. O.II-22/76-Estt.—The Government of India regret to notify that Shri J. S. Saldanha, IPS (AP 1949) on deputation to CRPF as Director ISA, Mount Abu expired on 12-10-1979.

The 15th November 1979

No. O.II-1205/75-Estt.—Consequent on his retirement from Government service Shri M. B. Gautam relinquished charge of the post of Dy. S.P., 3rd Bn, CRPF, on the afternoon of 31-8-1979.

The 16th November 1979

No. O.II-1073/77-Estt.—The President is pleased to relieve Dr. Vinoda Kumar, GDO; Grade-II of Base Hospital-II, CRPF, Hyderabad with effect from the afternoon of 5-11-79 on expiry of one month's notice under Rule 5(1) of the CCS (Temporary Service) Rules, 1965.

No. O.II-1096/78-Estt.—The President is pleased to accept resignation tendered by Dr. Rich Pal, GDO; Grade-II of Base

Hospital C.R.P.F. New Delhi with effect from the afternoon of 26-9-1979.

A. K. BANDYOPADHYAY
Assistant Director (Adm.)

OFFICE OF THE INSPECTOR-GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110019, the 14th November 1979

No. E-16018/1/79-Pers.—While on deputation from Defence Institute of Fire Research, New Delhi as Inspector (Fire)/ CISF, Shri M. V. Vengurlekar has been appointed as Assistant Commandant (Fire) in the CISF on deputation basis and has assumed the charge of the post of Assistant Comdt (Fire), CISF HQrS, New Delhi w.e.f. the forenoon of 9th October, 1979.

Sd/- ILLEGIBLE
Inspctor-General, CISF

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 13th November 1979

No. 11/40/79-Ad.I-23634.—The President is pleased to appoint Shri V. M. Deole, an officer belonging to the Maharashtra Civil Service, as Depuy Director of Census Operations, in the office of the Director of Census Operations, Maharashtra, Bombay, by transfer on deputation, with effect from the afternoon of 31 October, 1979, until further orders.

2. His headquarters will be at Bombay.

The 15th November 1979

No. 11/29/78-Ad.I-23929.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Harbhajan Singh as Assistant Director of Census Operations (Technical), in the Office of the Registrar General, India, New Delhi, in a temporary capacity, as a direct recruit, with effect from the afternoon of 3rd November, 1979, until further orders.

The 19th November 1979

No. 11/51/79-Ad.I-24350.—The President is pleased to appoint, on Promotion Shri P. D. Pradhan, Office Superintendent in the Office of the Director of Census Operations, Maharashtra, Bombay to the post of Assistant Director of Census Operations, in the Office of the Director of Census Operations, Manipur, Imphal, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a period of one year with effect from the forenoon of 28th August, 1979 *or* till the post is filled in on regular basis, whichever period is shorter.

2. His headquarters will be at Imphal.

3. The above *ad-hoc* appointment will not bestow upon Shri Pradhan any claim to regular appointment to the grade and the services rendered by him on *ad-hoc* basis will not count for the purpose of Seniority in the grade nor for eligibility for promotion to the next higher grade. The above *ad-hoc* appointment may be reversed at any time at the discretion of the appointing authority without assigning any reason therefor.

P. PADMANABHA
Registrar General, India

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT
CENTRAL REVENUES

New Delhi-2, the 15th November 1979

No. Admn.I/O.O.418/5-12/79-80/1623.—Shri H. S. Rekhi a permanent Audit Officer of this Office has retired voluntarily from service of the Government of India, with effect from 1-11-1979, after completion of more than 20 years of qualifying service in terms of G.I. Ministry of Home Affairs O.M. No. 25013/7/77-Estt.(A) dated 26-8-1977.

2. Shri H. S. Rekhi entered Govt. service on 7-6-1947 and his date of birth is 24-7-1925.

Sd./- ILLEGIBLE
Jt. Director of Audit (Admn.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, ANDHRA PRADESH-I

Hyderabad, the 13th November 1979

No. I/8-132/79-80/160.—Shri V. N. Chary, Accounts Officer, Office of the Accountant General-I, Andhra Pradesh, Hyderabad, has retired from service with effect from 31-10-79 AN.

No. I/8-132/79-80/160.—Shri Waheeduddin Siddiqui, Accounts Officer, Office of the Accountant General-II, Andhra Pradesh, Hyderabad, has retired from service with effect from 31-10-1979 AN.

R. HARIHARAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL-I
MADHYA PRADESH

Gwalior, he 15th October 1979

No. DE.I/310.—The Accountant General-I, Madhya Pradesh has been pleased to promote the following permanent Section Officers as Accounts Officer in an officiating capacity in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from the dates noted against each :—

Sarvashri

1. O. P. Son of Shri Manoharlal Sharma, (02/254), 26th September 1979 (FN).
2. K. C. Kapoor, (02/256), 24th September 1979 (AN).

D. C. SAHOO
Sr. Dy. Accountant General (Admn;.)

MINISTRY OF LABOUR

LABOUR BUREAU

"Cleremont", Simla-171004, the December 1979

No. 23/3/79-CPI.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base 1960-100 increased by two points to reach 365 (three hundred and sixty five) during the month of October, 1979. Converted to base 1949=100 the index for the month of October, 1979 works out to 444 (four hundred and forty four).

R. N. MUKHERJEE
Assistant Director
Labour Bureau

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

DIRECTORATE OF PREVENTIVE OPERATIONS

New Delhi, the 12th November 1979

Sl. No. 1.—In pursuance of this Directorate's Order F. No. 203/1/DAS/79 dated the 12th October, 1979, Shri A. G. Saxena, Superintendent in the Collectorate of Central Excise, Allahabad on his appointment as Inspecting Officer (Group 'B') on deputation basis, assumed charge of the said post in this Directorate in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000— EB —40—1200 plus 25% special pay with usual allowances as admissible under the rules, in the forenoon of 29th October, 1979 and until further orders.

BHARAT B. JULKA
Director

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-110022, the 16th November 1979

No. 28012(13)/79/AN-I(JTS).—The President is pleased to appoint the following Permanent Accounts Officers to officiate in the Junior Time Scale of the regular cadre of the Indian Defence Accounts Service (Rs. 700—1300) with effect from the dates shown against them, until further orders :—

Sl. No. Name & Date from which promoted

1. Shri P. Periaswamy—20-8-1979 (FN).
2. Shri A. B. Malik—20-8-1979 (FN).
3. Shri M. Krishnamurthy—15-10-1979 (FN).
4. Shri P. D. Makkar—21-9-1979 (FN).

R. L. BAKHSHI
Addl. Controller General of Defence Accounts (Admin.)

New Delhi, the 16th November 1979

No. 40011(2)/79/AN-II—The undermentioned Accounts Officers were transferred to the Pension Establishment with effect from the afternoon of the date shown against each on their attaining the age of superannuation.

Sl. No.	Name with Roster Number	Grade	Date from which transferred to Pension Establishment	Organisation
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	Ram Narain Garg (P/349).	Permanent Accounts Officer	30-4-79	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.
2.	K. Sivadasa Menon (P/317).	Do.	31-5-79	Do.
3.	Jainti Prasad (P/112).	Do.	30-6-79	Do.
4.	Pran Nath Sharma (O/258).	Officiating Accounts Officer	30-6-79	Do.
5.	Dharam Pal (O/1).	Do.	31-8-79	Do.
6.	Tekh Ram (P/255).	Permanent Accounts Officer	31-8-79	Do.
7.	Chandgi Ram Jindal (P/323).	Do.	31-8-79	Do.
8.	Roshan Lal Bagga (P/272).	Do.	30-9-79	Do.
9.	M. Sethuraman (P/263).	Do.	30-9-79	Do.
10.	Ram Lal Goel (P/469).	Do.	30-9-79	Do.
11.	R.S. Kaushal (O/341).	Officiating Accounts Officer	30-4-79	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.
12.	Jitinder Nath Dhir (P/118).	Permanent Accounts Officer	30-6-79	Do.
13.	M.D. Misra (P/16).	Do.	31-7-79	Do.
14.	Girdhari Lal Mittal (P/505).	Do.	31-8-79	Do.
15.	Krishan Lal (P/233)	Do.	30-9-79	Do.
16.	S.P. Sharma (P/388).	Do.	31-7-79	Do.
17.	M. Subramanian (P/53).	Permanent Accounts Officer	30-6-79	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Pune.
18.	R. Janakiraman (O/346).	Officiating Accounts Officer	30-6-79	Do.
19.	G.C. Banerjee (O/41).	Do.	30-6-79	Controller of Defence Accounts (Other Ranks), North, Meerut.
20.	G. Venkataraman (P/462).	Permanent Accounts Officer	30-6-79	Controller of Defence Accounts (Air Force), Dehra Dun.
21.	K.S. Narasimha Iyer (P/267).	Do.	30-6-79	Do.
22.	P.D. Panse (P/354).	Do.	30-6-79	Controller of Defence Accounts (Officers), Pune.
23.	K. Nagarajan (P/285).	Do.	30-6-79	Do.
24.	V.E. Zachariah (O/163).	Officiating Accounts Officer	30-6-79	Controller of Accounts (Fys), Calcutta.
25.	Ziladhar Taneja (P/259).	Parmanent Accounts Officer	30-6-79	Do.
26.	N. Krishhan (P/58).	Do.	30-6-79	Do.
27.	V. Gopalan (P/62).	Do.	30-6-79	Controller of Defence Accounts (Other Ranks), South, Madras.
28.	K. Ranganathan (P/156).	Do.	30-6-79	Do.
29.	N. Krishnamurthy (O/159).	Officiating Accounts Officer	30-6-79	Do.
30.	Krishan Das (NYA) (A/646).	Do.	30-6-79	Do.

1	2	3	4	5
	S/Shri			
31.	P. Rama Rao (P/254).	Permanent Accounts Officer	30-6-79	Controller of Defence Accounts (Navy), Bombay.
32	K.P. Bhaskaran Nair (P/310).	Do.	30-6-79	Do.
33.	R.N. Grover (O/355).	Officiating Accounts Officer	30-6-79	Controller of Defence Accounts (Training), Meerut.
34.	D.P. Chadda (P/274).	Permanent Accounts Officer	30-6-79	Controller of Defence Accounts (Pensions), Allahabad.
35.	Y.W. Sudan (P/330).	Permanent Accounts Officer	30-6-79	Controller of Defence Accounts (Pensions), Allahabad.
36.	V.V. Ramaratnam (P/599).	Do.	31-7-79	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Pune.
37.	Amrit Lal Arora (O/17).	Officiating Accounts Officer	31-7-79	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.
38.	H.R. Subramanian (P/194).	Permanent Accounts Officer	31-7-79	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Pune.
39.	V.V. Gopalaraghavan (P/6).	Do.	31-7-79	Do.
40.	Suraj Parkash (P/207).	Do.	31-7-79	Controller of Defence Accounts (Air Force), Dehra Dun.
41.	V. Krishnamurthy (P/128).	Do.	31-7-79	Do.
42.	Bhola Dutta Nautiyal (P/573).	Do.	31-7-79	Controller of Defence Accounts (Pensions), Allahabad.
43.	Gurubaksh Singh (P/456).	Do.	31-7-79	Do.
44.	S.P. Bajpai (P/198).	Do.	31-7-79	Do.
45.	K.K. Nandy (P/85).	Do.	31-7-79	Do.
46.	Anand Swarup Parashan (O/422).	Officiating Accounts Officer	31-7-79	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.
47.	Joga Singh (P/446).	Permanent Accounts Officer	31-7-79	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.
48.	K. Balachandran Nair (P/122).	Do.	31-7-79	Controller of Defence Accounts (Navy), Bombay.
49.	M.L. Mukherjee (P/371).	Do.	31-7-79	Controller of Defence Accounts (Other Ranks), North, Meerut.
50.	K.K. Basu	Do.	31-8-79	Controller of Defence Accounts, Patna.
51.	Krishan Lal Sawhney (P/396).	Permanent Accounts Officer	31-8-79	Controller of Defence Accounts (Air Force), Dehra Dun.
52.	Dharam Pal Gajri (P/158).	Do.	31-8-79	Do.
53.	Brig Lal Gaur (P/170).	Do.	31-8-79	Do.
54.	Bidhu Ram Kharwal (P/527).	Do.	31-8-79	Do.
55.	Mohan Singh (P/86).	Do.	31-8-79	Do.
56.	M. Ramdas (P/276).	Do.	31-8-79	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Pune.
57.	Y.S. Chitre (P/205).	Do.	31-8-79	Do.
58.	M. Dharmarajan (P/42).	Do.	31-8-79	Controller of Defence Accounts (Officers), Pune.
59.	S.V. Krishnamurthy Sharma (O/82).	Officiating Accounts Officer	31-8-79	Controller of Defence Accounts (Other Ranks), South, Madras.
60.	Mangsl Sain Bhasin (P/440).	Permanent Accounts Officer	31-8-79	Controller of Defence Accounts (Other Ranks), North, Meerut.
61.	Hari Bhagat Sharma (P/467).	Do.	31-8-79	Do.
62.	A.C. Sen Gupta (P/135).	Do.	31-8-79	Do.
63.	Kusum Kumar Jaitly (P/291).	Do.	31-8-79	Controller of Defence Accounts (Pensions), Allahabad.
64.	Tirath Ram Narang (P/398).	Do.	31-8-79	Do.
65.	Vishwa Mittar Handa (P/152).	Do.	31-8-79	Do.
66.	Amrik Singh Chatrath (P/555).	Do.	30-9-79	Do.
67.	Kasturi Lal Verma (P/72).	Do.	30-9-79	Do.

1	2	3	4	5
68.	S.V. Srinivasan (P/10).	Permanent Accounts Officer	30-9-79	Controller of Defence Accounts, Southern Command
69.	T.B. Nair (P/149).	D.	30-9-79	
70.	T. Srinivasan (P/215).	Do.	30-9-79	Do.
71.	S. Rangachari (O/81).	Officiating Accounts Officer	30-9-79	Controller of Defence Accounts, (Officers) Pune.
72.	K. Roy (O/366).	Do.	30-9-79	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehra Dun.
73.	S.K. Sarkar O/119).	Do.	30-9-79	Controrller of Accounts (Fys), Calcutta.
74.	Nirendra Nath Roy (O/32).	Do.	30-9-79	Do.
75.	B.K. Chakravarty (O/137).	Do.	30-9-79	Do.
76.	D.I. Banerjee (P/168).	Permanent Accounts Officer	30-9-79	Do.
77.	Bal Raj (O/335).	Officiating Accounts Officer	30-9-79	Controller of Defence Accounts (Other Ranks) North, Meerut.
78.	Inder Singh Oberoi (P/387).	Permanent Accounts Officer	30-9-79	Controller of Defence Accounts (Other Ranks), South, Madras.

The Controller General of Defence Accounts regrets to notify the death of the undermentioned Accounts Officers.

Sl. No.	Name with Roster No.	Grade	Date of Death	Struck Off Strength in the Department	Orgn.
	S/Shri				
1.	G.N. Vaidya (O/215).	Officiating Accounts Officer	23-2-79	24-2-79 (FN)	Controller of Accounts (Fys), Calcutta.
2.	I.V. Sharma (NYA).	Do.	17-4-79	18-4-79 (FN)	Controller of Defence Accounts (Officers), Pune.
3.	R.S. Singh (O/263).	Do.	19-5-79	20-5-79 (FN)	Controller of Defence Accounts (Pensions), Allahabad.
4.	Dharam Pal Sharma (P/166).	Permanent Accounts Officer	2-6-79	3-6)79 (FN)	Controller of Defence Accounts (Other Ranks) North, Meerut.
5.	Ganga Ram (O/221).	Officiating Accounts Officer	8-6-79	9-6-79 (FN)	Controller of Defence Accounts (Other Ranks) South, Madras.
6.	T.R. Ram Ramsubramanian (P/361).	Permanent Accounts Officer	30-8-79	31-8-79 (FN)	Controller of Defence Accounts, Southern, Command, Pune.

S. N. CHATTOPADHYAY
Dy. Controller General of Defence Accounts (Admn)

MINISTRY OF DEFENCE

ORDNANCE FACTORY BOARD

DG OF HQRS. CIVIL SERVICE

Calcutta-700069, the 30th October 1979

No. 18/79/A/E-1NG).—The DG DF is pleased to promote Shri B. Mondal, Steno. Gr. 'B'/Sr. P.A., as Steno. Gr. 'A'/P.S. (Group 'B' Gazetted) in Soffg capacity, in an existing vacancy, from 24-9-79 until further orders.

The 6th November 1979

No. 19/79/A/E-1(NG).—On attaining the age of superannuation, Shri Soumendra Bhusan Roy, substantive and permanent Assistant, Temporary A.S.O. and Biswa Nath De substantive and permanent Stenographer Gr. II, Temporary A.S.O., retired from service with effect from 31-10-79 (AN).

D. P. CHAKRAVARTI
ADG OF Admn.
for Director General, Ordnance Fys.

Calcutta-700016, the 9th November 1979

No. 54/79/G.—On attaining the age of superannuation (58 years) Shri K. P. Roy Offg. Dy. Manager/Subst. & Permt. Asstt. Manager retired from service w.e.f. 31-7-79 (A.N.).

V. K. MEHTA
Asstt. Director General, Ordnance Factories

MINISTRY OF LABOUR

COAL MINES LABOUR WELFARE ORGANISATION

Dhanbad, the 1979

No. Admn. 12(3)79.—Sri D. K. Ruj, officiating Supdt. of Accounts has been appointed as Assistant Secretary to Coal Mines Welfare Commissioner/Secretary to the Medical Superintendent, Central Hospital, on *ad-hoc* basis with effect from 26-9-79 (F/N).

T. C. K. LOTHA
Commissioner

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 12th November 1979

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/1290/79-Adm.(G)/7986.—The Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints Shri S. S. Rana, Cartographer in Central Ground Water Board (WR) Jaipur, as Controller of Imports and Exports in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay in an officiating capacity with effect from the forenoon of 15th October, 1979, until further orders.

2. Shri Rana as Controller will draw pay in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB —880—40—1000—EB —40—1200.

No. 6/1287/79-Admn.(G)/7991.—The Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints Shri S. Rajan, Junior Engineer in P&T Coaxial Station, Devangere, as Controller of Imports and Exports in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay in an officiating capacity with effect from the forenoon of 23rd October, 1979, until further orders.

2. Shri Rajan as Controller will draw pay in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB —880—40—1000—E.B.—40—1200.

The 14th November 1979

No. 6/1130/76-Admn.(G)/8005.—On attaining the age of superannuation, Shri H. D. Shah relinquished charge of the post of Controller of Imports and Exports in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay on the afternoon of the 31st July, 1979.

C. S. ARYA
Dy. Chief Controller of Imports and Exports
for Chief Controller of Imports and Exports

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700016, the 12th October 1979

No. 7271B/A-19012(3-MS)/79-19B.—Shri M. Satyanarayana, Senior Technical Assistant (Chem.), Geological Survey of India is appointed on promotion as Assistant Chemist in the Geological Survey of India on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000— EB —40—1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 17-9-79 until further orders.

V. S. KRISHNASWAMY
Director General

DEPARTMENT OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 16th November 1979

No. A. 19012(103)/78-Estt. A.—Shri R. K. Ghonge, Officiating Senior Technical Assistant (Chemistry) (now Assistant Chemist on *ad hoc* basis), is promoted to officiate in the post of Assistant Chemist in this department on regular basis with effect from 29th October, 1979 (F.N.) until further orders.

S. BALAGOPAL
Head of Office

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

(CIVIL CONSTRUCTION WING)

New Delhi-110001, the 7th November 1979

No. A-35018/2/78-CW.I.—The Director General, All India Radio, New Delhi is pleased to appoint Sh. Y. V. Dhavale an Asstt. Engineer of CPWD as Assistant Engineer (Civil), Civil Construction Wing, All India Radio, Bombay on deputation in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000— EB —40—1200/- with effect from the *afternoon of* 31-8-79 for a period of one year in the first instance.

2. The pay and allowances of Shri Dhavale will be regulated in accordance with the Ministry of Finance O.M. No. 10/24/E. III/60, dated 4-5-1961 as amended from time to time.

S. RAMASWAMY
Engineer Officer to Ad. CE(C)
for Director General.

DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi, the 16th November 1979

No. A. 12025/1/79-Est.—The Director of Advertising and Visual Publicity hereby appoints Shri Biswanath Adhikary as Senior Artist in a temporary capacity with effect from the forenoon of 9th November, 1979, until further orders.

J. R. LIKHI
Deputy Director (Admn.)
for Director of Advertising & Visual Publicity

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 19th November 1979

No. 17-2/74-Admn. I.—Shri J. C. Gupta, relinquished charge of the post of Deputy Director Accounts (Stores) in the Directorate General of Health Services, New Delhi on the afternoon of the 26th September, 1979.

No. A. 12025/24/78(HQ)Admn. I.—The President is pleased to appoint Dr. S. R. Gupta to the post of Biochemist in the Directorate General of Health Services, New Delhi in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 27th October, 1979 and until further orders.

S. L. KUTHIALA
Deputy Director Administration (O&N)

CENTRAL WATER & POWER RESEARCH STATION

Pune-24, the 22nd August 1979

No. 629/22/79-Adm.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group B) (Gazetted), the Director, Central Water & Power Research Station, Pune, hereby appoints the following Research Assistants (Engineering) to the grade of Assistant Research Officer (Engineering) in the Central Water & Power Research Station, Pune, in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000— EB —40—1200 on a regular basis, in an officiating capacity with effect from the dates shown against each.

	Date of taking over
1. Shri R. M. Sinnarkar	3-8-79 (FN)
2. Shri V. M. Wakalkar	4-8-79 (FN)
3. Shri R. D. Kulkarni	3-8-79 (FN)
4. Shri S. N. Gavali	6-8-79 (FN)
5. Shri S. R. Vhatkar	3-8-79 (FN)
6. Shri A. F. Shevare	4-8-79 (FN)

The above officers will be on probation in the cadre of Assistant Research Officer (Engineering), Central Water & Power Research Station, Pune, for a period of two years with effect from the date shown against each.

The 15th November 1979

No. 608/161/79-Adm.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group 'B'), the Director, Central Water & Power Research Station, Pune hereby appoints Shri V. M. Bapaye to the post of Asstt. Research Officer (Engg.) in the Central Water & Power Research Station, Pune, in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810 — EB —35—880—40—1000— EB —40—1200 with effect from the forenoon of 9-8-1979.

Shri V. M. Bapaye will be on probation for a period of two years with effect from 9-8-79.

No. 608/162/79-Adm.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group 'B'), the Director, Central Water & Power Research Station, Pune, hereby appoints Shri B. S. Motwani to the post of Assistant Research Officer (Engineering) in the Central Water & Power Research Station, Pune in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810— EB —40—1200 with effect from the forenoon of 31st August, 1979.

Shri B. S. Motwani will be on probation for a period of two years w.e.f. from 31-8-79.

DR. S. P. CHADHA
Chief Research Officer (II)
I/c Administration
for Director

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 16th November 1979

No. A-19023/48/78-A.III.—Consequent on his promotion to the post of Dy. Senior Marketing Officer (Group II) in this Directorate at Kanpur, Shri G. S. Kashiya handed over charge of the post of Marketing Officer (Group II) at Nagpur in the afternoon of 23-7-1979.

B. L. MANIHAR
Drector of Administration
for Agricultural Marketing Adviser

Faridabad, the 19th November 1979

No. A-31014/3/78-A.I (Vol.III).—The Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India is pleased to appoint Shri Santari Prasad substantively to the permanent post of Marketing Officer (Group III) in the Dte. of Marketing & Inspection w.e.f. 19-8-1978.

B. L. MANIHAR,
Director of Administration.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay-5, the 8th November 1979

No. PPED/3(236)/79-Adm./1217/1999—Director, Power Projects Engineering Division, Bombay is pleased to appoint the undermentioned personnel of this Division as Scientific Officers/Engineers-Grade 'SB' in the same Division in a temporary capacity with effect from the dates shown against their names until further orders :—

Sl. No.	Name	Present Grade	Date of effect
1.	Shri C.S. Vaidya	Draughtsman 'C' (Quasi-Permanent).	2-8-79
2.	Shri B.D. Ganda	Scientific Assistant 'C' (Quasi-permanent)	1-8-79
3.	Shri M.R. Patnaik	Scientific Assistant 'C' (Quasi-permanent)	1-8-79
4.	Shri R.V. Shetty	Scientific Assistant 'C' (Quasi-permanent)	1-8-79

The 20th November 1979

No. PPED/3(262)/78-Adm./15966.—Shri N. T. Varwani a permanent Selection Grade Clerk in this Division who was appointed to officiate as Assistant Personnel Officer vide notification No. PPED/3(262)/78-Adm./14268 dated September 26, 1979 has relinquished charge of the post of Assistant Personnel Officer with effect from the afternoon of October 4, 1979.

B. V. THATTE
Administrative Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES
MADRAS REGIONAL PURCHASE UNIT

Madras-600006, the 29th October 1979

No. MRPU/200(9)/79/Adm.—In continuation of this Office notification No. MRPU/200(9)/78/Adm. dated 19-8-79 the officiating appointment of Shri N. Rajagopalan was extended from 1-9-1978 to 29-7-1979 A.N, Shri N. Rajagopalan relinquished charge of the post of Assistant Purchase Officer on 29-7-1979 A.N.

S. RANGACHARY,
Purchase Officer

REACTOR RESEARCH CENTRE

Kalpakkam-603102 the 22nd October 1979

No. A. 32013/8/79/R—The Project Director, Reactor Research Centre hereby appoints the following officials of this Centre as Scientific Officers/Engineers Grade-SB in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 until further orders.

Sl. No.	Name	Present Grade	Date of appointment on promotion
1.	Shri S. Dhanapal	Quasi Permanent Draughtsman 'C'	1-8-79
2.	Shri V. Venugopal	Temporary Scientific Asst. 'C'	1-8-79
3.	Shri S. Sankaran	Temporary Foreman.	1-8-79
4.	Shri S. Nathamuni	Temporary Foreman.	1-8-79
5.	Shri A. Subash Chandra Bose	Temporary Foreman.	1-8-79
6.	Shri V. Pavanasam	Temporary Foreman.	1-8-79
7.	Shri A.K. Chandran	Temporary Foreman.	2-8-79

T. S. V. Aiyar,
Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 7th November 1979

No. A. 32014/3/79-EC—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following five Technical Assistants to the grade of Assistant Technical Officer on ad-hoc basis with effect from the date and station indicated against each :—

S. No.	Name	Present Station of Posting	Station to which Posted	Date of taking over charge
	S/Shri			
1.	K.C. Sharma	Aero. Comm. Stn, Palam	Radio Stores Depot, New Delhi	6-9-79 (F.N.)
2.	J.R. Sharma	Aero. Comm. Stn, Ahmedabad	Aero. Comm. Stn. Porbander.	27-9-79 (F.N.)
3.	K.T. John	Aero, Comm. Stn, Hyderabad	Aero. Comm. Stn, Hyderabad	4-10-79 (F.N.)
4.	Jaswant Singh	Aero. Comm. Stn, Bombay	Aero. Comm. Stn, Bombay	4-10-79 (F.N.)
5.	K.S. Mukherjee	Aero. Comm. Stn, Port Blair	Aero. Comm. Stn, Calcutta	6-10-79 (F.N.)

H. L. KOHLI
Director of Administration

New Delhi, the 14th November 1979

No. A. 32013/5/78-EC.—In continuation of ths Department Notification No. A.32013/5/78-EC dated 30-11-78, the President is pleased to sanction the continuance of *ad-hoc* appointment of Shri R. P. Sharma, as Deputy Director of Communication in the Civil Aviation Department beyond 30-8-79 and upto 12-10-79.

No. A. 32014/3/79-EC—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following two Technical Assistants to the grade of Assistant Technical Officer on ad-hoc basis w.e.f. the date and station indicated against each :—

S. No.	Name	Present Station of posting	Station to which posted	taking over charge on
1.	Shri K. Ramanathan	Aero. Comm. Stn, Palam	Aero Comm. Station, Palam	25-10-79 (F.N.)
2.	Shri D.P. Krishnaswamy	Aero. Comm. Stn, Tarakeswar	Aero. Comm. Stn, Calcutta	12-10-79 (F.N.)

The 15th November 1979

No. A-32012/3/78-ES.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Sh. M. C. Mahay as Administrative Officer (Group 'B' post) on regular basis with effect from the forenoon of the 3rd November, 1979 and until further orders in the office of the Principal, Civil Aviation Training Centre, Allahabad.

R. N. DAS,
Asstt. Director of Administration

New Delhi, the 14th November 1979

No. A-32013/7/78-EI.—The President has been pleased to appoint Shri S. C. Majumdar, Deputy Director to the post of Director, Radio Construction & Development Units on *ad-hoc* basis beyond 30-8-1979 and upto 31-12-1979 or till regular appointment to the post is made, whichever is earlier, in continuation of this office Notification No. A-32013/7/78-EI. dated 24-11-1978.

C. K. VATSA,
Asstt. Director of Administration

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 9th November 1979

No. 12/4/78-EST—The following officiating/temporary Assistant Engineers are appointed as Assistant Engineer in a substantive capacity with effect from the date indicated against each under Col. 3 :—

Sr. No.	Name	Date from which appointed in a substantive capacity in the post
1	2	3
1.	Shri Rajan Pal Singh	19-7-75
2.	Shri Y. Sreeramamurthy	20-7-75
3.	Shri Devinder Singh	21-7-75
4.	Shri V.N.B. Khare	22-7-75
5.	Shri C.R. Chhabra	23-7-75
6.	Shri K. Ramachandran	24-7-75
7.	Shri N.C. Roy	25-7-75
8.	Shri R.P. Iyer	26-7-75
9.	Shri A.K. Malik	27-7-75
10.	Shri A.G.R. Iyengar	1-3-76
11.	Shri D.S. Saxena	29-4-76
12.	Shri K.N. Sharma	8-8-76
13.	Shri S.K. Sharma	11-3-77
14.	Shri G. Mohan Rao	5-5-77
15.	Shri T.R. Kapur	24-6-77
16.	Shri K.P. Verma	1-11-77
17.	Shri R.J. Pol	5-3-78

S. SREENIVASACHAR,
Director General

VANA ANUSANDHAN SANSTHAN EVAM MAHAVIDYALAYA

Dehra Dun, the 13th November 1979

No.16/257/76-Ests-I.—The resignation tendered by Dr. Ramesh Chandra Setia from his appointment as Research Officer has been accepted by the President, Forest Research Institute and Colleges, with effect from the afternoon of 31st Junly, 1978.

The 14th November 1979

No. 16/334/79-Ests-I.—The President, FRI & Colleges, Dehra Dun, is pleased to appoint Shri T. Krishnamurthy as Research Officer under the Plan Scheme "Forest Soil Laboratories (Forest Soil-cum-Vegetation Survey)" at its regional centre at Coimbatore under the Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun w.e.f. the afternoon of 15th October, 1979 until further orders.

The 15th November 1979

No. 15/109/76-Ests-I(i)—The President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun, is pleased to appoint the following Research Assistants Grade I to the posts and from the dates mentioned against each on temporary basis, until further orders :—

Name	Post	Date
1. Shri P.P. Bhola	Research Officer, F.R.I. & Colleges	15-11-79 (A.N.)
2. Shri P.C. Pandey	Research Officer F.R.I. & Colleges	22-10-79 (F.N.)
3. Dr. S.C. Mishra	Research Officer, F.R.I. & Colleges	22-10-79 (F.N.)
4. Shri V.N. Tandon	Research Officer, F.R.I. & Colleges	22-10-79 (F.N.)
5. Shri A.K. Ananthanarayana	Research Officer, F.R.L. Bangalore	26-10-79 (F.N.)
6. Shri C.R. Rangeswamy	Research Officer, Sandal Research Centre, Bangalore	26-10-79 (F.N.)
7. Smt. B.S. Kamala	Research Officer, F.R.L., Bangalore	26-10-79 (F.N.)

Their appointment as Research Officer will be on probation for two years.

No. 15/109/76-Ests-I(ii).—The President, Forest Resarch Institute and Colleges, Dehra Dun is pleased to appoint the following Research Officers working on *ad-hoc* basis as Research Officer on regular basis with effect from 22nd October, 1979 on a temporary basis, until further orders :—

1. Shr H. S. Gahlot.
2. Shri B. B. Gupta.
3. Shri K. K. Sharma.
4. Shr R. C. Gaur.
5. Shri Shiv Prasad.
6. Shri D. C. Chaudhuri.
7. Shri Krishan Lal.
8. Shri R. S. Arya.

They will be on probation for two years with effect from 22-10-1979.

No. 15/109/76-Ests-I.(iii).—The President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun has reverted the following persons with effect from 22-10-79 forenoon to their original posts held by them immediately before their appointment as Research Officer on *ad-hoc* basis :—

1. Shri P. S. Payal.
2. Shri Adarsh Kumar.
3. Shri K. C. Badola.
4. Shri C. R. Sharma.
5. Shri R. D. Tandon.
6. Shri D. K. Jain.
7. Shri D. D. S. Negi.
8. Shri P. P. Jain.
9. Shri R. C. Mittal.
10. Shri V. K. Jain.
11. Shri K. K. Kalra.
12. Shri H. S. Ananthapadmanabha.
13. Shri S. R. Madhvan Pillai.

The 17th November 1979

No. 16/322/79-Ests-I.—The President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun, is pleased to appoint Shri Anil Kumar Mukhi, as Research Officer under the Plan Scheme "Forest Soil Laboratories (Forest Soil-cum-Vegetation Survey)" at its regional centre at Coimbatore, under the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun, with effect from the forenoon of 27th September, 1979, until further orders.

GURDIAL MOHAN
Kul Sachiv
Vana Anusandhan Sansthan Evam Mahavidyalaya

MADRAS CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

Madras-600034, the 14th November 1979

In exercise of the powers conferred on me by sub-rule (1) of Rule 232-A of the Central Excise (seventh amendment) Rules, 1976, which came into force from 21-2-1976 it, is declared that the names and addresses and other particulars specified in sub-rule (2) of the persons who have been convicted by a court under Section 9 of the Central Excises and Salt Act, 1944 and persons on whom penalty of Rs. 10,000/- or more has been imposed by an officer referred to in Section 33 of the Act are as follows :—

Sl. No.	Name of the persons	Address	The provisions of the act contravened.	The amount of penalty imposed.
(1)	()	(3)	(4)	(5)
		STATEMENT-I		
1.	Shri R. Nagarajan, S/o, K.V. Rangasamy Mudaliar.	L 5 No. 29/71, Chittode Post, Bhavani Taluk, Coimbatore Dist.	Section 9(1)(b)(bb) of the Central Excise and Salt Act, 1944.	Rs. 1,750/- fine imposed by Court.

II—DEPARTMENTAL ADJUDICATION

—NIL—

STATEMENT-II

Sl. No.	Name of the person	Address	The provisions of the Act contravened	The Account of penalty imposed.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	C. Namperumal Gounder, L. 5 No. 17/67.	No. 13, Mohamediar Street, Mettur.	Rule 151 of C. Ex. Rules, 1944.	Penalty Rs. 2000/-, Convicted on 2 counts. (9)(1)(b), 9(1)(bb) of C. Ex. Act, 1944 imposing a penalty of Rs. 1000/- in default R.I. for 3 months.
2.	A. Gopal, L. 5 No. 18/77.	Karungalpatty 3rd Road, salem.	151 (c), 160 of C. Ex. Rules, 1944.	Penalty Rs. 2000/-, Penalty Rs. 1000/- in default 2 months R.I. under 2 counts viz., 9(1) (b) and 9(1) (bb).
3.	M/s. Santhosh Kumar Industries.	L. 4 No. 143/PDP/72, Coimbatore.	Sec. 9 of C. Ex. Act, 1944	Fine Rs. 1000/- imposed.
4.	V. Manickam, S/o Varada Gounder.	Saner Street, Chittode, Bhavani Taluk, Coimbatore Dist.	Rule 32(1) of CE. Rules, 1944.	Penalty Rs. 250/- imposed. Fine in lieu of confiscation imposed Rs. 1000/-, Convicted to undergo Imprisonment till rising of the court and to pay a fine of Rs. 300/-.
5.	V. Ramasamy, S/o. Velu Naicker, L. 5 No. 8/73.	Modachur, Gobi Taluk.	Rule 151 (c) of CE. Rules, 1944.	Penalty Rs. 250/- imposed. Convicted to suffer R.I. for 9 months.
6.	G. Perumal Reddiar, S/o. Gongu Reddiar.	L.5 No. 2/67, Kemmiampatty (Via) Anthiyur, Bhavani Taluk.	Rule 151 (c) of C. Ex. Rules, 1944.	Penalty Rs. 250/-, imposed Convicted to undergo Imprisonment till rising of the Court and a fine of Rs. 500/-.

1	2	3	4	5
7.	M. Krishnasamy Gounder, L. 5 No. 11/68, S/o. Marappa Gounder.	Chittode.	Rule 151 (c) of C. Ex. Rules, 1944.	Penalty Rs. 250/-. Convicted to pay a fine of Rs. 500/-.
8.	S.T. Muthusamy, L. 5 No. 19/66.	Sedapalayam, Kundadam.	Rule 151 (c) of C. Ex. Rules, 1944.	Penalty Rs. 250/-, Convicted to pay a fine of Rs. 500/-.
9.	R. Kaliappa Gounder, L. 5 No. 348/64, S/o. Rokkia Gounder.	Perundural, Erode Taluk.	Rule 151 (c) of C. Ex. Rules, 1944.	Penalty Rs. 2000/-, Convicted to pay a fine of Rs. 500/-.
10.	Do.	Do.	Do.	Penalty Rs. 250/-, Fine in lieu of confiscation Rs. 250/-. Convicted to pay a fine of Rs. 500/-.
11.	P.A. Jaganathan, S/o. Arumugam.	L. 2 No. 112/68, Chittode.	Rule 32(1) of C. Ex. Rules, 1944.	Penalty Rs. 250/- Convicted to pay a fine of Rs. 500/-.
12.	P. Karuppusamy, S/o. Pongiappa Gounder.	Desampalayam, P. Puliampatty, Gobi Taluk.	Rule 32(1) of C. Ex. Rules, 1944.	Penalty Rs. 250/- Fine in lieu of confiscation Rs. 1250/- Convicted to pay a fine of Rs. 1000/-.
13.	P. Nachimuthu, S/o. Perumal Gounder, L. 5 No. 4/74, Tobacco Merchant.	Chittode, Bhavani Taluk.	Rule 151 (c) of C. Ex. Rules, 1944.	Penalty Rs. 250/- Fine in lieu of confiscation Rs. 250/- Convicted to suffer R.I. for 9 months.

II—DEPARTMENTAL ADJUDICATIONS

—NIL—

In exercise of the powers conferred on me by sub-rule (1) of Rule 232-A of the Central Excise (seventh amendment) Rules, 1976 which came into force from 21-2-1976 it is declared that the names and addresses and other particulars specified in sub-rule (2) of the persons who have been convicted by a court under Section 9 of the Central Excises and Salt Act, 1944 and persons on whom penalty of Rs. 10,000/- or more has been imposed by an officer referred to in Section 33 of the Act are as follows :—

Statement III

Sl. No.	Name of the person	Address	The provisions of the Act contravened.	The amount of penalty imposed
1	2	3	4	5
1.	Shri P. Mahadevan	P.M.G. Industries Coimbatore.	Section 9(1)(b) 9(1)(bb) of C. Ex. Act. 1944.	Fine Rs. 2000/- imposed.
2.	Shri R. Natarajan	Vijay Electrical Industries, Coimbatore.	Do.	Fine Rs. 750/- imposed.

II—DEPARTMENTAL ADJUDICATION

—NIL—

M.G. VAIDYA
Collector of Central Excise Madras

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-110022, the 3rd November 1979

No. 6/2/79-ADM.II.—The Chairman, Central Electricity Authority, hereby appoints Shri B. K. Ghosh, Supervisor to the grade of Extra Assistant Director /Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) Service in an officiating capacity with effect from 15-9-79 until further orders.

The 6th November 1979

No. 6/2/79-ADM. II.—The Chairman, Central Electricity Authority hereby appoints undermentioned Technical Assistants to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) Service in an officiating capacity with effect from the dates mentioned against their names until further orders :—

1. Shri Parmanand—11-9-79.
2. Shri J. S. Dua—11-9-79.

The 12th November 1979

No. 6/8/79-Adm. II.—The Chairman, Central Electricity Authority hereby appoints Shri G. P. Anand, Supervisor to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) Service *in absentia* in an officiating capacity with effect from 27-1-78 until further orders.

The 13th November 1979

No. 6/2/79-Adm. II.—The Chairman, Central Electricity Authority hereby appoints undermentioned supervisors to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Gr. 'B') Service in an officiating capacity with effect from the dates mentioned against their names until further orders :—

1. Shri K. C. Batra—20-9-79.
2. Shri D. P. Rathee—22-9-79.

S. BISWAS
Under Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
COMPANY LAW BOARD

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Coromandal Coastal Mining Company Private Limited

Hyderabad, the 8th November 1979

No. 519(560).—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Seciton 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Coromandal Coastal Mining Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Nava Bharat Cables Private Limited

Hyderabad, the 8th November 1979

No. 231339/560.—Notce is hereby given pursuant to sub-sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the M/s. Nava Bharat Cables Private Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

V. S. RAJU
Registrar of Companies
Andhra Pradesh, Hyderabad

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Balajee Cargo Movers Private Limited

Bangalore-56009, the 14th November 1979

No.3184/560/79.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Balajee Cargo Movers Private Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Rao Bahadur S. V. Govindarajan Brothers & Company Private Ltd.

Bangalore-56009, the 14th November 1979

No. 563/560/79.—Notice is hereby given pursuant to sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Rao Bahadur S. V. Govindarajan Brothers & Company Private Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Kay Sales Private Ltd.

Bangalore-56009, the 14th November 1979

No. 1665/560/79.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Kay Sales Private Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Vijayanagar Mine Owner's Association Private Ltd.

Bangalore-56009, the 14th November 1979

No. 1435/560/79.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Vijayanagar Mine Owner's Association Private Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Coorge Evergreen Private Ltd.

Bangalore-56009, the 14th November 1979

No 2301/560/19.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Coorg Evergreen Private Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

P. T. GAJWANI
Registrar of Companies
Karnataka, Bangalore

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Inter State Finance Private Limited.

Jullundur, the 15th November 1979

No. G/Stat/560/7912.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Inter State Finance Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Blue Bird Financiers Private Limited.

Jullundur, the 15th November 1979

No. G/Stat/560/7914.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Blue Bird Financiers Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. TAYAL
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Ranchi Breweries Private Limited

New Delhi, the 15th November 1979

No. 6664/19782.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ranchi Breweries Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the Company will be dissolved.

G. B. SAXENA
Asstt. Registrar of Companies
Delhi & Hayrana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Styro Films Limited

Madras-6, the 16th November 1979

No. DN/6652/560/79.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Styro Films Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dsisolved.

Y. SATYANARAYANA
Assistant Registrar of Companies
Madras

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Burmah Shell Pensions Trust Private Limited

Bombay, the 16th November 1979

No. 15414/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Burmah Shell Pensions Trust Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act 1956 and of M/s. Bekay Wood Products Private Limited.

Bombay, the 16th November 1979

No. 13865/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bekay Wood Products Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

B. L. MEENA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra, Bombay

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Miranda Agro Industries Research Private Limited

Bombay, the 16th November 1979

No. 18070/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Miranda Agro Industries Research

Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Wadhi Brothers Private Limited.

Bombay, the 16th November 1979

No. 12840/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Wadhi Brothers Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

L. M. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra, Bombay

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Sri Kuppuswamy Transports Private Limited.

Madras, the 17th November 1979

No. DN/4786/560(3)/79.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sri Kuppuswamy Transports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

Sd. ILEGIBLE
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Madras

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX

New Delhi, the 9th November 1979

INCOME-TAX

No. JUR-DLI/I/79-80/27434.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf, the Commissioner of Income-tax, Delhi-I, New Delhi hereby directs that the following Income-tax Range shall be created with effect from 9-11-1979.

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Delhi Range-I-F, New Delhi.

No. JUR-DLI/II/79-80/27575.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf, the Commissioner of Income-tax, Delhi-II, New Delhi hereby directs that the following Income-tax Range shall be created with effect from 9-11-1979.

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Delhi Range-II-H, New Delhi.

No. JUR-DLI/IV/79-80/27851.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf, the Commissioner of Income-tax, Delhi-IV, New Delhi hereby directs that the following Income-tax Ranges shall be created with effect from 9-11-1979.

1. Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Delhi Range-III-G, New Delhi.
2. Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Delhi Range III-F, New Delhi.

M. W. A. KHAN
Commissioner of Income-tax
Delhi-II, Delhi-IV & New Delhi

New Delhi, the 9th November 1979

No. JUR-DLI/III/79-80/27716.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf, the Commissioner of Income-tax Delhi III, New Delhi hereby directs that the following Income-tax Range shall be created with effect from 9-11-79.

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Delhi Range-IV-G, New Delhi.

S. G. JAISINGHANI
Commissioner of Income-tax
Delhi-III, New Delhi

New Delhi, the 8th November 1979

INCOME-TAX

No. JUR-DLI/V/79-80/27170.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) & (2) of section 123 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961) and of all other enabling powers in this behalf the Commissioner of Income-tax, Delhi-V, New Delhi hereby directs that the notification No. JUR-DLI/V/79-80/25954 dated 29-10-79 be treated as cancelled w.e.f. 8-11-1979.

The 9th November 1979

No. JUR-DLI/V/79-80/27999.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of secton 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf, the Commissioner of Income-tax, Delhi-V, New Delhi hereby directs that the following Income-tax Range shall be created with effect from 9-11-79.

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Delhi Range V-F, New Delhi.

The 14th November 1979

No. JUR-DLI/V/79/80/28758.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) & (2) of section 124 of I.T. Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of the notifications issued earlier on the subject the Commissioner of Income-tax, Delhi-V New Delhi, hereby directs that the I.T.O. Distt. IV (4) New Delhi shall have concurrent jurisdiction with Income-tax Officer, Distt. IV (6) New Delhi in respect of the persons/cases assessed/assessable by ITO IV(6), New Delhi where the names commence with alphabet 'S' excepting the cases assigned u/s. 127 or which may hereafter by assigned to ITO IV(6) New Delhi.

For the purpose of facilitating the performance of the functions C.I.T. Delhi-V also authorise the I.A.C. Range-V-C to pass such orders as contemplated in sub-section 2 of section 124 of the I.T. Act 1961.

This notification shall take effect from 15-11-1979.

K. R. RAGHAVAN
Commissioner of Income-tax
Delhi-V, New Delh

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
COMET HOUSE, 691/1/10 Pune TATARA ROAD, PUNE-411 009.

Poona, the 13th November 1979

Ref. No. IAC/CA-5/SRA 'Nagar/Aug.79/458.—Whereas, I, A. C. CHANDRA,
being the competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. C.S. No. 3576, Mun. H. No. 3649, situated at Ahmednagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Ahmednagar on 24-8-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) The Ahmednagar Imarat Company Ltd;
President : Shri S. R. Tamboli.
Chairman : Shri M. M. Soni. Ahmednagar.
(Transferor)

(2) Shri Kandkmal Maganmal Gandhi,
At Miri, Tal. Pathardi, Dist; Ahmednagar.
(Transferee)

(4) M/s M. R. Bhingarwala,
Cloth Market, Ahmednagar.
(person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated at C.S. No. 3576/1, Ahmednagar City, Area : 66.3 sq. mt.

(Property as described in the sale deed registered under No. 1676 dated 24-8-79 in the office of the sub-registrar, Ahmednagar).

A. C. CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Poona.

Date : 13-11-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/425.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 10578, situated at Padam Singh Road, WEA Karol Bagh New Delhi Illaqa No. 16
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been, transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi, on 8-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Suresh Chander Sethi S/o Shri Tara Chand R/o 84, Sunder Nagar New Delhi.
(Transferor)

(2) Atam Parkash S/o Pt. Chirnji Lal R/o 1088, Kucha Natwan, Chandni Chowk Delhi.
(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(b) by any other person interested in the said immov- 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A two and a half storeyed building bearing No. 10578, Illaqa No. 16 measuring 269 sq. yds. situated at Pad 1 Singh Road, W.E.A. Karol Bagh New Delhi-110005.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS— ————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002.

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/426.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. F-7/5, situated at Malviya Nagar New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at New Delhi, on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Ramji Das Dua S/o Shri Naubat, Rai R/o F-7/5, Malviya Nagar New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Bhajan Singh S/o Amar Singh R/o F-7/7, Malviya Nagar New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. F-7/5, area 125.88 sq. yds. situated at Malviya Nagar, New Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/427.—Whereas I, D. P. GOYAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 90/84A, situated at Malviya Nagar New Delhi,
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on 7-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957. (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Dina Nath Gandhi, Rani Narain Gandhi & Om Prakash Gandhi Ss/o L. Parma Nand Gandhi R/o E-27, Greater Kailash-1, New Delhi.

(Transferors)

(2) Om Prakash Wadhwa S/o Behari Lal Wadhwa & Smt. Raj Wadhwa W/o Om Prakash Wadhwa R/o 90/84A, Malviya Nagar, New Delhi.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 90/84A area 100 sq. yds. situated at Malviya Nagar, New Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/428.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 11946, situated at Western Extension Area, Karol Bagh New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 13-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Suman Bhandari & Raman Bhandari sons of Shri Uggar Sain Bhandari R/o 1000, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Ajit Kaur W/o S. Sadhu Singh R/o 12/2390, Beadonpura, Karol Bagh, New Delhi.
(Transferee)

Obections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing Municipal No. 11946 Plot No. 58, Block No. 3-A, measuring 77 sq. yds. situated in Western Extension Area Karol Bagh, New Delhi.

D. P. GOYAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002.

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/429..—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. H-5/14, situated at Malviya Nagar New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at New Delhi, on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 169D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Khem Chand S/o Khushi Ram Sector 23, 2315, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Ramji Dass & Smt. Parbati Devi, H-5/14, Malviya Nagar New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Property No. H-5/14, (H-5/14) area 100 sq. yds. Malviya Nagar New Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.

Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC-Acq-III/11-79/430.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. G-11/2 situated at Malviya Nagar, New Delhi, (and more fully described in the schedule annexed thereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

21—356GI/79

(1) Shri Gidu Mal S/o Uttam Chand R/o 7/9, Railway Colony, Daya Basti, Delhi through Special attorney S. N. Bansal S/o J. N. Bansal R/o G-11/2, Malviya Nagar, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Raksha Rani Bansal W/o S. D. Bansal R/o G-11/2, Malviya Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. G-11/2, area 126 sq. yds. situated at Malviya Nagar New Delhi.

D. P. GOYAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/431.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Nil/43B situated at Malviya Nagar, New Delhi.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at New Delhi on 31-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Pushpa Vohra D/o Chuni Lal Dhawan W/o Sh. Dina Nath Vohra R/o House No. 31, Mall Road, Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Moti Ram S/o Sh. Deo Mal & Sh. Lachhman Dass S/o Sh. Deo Mal R/o 16, Malviya Nagar, New Delhi.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. Nil/43B situated at Malviya Nagar, New Delhi-11007, admeasuring 100 sq. yds. and bounded as under :—

East : Service Lane
West : Road
North : Qr. No. Nil/43A.
South : Qr. No. Nil/44. ....

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/432.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. F-3/12 situated at Malviya Nagar New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 6-3-1979.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shiv Lal S/o Sunder Lal attorney for Shri Munshi Singh S/o Dharam Singh R/o F-3/5, Malviya Nagar New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Bhagwanti W/o Shiv Lal R/o F-3/13, Malviya Nagar New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. F-3/12 area 128 sq. yds. situated at Malviya Nagar New Delhi and bounded as under :—

North : Road.
South : Plot No. F-3/11.
East : Road.
West : Service Lane.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79-433.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. H-7/6-7, situated at Malviya Nagar New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 31-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(b) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Gurcharan Singh S/o Gurdit Singh R/o D-86, Malviya Nagar New Delhi through Shri Chanan Ram Gupta S/o Shri Maghar Mal R/o H-7/6, Malviya Nagar New Delhi.

(Transferors)

(2) Shri Desh Bandhu and Narinder Kumar sons of Chanan Ram Gupta R/o H-7/6, Malviya Nagar New Delhi.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. H-7/6-7 area 1777.50 sq. fts. (197.50 sq. yds) situated at Malviya Nagar, New Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/434.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. Plot No. 10 Block A, situated at Green Park Extension, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi. on 19-3-1979,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of1 957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ishwar Chand Gupta S/o Ram Chander Gupta R/o A-11, Greater Kailash Enclave-II, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Ajit Prashad Jain S/o Jyoti Prashad Jain R/o 2559, Dharampura Delhi-110006. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period ot 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A one and a half storeyed residential house built on a free hold residential plot of land bearing No. 10 block No. A measuring 355.5 sq. yds (297.28 sq. mts.) situated in Green Park Extension New Delhi and bounded as under :—

East : House No. A/14 and A-15(Part).
West : Road.
North : House No. A-9.
South : House No. A-11.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/435.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred **to as the 'said Act'), have reason to believe that** the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. J-4/6 situated at Rajouri Garden New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on March 1979,
for an apparent consideration which **is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have** reason to believe that the fair market value of the property **as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by** more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to **between the parties has not been truly stated in the said** instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other **assets which have not been** or which ought to be disclosed by the **transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922** (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax **Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Mohinder Kaur W/o Pritam Singh C/o Jullundur Pipe Fitting Co., Chowk Bhagat Singh, Jullundur City-1.
(Transferor)

(2) Shri Ramesh Chander & Yoginder Prakash sons of Shri Wasti Ram R/o H. No. 9317 Gali No. 7, Multani Dhanda Paharganj New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writiing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. J-4/6, Rajouri Garden New Delhi with the freehold land measuring 206 sq. yds. under the said house area filling within the village Tatarpur, Delhi bounded as under :—

North : Open land.
South : Road.
East : Property No. J-4/5.
West : Property No. J-4/7.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.

Seal :

FORM ITNS——————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/436.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. H-2, situated at Green Park New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at New Delhi on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasoin of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Edith Nath Berry W/o Late Shri Nath Berry through her general attorney Sh. A. J. Levi R/o H-2, Green Park New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri K. K. Chadha S/o Late Sh. Sukh Raj Chadha R/o 11, Park Area, Karol Bagh New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storeyed house bearing Plot No. 2 Block H built on land measuring 200 sq. yds. situated in the colony known as Green Park area of village Kherara Delhi State Delhi bounded as under :—

North : Road.
South : Service Lane.
East : Plot No. 1, Block H now known as Plot No. 16 Block F of Green Park.
West : Plot No. 3 Block H.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date. 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/437.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
H. No. Plot No. 10 on Road No. 66 situated at Punjabi Bagh New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi, on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lalit Kumar S/o R. K. Nanda R/o, J-10/49, Rajouri Garden New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Bimla Rani W/o Kailash Chand, R/o 3/3, Jaidev Park New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House on plot No. 10 on Road No. 66 area 279.55 sq. yds. situated at Punjabi Bagh area of village Madipur Delhi State Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/438.—Whereas I. D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 94 situated at Village Matiala, P. O. Uttam Nagar Najafgarh Road, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi, on 21-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or and moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Suman Kapahi S/o Shiv Kumar Papahi R/o 5/12, Punjabi Bagh Extn. New Delhi as eGn. Att. of Mir Singh.
(Transferor)

(2) M/s Delux Enterprises, 94, Matiala Delhi, State Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A piece of land measuring 825 sq. yds. with one and a half storeyed building thereon situated at No. 94, Village Matiala, P. O. Uttam Nagar, Najafgarh Road, New Delhi bounded as under :—

East : Property of M/s A. K. Industries.
West : Land of Shri Mir Singh.
North : Road.
South : Land of Sher Singh & Others.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commssioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/439.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 30 Road No. 56 situated at Punjabi Bagh New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurbaksh Singh S/o Major S. Kartar Singh R/o 57-B, Central Avenue Calcutta-72.
(Transferor)

(2) Shri Harnam Singh S/o S. Jeet Singh R/o 5/71, Punjabi Bagh New Delhi-26.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 30 on Road No. 56 in Class C, measuring 555.55 sq. yds. situated at Punjabi Bagh, area Village Madipur Delhi State Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/11-79/440.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) **(hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value** exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. J-5/24, situated at Rajouri Garden New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), **has been** transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi on 17-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds **the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration** for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object **of :—**

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hazara Singh S/o Jagat Singh Mahel R/o J-5/24, Rajouri Garden New Delhi.

(Transferors)

(2) Shri D. K. Sahni R/o J-5/109, Rajouri Garden New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice **in the Official Gazette or a period of 30 days from** the service of notice on the respective persons, **whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act **shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

House built on freehold plot of land bearing plot No. 24, Block No. J-5, measuring 160 sq. yds. situated in the colony known as Rajouri Garden New Delhi bounded as under :—
East : Lawn.
West : Road.
North : Plot No. J-5/23.
South : Plot No. J-5/25.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/441.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 1/2 of No. 62 situated at North Avenue Road, Punjabi Bagh New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Delhi on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Prithpal Singh S/o Late Sardar Dhian Singh of 62, North Avenue Road, Punjabi Bagh New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Pritam Singh s/o late Sardar Dhian Singh of 62, North Avenue Road, Punjabi Bagh New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided half portion of property bearing No. 62, North Avenue Road, situated in Punjabi Bagh New Delhi measuring 277.78 sq. yds.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No, IAC/Acq-III/11-79/442.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1/2 of Plot No. 18 Road No. 71 situated at Punjabi Bagh New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri (1) J. R. Singh S/o late Dewan Mulakh Raj R/o C-64, Panchsheel Enclave New Delhi (2) Smt. Raj Sethi D/o Late Dewan Mulakh Raj R/o C-2/23, New Rohtak Road N. Delhi (3) Smt. Usha Singh W/o Late Anat Raj Singh, D-608, Curzon Road Hostal N. Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Avinash Sachdeva S/o Late Jagan Nath R/o 4/44, Punjabi Bagh New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of plot No. 18 on Road No. 71, measuring 548.33 sq. yds situated at Punjabi Bagh, area of village Madipur, Delhi State, Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/443.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing
No. 1/3 of Plot No. 18 Road No. 71 situated at Punjabi Bagh New Delhi.
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kamal Chhabra W/o Sh. Anil Raj Singh & Smt. Nirmal Kumari W/o Sh. Dev Raj Singh R/o 168, Mount Road, Madras.
(Transferor)

(2) Smt. Swaran Kaur W/o Sh. Ajeet Singh R/o 21/43, Punjabi Bagh New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd share of plot bearing No. 18 on Road No. 71 measuring 365.55 sq. yds. situated at Punjabi Bagh area of village Madipur, Delhi State Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/444.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1/6 of Plot No. 18 Road No. 71 situated at Punjabi Bagh New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Delhi in March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment ofany income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Krishana Kumari W/o Late Shri Prithvi Raj R/o C-64, Panchsheel Enclave New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Swaran Kaur W/o S. Ajeet Singh R/o 21/43, Punjabi Bagh New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/6th share of plot No. 18 on Road No. 71 measuring 182.78 sq. yds. situated at Punjabi Bagh area of Village Madipur Delhi State, Delhi.

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002.

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/11-79/445.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. RA-19, situated at Inderpuri Colony area of village Naraina Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi o n8-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shanno Devi Wd/o Sh. Kanwar Bhan Kalra R/o RA-19, Inderpuri Delhi,
(Transferor)

(2) Shri Hardeep Singh Wadhwa s/o Iqbal Singh Wadhwa R/o XVI/1325 Gali No. 19, Naiwala Karol Bagh New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. RA-19, measuring 200 sq. yds., Single Storeyed built in Inderpuri Colony area of village Naraina Delhi State, Delhi bounded as under :—
East : Property No. RA-18.
West : Road.
North : Road.
South : Lane.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002.

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/11-79/446.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1/2 share of plot No. 22 Road No. 56 situated at Punjabi Bagh New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on 19-5-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1972) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. C. Goulatia S/o Sh. Dewan Chand, R/o 59-61, Shankar Market, Con. Circus New Delhi.
(Transferor)

(2) Harbhajan Singh S/o S. Gurdit Singh & Sukhbir Singh S/o Harbhajan Singh R/o, 8227, Gali No. 6, Multani Dhanda, Paharganj Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 sare of free hold plot of land bearing plot No. 22 on Road No. 56 measuring 330.32 sq. yds. (Total 660.64 sq. yds) situated in the colony known as Punjabi Bagh area of village Madipur Delhi State, Delhi, bounded as under :—

North : Road No. 56.
South : Service Lane
East : Kothi On Plot No. 20/56.
West : Road No. 67.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002.

New Delhi, the 8th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/11-79/447.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1/2 share of plot No. 22 Road No. 56 situated at Punjabi Bagh New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under the Registration Act, at 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 6-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer, with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. C. Goulatia S/o Sh. Dewan Chand R/o 59-61, Central Market (Shankar Market) Con. Circus, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Harbhajan Singh Chopra and Smt. Harbhajan Kaur R/o 8227, Gali No. 6, Multani Dhanda Paharganj New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 22 on Road No. 56 measuring 330.32 sq. yds. (total area 660.64 sq. yds) situated in the colony known as Punjabi Bagh area of village Madipur Delhi State, Delhi bounded as under :—

North : Road No. 56.
South : Service Lane.
East : Kothi On Plot No. 20/56.
West : Road.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range III,
Delhi/New Delhi.

Date : 8-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 14th November 1979

Ref. No. RAC. No. 272/79-80.—Whereas I,
R. B. L. AGGRAWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
1164 Ward No. VII situated at Gali Samosan, Frash Khana, Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on 5-3-1979,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of1 957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Lachhmi Bai alias Smt. Laxmi Bai Wd/o Sh. Hukam Chand Mutreja R/o No. 1164, Gali Samosan Frash Khana Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Kailash Chand 2. Ghansham Dass ss/o Rattan Lal R/o 219, Gali Kandle Kashan Fatehpuri Delhi 3. Kanwal Kishore S/o Rattan Lal R/o 6253 Kucha Shiv Mandir, Gali Batashan Khari Baoli Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house 2/4 storeyed, bearing Municipal Corporation No. 1164 Ward No. VII built at free hold land measuring 120 sq. yds. situated in Gali Samosan, Frash Khana, Delhi, bounded as under :—

East : House No. VII/130.
West : Gali.
Nofth : Masjid.
South : Gali.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi.

Date : 14-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 14th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-II/SRI/3-79/5028.—Whereas I, R. B. L. AGGRAWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. J-137 situated at Kirti Nagar New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Delhi on 16-3-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ganga Ram S/o Chhelu Ram of Cheap Silk Store, Ajmal Khan Road, Karol Bagh New Delhi.
(Transferor)

(2) M. C. Oberoi S/o Bishan Dass of B-3/14, Rajouri Garden New Delhi and Sh. Krishan Lal S/o Madan Lal A-43, Rajouri Garden New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. J-137 measuring 250 sq. yds. situated in the colony known as Kirti Nagar and area of village Bassai Darapur Delhi State, Delhi bounded as under :—

North : Road.
South : Service Lane and Park.
East : Road.
West : House on Plot No. J-136.

R. B. L. AGGRAWAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi.

Date : 14-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 14th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-II/3-79/5097/3798.—Whereas I, R. B. L. AGGRAWAL,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 142 situated at Raja Garden Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Delhi on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Baldev Kumar Chadha S/o Jagdish Lal R/o N-45, Kirti Nagar New Delhi at present Ireland through his general attorney Smt. Kumud Lata Gupta W/o Ramesh Kumar Gupta R/o 142, Raja Garden New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Ramesh Kumar Gupta S/o Rakha Ram Gupta R/o 142, Raja Garden New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House built on Plot No. 142 measuring 220½ sq. yds. situated in the colony known as Raja Garden area of village Bassai Darapur Delhi State Delhi bounded as under :—

North : Plot No. 141.
South : Road.
East : Road.
West : Plot No. 135.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi.

Date : 14-11-1979.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 14th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-II/3-79/4973.—Whereas I, R. B. L. AGGRAWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. J-45, situated at Rajouri Garden New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Delhi in March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manmohan Bhatia & Inder Mohan Bhatia sons of Sh. Mukand Lal Bhatia R/o 25/60, New Rohtak Road, New Delhi.

(Transferor)

(2) Gurucharan Singh S/o Sardar Singh R/o S-31, Rajouri Garden New Delhi (2) Satya Bhushan & (3) Subhash Chandra Sons of Devki Nandan R/o F-3, Rattan Park New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 45 in Block J, Measuring 243 sq. yds. at Rajouri Garden area of village Bassai Darapur Delhi State Delhi, bounded as under :—
North : Plot No. J-46.
South : Plot No. J-44.
East : Road.
West : Plot No. J-86.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi.

Date : 14-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001.

New Delhi, the 16th November 1979

Ref. No. IAC/Acq-II/3-79/1014/5014.—Whereas I, R. B. L. AGGRAWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. J-149, situated at Rajouri Garden New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sardarni Inder Kaur W/o S. Attar Singh Oberoi R/o 7-13, Rajouri Garden New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Vinod Kumar Chhabra & Surinder, Kumar Chhabra Ss/o Khem Chand R/o H. No. 948, Tilak Gali Kashmere Gate Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 149 in Block J measuring 300 sq. yds. situated in the residential colony known as Rajouri Garden area of village Bassai Darapur Delhi State Delhi bounded as under :—
North : Plot No. —/148.
South : Plot No. J/149A.
East : Road.
West : Plot No. J/167.

R. B. L. AGGARWAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi.

Date : 16-11-1979.
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
57-RAMTIRTH MARG
LUCKNOW.

Lucknow, the 5th September 1979

Ref. No. 105-M/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and property on Khasra, bearing No. 2592/2 Amroha
situated at Amroha, Moradabad.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Amroha Dist. Moradabad on 19-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sardar Sumer Singh & Mahendra Prakash
(Transferor)

(2) Shri Mohd. Nafees Abbasi & Mohd. Hafeez Abbasi,
(Transferee)

(3) As in Form 37G—Vendors.
(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Cinema Hall on a land measuring 0.47 decimal Bhumidhari Khasra No. 2594/2 including machinery part, furniture and fittings, land building etc, situate at Kasba Amroha, Dist. Moradabad (inside 'CHUNGI') and all that description of the property which is mentioned in form 37G—No. 1075/79 and sale deed duly registered at the office of the Sub Registrar, Amroha, Dist. Moradabad on 12-3-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Lucknow.

Date : 5-9-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
57-RAMTIRTH MARG
LUCKNOW.

Lucknow, the 14th September 1979

Ref. No. 179-S/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. one shop including building & land situated at Mohalla Bazar Mistonganj, P.N.B. Road, Rampur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Rampur on 29-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

4—356GI/79

(1) Sahu Nirankar Saran.

(2) Subodh Kumar Gupta.
(Transferor)

(3) Sahu Nirankar Saran.
(Person in occupation of the property).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One shop including building & land etc. situate at Mohalla Mistonganj, Punjab National Bank Road, Rampur, and all that description of the property which is mentioned in Form 37G No. 894 and sale deed which have duly been registered in the office of the Sub Registrar, Rampur on 29-3-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Lucknow.

Date : 14-9-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
57-RAMTIRTH MARG
LUCKNOW.

Lucknow, the 14th September 1979

Ref. No. 39-G/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 498/179 situated at Faizabad Road, Lucknow.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Lucknow on 6-2-1979.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to belive that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Prof E. Ahmad Shah. (Transferor)

(2) Smt. Gian Devi & M/s Arora Cottage Pvt. Ltd. (Transferee)

(3) Vendees.
(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A bunglow No. 498/179 situate at Faizabad Road, Lucknow and all that description of the property which is mentioned in Form 37G No. 1218/79 and sale deed duly registered at the office of the Sub Registrar, Lucknow on 6-2-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Lucknow.

Date : 14-9-1979.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
57-RAMTIRTH MARG
LUCKNOW.

Lucknow, the 11th September 1979

Ref. No. 41-V/Acq.—Whereas I. A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. House No. 986-B, Daryabad, Allahabad situated on Plot No. 165 South Housing Scheme Part II, Daryabad, Allahabad. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Allahabad on 30-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arsing from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Gaya Pd. Kesarwani
(Transferor)

(2) 1. Vishnu Mittal;
2. Arvind Agarwal;
3. Smt. Sneh Lata Agarwal;
4. Smt. Manju Agarwal.
(Transferee)

(3) Shri Gaya Prasad Kesarwani.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respectiv persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One-storeyed house No. 986-B located at Plot No. 165 South Housing Scheme Part II of Nagarmahapalika situate at Daryabad, Allahabad and all that description of the property which is mentioned in Form 37G No. 1241 and sale deed duly registered at the office of the Sub Registrar, Allahabad on 30-3-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Lucknow.

Date : 14-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
57-RAMTIRTH MARG
LUCKNOW.

Lucknow, the 18th September 1979

Ref. No. 106-M/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
as per schedule
situated at Mohalla Bagh Khirni, Shahjehanpur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Shahjehanpur on 30-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagdish Narain Shanglu. (Transferor)

(2) Smt. Dr. Madanjeet Singh.

(3) Shri J. N. Shunglu. (Person in occupation of the property) (Transferee)

(4) Shri J. N. Shunglu. (Person whom the undersigned to be included in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house including land etc. area about 200 Sq. Yds. situate at Mohalla Bagh Khirni, Shahjehanpur and all that description of the property which is mentioned in the sale-deed and Form 37G No. 928/79 which have duly been registered at the office of the Sub Registrar. Shahjehanpur on 30-3-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,
Lucknow.

Date : 18-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
57-RAMTIRTH MARG
LUCKNOW.

Lucknow, the 18th September 1979

Ref. No. 106-M/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
as per schedule
situated at Mohalla Bagh Khirni, Shahjehanpur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Shahjehanpur on 30-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagdish Narain Shanglu. (Transferor)

(2) Smt. Dr. Madanject Singh.

(3) Shri J. N. Shunglu. (Person in occupation of the property) (Transferee)

(4) Shri J. N. Shunglu. (Person whom the undersigned to be included in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house including land etc. area about 200 Sq. Yds. situate at Mohalla Bagh Khirni, Shahjehanpur and all that description of the property which is mentioned in the sale-deed and Form 37G No. 928/79 which have duly been registered at the office of the Sub Registrar, Shahjehanpur on 30-3-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,
Lucknow.

Date : 18-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 18th September 1979

Ref. No. 34-D/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at Mohalla Bagh Khirni, Shahjehanpur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Shahjehanpur on 30-3-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the tranfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferor for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagdish Narain Shunglu. (Transferor)

(2) Shri Dharmendra Pratap Singh. (Transferee)

(3) Above transferor. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house including land etc. total area about 250 Sq. Yds. situate at Mohalla Bagh Khirni, Shahjehanpur and all that description of the property which is mentioned in sale deed and Form 37G No. 427/79 which have duly been registered at the office of the Sub Registrar, Shahjehanpur.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Lucknow

Date : 18-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 9th November 1979

Ref. No. N-29/Acq.—Whereas I A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. B-42, Sector A, situated at Mahanagar, Lucknow, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 23-4-1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri Laxmi Asthana;
2. Sri G. N. Asthana;
3. Km. Amita Asthana;
4. Km. Alka Asthana.

(Transferor)

(2) 1. Dr. N. N. Mahendra;
2. Smt. Kukkum Mahendra;
3. Shri Vinay Mahendra;
4. Sri Sharad Mahendra; and
5. Sri Ashish Mahendra (3-5 minor sons of Dr. N. N. Mahendra).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing No. B-42, Sector A, Mahanagar, Lucknow measuring 9833 sft and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 1921 which have duly been registered in the office of the Sub Registrar, Lucknow on 23-4-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Lucknow

Date : 9-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE

Lucknow, the 9th November 1979

Ref. No. T-20/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 954, situated at Katra Allahabad,
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Allahabad on 18-4-1979,
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and **I have reason to believe that the fair market value of the** property as aforesaid exceeds the apparent consideration **therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration** and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the **transferor to pay tax under the said Act, in** respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kamini Srivastav.
(Transferor)

(2) Sri Tribeni Pd. Dwivedi; and Sri Janardan Pd. Pandey.
(Transferee)

(3) Seller.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA in the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A double storeyed house bearing No. 954, Katra, Allahabad and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 1563 which have duly been registered in the office of the Sub Registrar, Allahabad on 18-4-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 9-11-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 19th November 1979

Ref. No. M-107/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Khasra No. 1069, situated at Moh. Katghar-Mahbullaganj-Moradabad.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
Moradabad on 7-4-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

25—356GI/79

(1) 1. Sri Ram Kishan;
2. Sri Hari Chand; and
3. Sri Rajeshwar Nath Dubey.
(Transferor)

(2) 1. Smt. Madhuri Agarwal; and
2. Smt. Ram Sakhi Devi.
(Transferee)

(3) Seller.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land Khasra No. 1069 measuring 642.2640 sqm. situate at Katghar—Mehbullaganj, Moradabad and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 1985 which have duly been registered in the office of the Sub Registrar Moradabad on 7-4-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 9-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE

Lucknow, the 18th November 1979

Ref. No. H-32/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 81/3, constructed on 3613 sft of land situated at Shivpuri, Bans Mandi, Lucknow,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Lucknow on 23-4-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Girish Shukla.
(Transferor)

(2) Shri Hanuman Das Agarwal and Smt. Chando Devi.
(Transferee)

(3) Seller.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 81/3, constructed on 3613 sft of land, situate at Shivpuri, Bans Mandi, Lucknow and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 1475/79 which have duly been registered at the office of the Sub Registrar, Lucknow on 23-4-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 9-11-1979
Seal :

FORMS ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
57, RAMTIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 9th November 1979

Ref. No. D-35/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 102/43, Ahata Gulab Niketan situated at Shivaji Marg, Lucknow,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Lucknow on 24-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Prabhu Narain Kakkar.
(Transferor)

(2) 1. Shri Dhanpat Rai Arora;
2. Smt. Rukmani Rani;
3. Madan Lal Arora; and
4. Rakesh Kumar Arora minor through his natural legal guardian Shri Dhanpat Rai Arora.
(Transferee)

(3) Seller and Abhiyanta Sharda Sahayak Khand.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquistion of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 102/43, situated at Ahata Gulab Niketan, Shivaji Marg, Lucknow and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 1305 which have duly been registered at the office of the Sub Registrar, Lucknow on 24-3-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 9-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
57, RAMTIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 9th November 1979

Ref. No. A-77/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot measuring 590.7545 sqm situated at Vill. Maihola, Parg, Teh. and Dist. Moradabad,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Moradabad on 30-4-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri Arvind Kumar Gupta; and
2. Sri Vipin Kumar Gupta.
(Transferor)

(2) 1. Sri Ajit Agarwal;
2. Sri Amit Agarwal;
3. Sri Anil Agarwal; and
4. Sri Akhil Agarwal.
(Transferee)

(3) Sellers.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 590.7545 sqm surrounded by boundary wall situate at Vill. Majhola, Parg., Teh. and Dist. Moradabad and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 807/79 which have duly been registered at the office of the Sub Registrar, Moradabad on 30-4-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 9-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
57, RAMTIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 9th November 1979

Ref. No. S-182/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1st Floor portion of House No. 92/161 situated at Bans Mandi, Lucknow,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Lucknow on 30-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) British Indian Association Avadh, Qaiser Bagh, Lucknow through President Shri Himanshudhar Singh and Vice President Shri Krishna Pal Singh.
(Transferor)

(2) Shri Surendra Kumar Pahwa.
(Transferee)

(3) Seller and Shri C. N. Bhargava.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1st floor portion of House No. 92/161 situate at Bans Mandi, Lucknow and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 1460 which have duly been registered at the office of the Sub Registrar, Lucknow on 30-3-1979.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 9-11-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 57, RAMTIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 15th November 1979

Ref. No. R-138/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and House bearing No. Nil situated at Mohalla Brahmapura, Nai Basti, Narkulaganj, Bareilly (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bareilly on 29-3-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Om Shanker; &
2. Shri Siddharth Kumar.
(Transferor)

(2) 1. Shri Rajendra Pd.
2. Shri Vijai Kumar, &
3. Shri Narendra Kumar.
(Transferee)

(3) Shri Om Shanker
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house including building & land situate at Mohalla Brahmapura, Nai Basti, Narkulaganj, Bareilly and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 1592 which have duly been registered in the office of the Sub Registrar, Bareilly on 29-3-1979.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 15-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 57, RAMTIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 15th November 1979

Ref. No. R-139/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/3rd portion of house No. 201-C, constructed on plot No. 189, situated at Nai Basti, Bareilly (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Bareilly on 2-4-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) faciiltating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sanjai Kumar (Transferor)

(2) 1. Shri Rajendra Pd.
2. Shri Vijai Kumar, &
3. Shri Narendra Kumar. (Transferee)

(3) Seller (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respetive persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd portion of house No. 201-C, constructed on Plot No. 189, situate at Mohalla Nai Basti, Bareilly and all that description of the property which is mentioned in the Form 37G No. 1646 and sale deed which have dully been registered in the office of the Sub Registrar, Bareilly on 2-4-1979.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 15-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 57, RAMTIRTH MARG

LUCKNOW

Lucknow, the 16th November 1979

Ref. No. S-183/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 13 shops including land area 163 Sqm. situated at Pujeri Gali, Moradabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Moradabad on 19-4-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have nit been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Prithvijeet Kumar (Transferor)

(2) Shri Satya Prakash & Prem Chand (Transferee)

(3) Seller & tenants
S/Shri
1. Ram Niwas
2. Chunni Lal
3. Gyanveer Saran
4. Sipahi Lal
5. Ghanshyam Dass
6. Munni Lal
7. Shiv Kumar
8. Ram Murat Singh
9. Ram Kishore
10. Ram Asrey Pd.
11. Om Prakash
12. Pratap Narain
(Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Thirteen shops including building & land admeasuring 163 Sqm. and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and Form 37G No. 747/79 which have dully been registered at the office of the Sub Registrar, Moradabad on 19-4-1979.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 16-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, DHARWAR

Dharwar, the 6th October 1979

Notice No. 253/79 80/Acq.—Whereas, I,
P. RANGANATHAN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
M/s. The ACC Vickers-Babcock Ltd. Shahabad Works, P.O. Shahbad ACC Gulbarga Dist. situated at
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gulbarga Doc. No. 180/79-80 on 31-3-1979
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, on the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. The Associated Cement Cos. Ltd., Shahbad Cement Works P.O. Shahbad, ACC 585229, Dist Gulbarga (Karnataka State)
(Transferor)

(2) M/s The ACC Vickers Babcock Ltd., Shahabad Works P.O. Shahabad, ACC. 58529 Dist. Gulbarga, Karnataka.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Doc. No. 180/79-80. Dated 31-3-1979]
Property pertaining to Civil portion consist of (1) Stone Masonry wall around canteen Building (2) Culvert over Gulbarga Ravur, Road accross the water pipe line. (3) Water pipe line to new pattern shop, item Nos 1 and 3 are situated within the campus of M/s. ACC Vickers-Babcock Ltd., Shahabad and item No. 2. is situated on the Main road connecting Gulbarga-Ravur and Machinery and Plants as per conveyance deed Registered at Dist. Registrars' Office Gulbarga on 31-3-1979.

P. RANGANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar.

Date : 6-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, DHARWAR

Dharwar, the 10th October 1979

Notice No. 254/79-80/Acq.—Whereas, I,
P. RANGANATHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that
the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1289 & 1290, situated at Alto De Porvorim, Serula of Socorro Village Panchayat, Bardez, Goa
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bardez, Document No. 303/79 on 7-5-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate, proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Prakash Ramcrisna Salgaocar, Vasco da Gama, GOA.

(Transferor)

(2) K. Pundalika Mallya, Panjim, Goa
Present address :
Manager, Syndicate Bank,
Delhi Chokda Road, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Doc. No. 303/79-80 Dated 7-5-1979]

Portion of House property bearing revenue Nos. 1289 & 1290 known as "Fondem gallum" situated at Alto De Porvorim, Serula of Soccorro Village Panchayat, of Serula Taluk, Bardez, Goa,

P. RANGANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar.

Date : 10-10-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, DHARWAR

Dharwar, the 10th October 1979

Notice No. 255/79-80/Acq.—Whereas, I,
P. RANGANATHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1289 & 1290, situated at Alto De Porvorim, Serula of Socorro Village Panchayat, Bardey, Goa
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bardey, Doc. No. 305/79 on 14-5-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Prakash Ramcrisna Salgaocar,
Vasco da Gama, GOA.

(Transferor)

(2) Shri K. Ramanatha Baliga, Mapusa Goa,
Present address :
Manager, Syndicate Bank,
Kalpana T.C. 26/770,
Co-operative College Road,
Trivandrum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Doc. No. 305/79-80 Dated 14-5-1979]
Portion of house property bearing land revenue Nos. 1289 & 1290 known as "Fondem Gallum" situated at Alto De Porvorim, Serula of Socorro Village Panchayat, of Taluk Bardey, dt. Goa,

P. RANGANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar.

Date : 10/10/1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, DHARWAR

Dharwar, the 10th October 1979

Notice No. 256/79-80/Acq.—Whereas, I, P. RANGANATHAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1289 & 1290, situated at Alto De Porvorim, Serala of Socorro Village Panchayat, Bardez, Goa (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bardez Doc. No. 304/79-80 on 11-5-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Prakash Ramcrishna Salgaocar, Vasco da Gama, GOA.

(Transferor)

(2) Shri M. Devadas Kini, Sanquelim, Goa
Present address :
Manager, Syndicate Bank,
Mission Street, Mangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Doc. No. 304/79-80. Dated 11-5-1979]
Portion of House Property bearing land revenue Nos 1289 & 1290 known as "Fondem Gallam" situated at Alto Porvorim-sucorro Village Panchayat, of Serala Taluk, Bardez, Goa,

P. RANGANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar.

Date : 10-10-1979
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 3rd November 1979

Ref. No. RAC No. 339/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Land S. No. 834 situated at Nalgonda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nalgonda on March 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269D of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Shamsunnisa Begum
W/o M. A. Aiziz,
2. Smt. Rafiqunnisa Begum
W/o Shri Moinuddin Hussain,
both R/o 5-4-94 at M.G. Road,
Secunderabad.

(Transferors)

(2) The Secretary,
Survey of land records
Employees Co-operative House Building Society,
R/o Ramagiri-Nalgonda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land in survey No. 834 Kasara No. 900 admeasuring 13.27 Acrs. situated at Nalgonda village, Nalgonda, registered vide Doc. No. 413/79 in the office of the Sub-Registrar Nalgonda.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 3-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 3rd November 1979

Ref. No. RAC No. 340/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Mulg No. 37 situated at 22-7-269/37 Dewandevdi, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Azampura on March 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Shaw Builders,
22-7-269/3 at Dewandevdi, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Smt. Hemlata,
W/o Shri Jamnadas,
R/o 8-1-212 at Sivajinagar, Secunderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop R.C.C. area 23-66 Sq. Mets. No. 37 in M. No. 22-7-269/37 at Dewandevdi Hyderabad, registered vide Doc. No. 940/79 in the office of the Sub Registrar Azampura.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 3-11-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 3rd November 1979

Ref. No. RAC No. 341/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to belive that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 6-2-655 situated at Khairtabad, Hyderabad. (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khairtabad on March 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Smt. Vikarunnaisa Begum,
2. Smt. Asifjahan Begum,
3. Smt. Maqbool Jahan Begum,
4. Smt. Moazam Jahan Begum,
5. Smt. Mukaram Jahan Begum,
6. Shri Mirza Saleem Baig,
7. Shri Mirza Mohammed Ali Baig,
all residing at H No. 6-10-123/A at Masab Tank, Hyderabad.

(Transferors)

(2) 1. Smt. Bilquis Jahan Begum,
2. Smt. Najamannisa Begum,
3. Smt. Shahryar Jahan Begum,
all residing at H. No. 6-2-655 at Khairtabad, Hyderabad.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building M. No. 6-2-655 at Khairtabad, Hyderabad, total area 2350 Sq. Yds. registered vide Doc. No. 956/79 in the office of the Sub-Registrar Khairtabad.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 3-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 3rd November 1979

Ref. No. RAC No. 342/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Land S. No. 157/7 situated at Tokatta, Secunderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Secunderabad on March 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri S. Eshwar Reddy, R/o 157/7 at Tokatta, Secunderabad. (Hyderabad Urban)

(Transferor)

(2) The Raghava Cooperative House Building Society, Ltd., H. No. 6-/87/4 at Alwal, Secunderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 1 acre in portion of Survey No. 157/7 at Thoktatta, Hyderabad, Urban, Secunderabad, registered vide Doc. No. 482/79 in the office of the Sub-Registrar, Secunderabad.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 3-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 3rd November 1979

Ref. No. RAC No. 343/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Shop No. 33 in situated at 1-7-234 to 241 S.D. Road, Secunderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Secunderabad on March-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. K. Kamala
W/o Shri Sita Rama Raju,
R/o Padmagrape garden Secunderabad.
(Transferor)

(2) Sri Syed Najmul Hussain,
S/o Shri Syed Amir Hussain,
R/o Padma Grapes Garden Secunderabad.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 33 in premises No. 1-7-234 to 241 in Chandralock Complex, at S.D. Road, Secunderabad, registered vide Doc. No. 506/79 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 3-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 3rd November 1979

Ref. No. RAC No. 344/79 80 – Whereas, I, K. K. VEER being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to belive that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 337 in 3rd floor situated at S.D. Road, Secunderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred, under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Secunderabad on March 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Swastic Construction Co., at 111-S.D. Road, Secunderabad. (Transferor)

(2) Sri B. Visam Raju H. No. 1-10-1/15 Ashoknagar, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office premises No. 337 in 3rd floor of Chandralok Complex, at S.D. Road, Secunderabad, registered vide Doc. No. 686/79 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 3-11-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 3rd November 1979

Ref. No. RAC No. 345/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 237 on 2nd floor situated at S.R. Road, Secunderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Secunderabad on March 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Swastik Construction Co.,
at 111-S.D. Road, Secunderabad.
(Transferor)

(2) Smt. B. Sitha,
H. No. 1-10-1/15, Ashoknagar,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 237 in 2nd floor of Chandralok Complex, at 111 S.D. Road, Secunderabad, registered vide Doc. No. 687/79 in the office of the Sub-Registrar, Secunderabad.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 3-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 3rd November 1979

Ref. No. RAC No. 346/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceedings Rs. 2,5000/- and bearing
Plot No. 24 situated at 16-2-Malakpet, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Azampura on March 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri V. Krishna Prasad, R/o H. No. 1-8-549/2 at Chikkadpally, Hyderabad
(Transferor)

(2) Sri S. Narahari, R/o H. No. 18-4-391 at Outside Aliabad, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 24 under M. No. 16-2 admeasuring 1109 Sq. Yds. situated at Malakpet, Hyderabad, registered vide Doc. No. 718/79 in the office of the Sub-Registrar, Azampura.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 3-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 3rd November 1979

Ref. No. RAC No. 347/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 7 situated at Judges Colony Malakpet, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Azampura on March 1979 for an apparent consideration which is **less than the fair market value of the aforesaid property and** I have reason to believe that the fair market value of the **property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as** agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, **in respect of any income arising from the transfer; and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 **(27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Sri M. Sunder Rao
S/o Shri M. Kondala Rao,
his G.P.A. Sri M. Kondala Rao,
H. No. 3-6-696 at Himayatnagar, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Dr. Kolanu Janaradhan Reddy,
H. No. 1-5-16/C Mushirabad, Hyderabad.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7 admeasuring 450 Sq. Yds. at Judges Colony, Malakpet, Hyderabad, registered vide Doc. No. 939/79 in the office of the Sub-Registrar Azampura

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 3-11-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 13th November 1979

Ref. No. RAC. No. 348/79-80.—Whereas, I K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Door No. 1600/24 situated at Fathekanpet Nellore,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nellore on March-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Koduru Sridevamma,
W/o Sri Venkata Krishna Reddy,
R/o Pemmareddypalem, Kovur-Tq.,
Nellore-Dt.
(Transferor)

(1) 1. Sri Gadi Ramachandra Reddy,
2. Sri Gadi Dharanija,
W/o Ramachandra Reddy,
both residing at Annareddypalem, Villg.
Kovur-Tq., Nellore, Dist.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building Door No. 1600, ward No. 24 situated at Fathekhanpet, Nellore, registered vide Doc. No. 702/79 in the office of the Sub-Registrar Nellore.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-11-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 13th November 1979

Ref. No. RAC. No. 349/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot in S. No. 32/1 situated at Somajiguda Hyderabad
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Khairtabad on March-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Jitender Raj,
H. No. 6-3-1238 at Raj Bhavan Road,
Somajiguda, Hyderabda.
(Transferor)

(2) Smt. Habeebunnisa Begum, W/o Sri Hasheemuddin Farooqui, H. No. 3-1-298 at Nimblowli,
adda Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land in Survey No. 32/1 admeasuring 942.5 Sq. Yds. situated at Somajiguda, Hyderabad, registered vide Doc. No. 964/79 in the office of the Sub-Registrar Khairtabad.

K. K. VEER,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-11-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 13th November 1979

Ref. No. RAC. No. 350/79-70.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot S. No. 118/2 situated at Khairtabad, Hyderabad (and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khairtabad on March-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1822) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Y. Hemalatha Devi, 7-1-414/45 at Srinivasangar East, Hyderabad.

(Transferor)

((2) 1. Sri Challa Prasanna Kumar,
2. Sri Challa Praveenkumar,
both residing at 3-6-462/A at Hardikar Bagh, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House site 546 Sq. Yds. situated at Khairtabad in S. No. 118/2 and 118/4 Hyderabad, registered vide Doc. No. 977/79 in the office of the Sub-Registerar Khairtabad.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 13th November 1979

Ref. No. RAC. No. 351/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 6-3-907/912 situated at Somajiguda, Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Khairtabad on March-79 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

28—356GI/79.

(1) Dr. (Mrs.) B. Pinto,
149/A at Brig. Syed Road,
Secunderabad.

(Transferor)

(2) Sri Sunil S/o Hariram Sachdev,
32-Sadhana Building Gamadia Road,
Bombay-26.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land admeasuring 412 Sq. Yds. No. 6-3-907/912 situated at Raj Bhavan Road, Somajiguda, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1002/79 in the office of the Sub-Registrar Khairtabad.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-11-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 13th November 1979

Ref. No. RAC. No. 352/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovabse property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 2 S. No. 384 situated at Somajiguda, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairtabad on March-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the 'said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Duggiralal Satyavathi, and others,
R/o Penjendra, Gudivada-Tq. Krishna-Dist.
(Transferor)

(2) Smt. K. Kameswari, LC-68 at Erramanzil Colony, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot No. 2 in survey No. 384 at Somajiguda, Hyderabad, admeasuring 867 Sq. Yds., registered vide Doc. No. 1055/79 in the office of the Sub-Regisrtar Khairtabad.

K. K. VEER,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 13-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 13th November 1979

Ref. No. RAC. No. 353/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land S. No. 129 situated at Yousufguda, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khairtabad on March-79 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269-D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. P. Kamala Devi, W/o P. Ramachandra Rao, H. No. 12/2/725/23 at P. and T. Colony, Reti Bowli, Hyderabad.
(Transferor)

(2) The Sarewell Co-operative Housing Society Ltd., P. & T. Colony, Hyderabad-28.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land in survey No. 129 area 39.1/4 Guntas, situated at Yousufguda, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1065/79 in the office of the Sub-Registrar Khairtabad.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-11-1979.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 13th November 1979

Ref. No. RAC. No. 354/79-80.—Whereas, I K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. \
No. Land S. No. 129 situated at Yousufguda, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Khairtabad on March-79 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri P. Ramachandra Rao, 12-2-725/23 at P. & T. Colony, at Reti Bowli, Hyderabad.
(Transferor)

(2) The Sarewell Co-operative Housing Society Ltd., at P. and T. Colony, at Reit Bowli, Hyderabad-28.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land in survey No. 129 area 23-3/4 Guntas, situated at Yousufguda, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1066/79 in the office of the Sub-Registrar Khairtabad.

K. K. VEER
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 13-11-1979.

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 13th November 1979

Ref. No. RAC. No. 355/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land S. No. 129 situated at Yousufguda, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairtabad on March-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri P. Venkateshwara Rao, H. No. 12/2/725/23 at P. & T. Colony, at Reti Bowli, Hyderabad.
(Transferor)

(2) The Sarewell Co-operative Housing Society Ltd., at P. and T. Colony, Reti Bowli, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land in Survey No. 129 situated at Yousufguda, Hyderabad, total area 2873.75 Sq. Yds. registered vide Doc. No. 1068/79 in the office of the Sub-Registrar Khairtabad.

K. K. VEER,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 13th November 1979

Ref. No. RAC. No. 356/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 234 situated at Guddimalkapur, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khairtabad on March-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facillitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Lakshmikusummamba, C/o B. Rangaiah, Bakaram, Hyderabad.
(Transferor)

(2) The Sarewell Co-operative Housing Society Ltd., at P. and T. Colony, Reti Bowli, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land in survey No. 234 at Guddimalkapur, total area 2.15 Acrs, registered vide Doc. No. 1070/79 in the office of the Sub-Registrar Khairtabad.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-11-1979.

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 13th November 1979

Ref. No. RAC. No. 357/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land S. 234 situated at Guddimalkapur, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairtabad on March-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. K. Sarojini Devi, W/o Venkatanarasiah, H. No. 16-11-1/5/8 at Saleemnagar Colony, Hyderabad.
(Transferor)

(2) The Sarewell Co-operative Housing Society Ltd., at P. and T. Colony, Reti Bowli, Hyderabad-28.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land in survey No. 234 in Guddimalkapur, Hyderabad, total area 1.07 Acrs., registered vide Doc. No. 716/79 in the office of the Sub-Registrar Khairtabad.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-11-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 15th November 1979

Ref .No. RAC. No. 358/79/80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land S. No. 32/1 situated at Somajiguda, Hyderabad (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transfered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Secunderabad on March-79 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Jitender Raj,
H. No. 1238 at Somajiguda,
R. B. Road, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Smt. S. Renuka Bhale Rao, W/o U. T. Bhale Rao,
H. No. C-5 at R. R. labs. quarters,
Tarnaka, Hyderabad.
(Transferee)

Objections if any, to the question of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land in survey No. 32/1 in Somajiguda, Hyderabad, admeasuring 875 Sq. Yds., registered vide Doc. No. 849/79 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 15-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 15th November 1979

Ref. No. RAC. No 359/79/80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 4 & 5A situated at Panjagutta, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad on March-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri Mohanlal Lakhotia, 6-3-927/B at Raj Bhavan Road, Somajiguda, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri Arif Mohd. Aquil Ansari, G.P.G.
Sri Mumtaz Ahmed, 6-3-666/A, Panjagutta, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 4 and 5A under M. No. 772/4 at Panjagutta, Hyderabad registered vide Doc. No. 1287/79 in the office of the Joint-Sub-Registrar Hyderabad.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 15-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 15th November 1979

Ref. No. RAC. No. 360/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. S .No. 40 to 44 situated at Gandiguda Villg. Hyderabad-West
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad-West in March-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. D.L.F. United Ltd., 21-22, at Narindra Palace Parliament Street, New Delhi. through
Sri S. C. Gupta, H. No. 2664, Churiwalan, Delhi-6.
(Transferor)

(2) M/s. Preetam Garden, partner Sri Pretam Nagpal, 16-1-484 at Saidabad, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to be undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land admeasuring 50 Acrs, 29 Guntas at Gandiguda Village, Rangareddy Dist. in survey Nos. 40, 41, 42, 43, 44, registered vide Doc. No. 536/79 in the office of the Sub-Registrar Hyderabad-East.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 15-11-1979.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 15th November 1979

Ref. No. RAC. No. 361/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 6-3-883/A/12 situated at Panjagutta, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Khairtabad in March 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri M. Raghunandha Rao, 2. M. Srinivas, H. No. 6-3-883/A/12 Panjaguttua, Colony, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. Ganshibai Kundalia W/o F. C. Kundalia, 2. Sri Ramesh Kundalia, 3. Sri Ashok Kundalia, 4. Smt. Manju R. Kundalia, W/o Ramesh Kundalia, all residing at H. No. 6-3-88/A/12/1 at Panjagutta, officers Colony, Hyderabad.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property M. No. 6-3-883/A/12 and 6-3-883/A/12/1 situated at Panjagutta, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1001/79 in the office of the Sub-Registrar Khairtabad.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 15-11-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 15th November 1979

Ref. No. RAC. No. 362/79-80.- Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 10-3-108/1 situated at E. Maredpally Secunderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Secunderabad in March-79 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri H. C. Watsn S/o David Watsa, 10-3-108/1 at East Maredpally, Secunderabad.

(Transferor)

(2) Sri Bolisetty Gopalakrishna Murthy, 1-3-166 at Rajamundaliar Street, Secunderabad.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to te undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 10-3-108/1 situated on plot No. 29 at East Maredpally Secunderabad, registered vide Doc. No. 476/79 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 15-11-1979.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 15th November 1979

Ref. No. RAC. No. 363/77-78.—Whereas, I, K. K. VEER, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 10-1-5/2 & land situated at E. Maredpally Secunderabad (and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Secunderabad in March-79 for an apparent consideration which is less than the fair marked value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri K. P. K. Nair S/o Sri P. Krishna Pillai, R/o 2 CPR-Avenue, FACT Colony, Cochin, Kerala-State.

(Transferor)

(2) Sri Rajeev Krishna Gupta, H. No. 8-2-139, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All the piece and parcel land admeasuring 340.64 Sq. Yds. plot No. 2 in S. No. 76/2 together with H. No. 10-1-5/2 at East Maredpally, Secunderabad.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 15-11-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 15th November 1979

Ref. No. RAC. No. 364/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No. Land S. No. 46, 48, 52/1 situated at Maredpally, Villg. Secunderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Secunderabad in March-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri V. Nagarajan, H. No. 163 Maredpally-West, Secunderabad.

(Transferor)

(2) Railway Employees, Co-operative House Building Society, Ltd., Represented by President Sri T. Subramaniam, (Vigilance Office, IV-th floor, Railnilayam, Secunderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land admeasuring 8.25 Acrs. situated at Mardpally village, Secunderabad, survey Nos. 46, 48, 52/1, 54/1, 55/1, 59/1, registered vide Doc. No. 513/79 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 15-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 15th November 1979

Ref. No. RAC. No. 365/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. F. Pot. 12-5-87 situated at Lallaguda Secunderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Secunderabad in March-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1951 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. S/Sri Ronald Michael De Rozario,
R/o No. 13B Chottu Teerrance, First floor
Colaba Road, Bombay.
2. Sri A. J. Chacko.
3. Mrs. Maureen Philomena Chacko,
4 Mrs. Yvonne Glassford, address S. No. 1.
(Transferor)

(2) Marquis Phillip Footman,
12-5-87 Bathkammakunta, Secunderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Eastern portion of H. No. 12-5-87 at Bathkummakunta, lallaguda, Secunderabad, 788 Sq. Yds. registered vide Doc. No. 568/78 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 15-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 15th November 1979

Ref. No. RAC. No. 366 79-80.-- Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authori.y under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. West Port 12-5-87 situated at Lallaguda, Secunderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Secunderabad in March-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Ronald Michale de-Rozario,
2. Sri A. J. Chacko,
3. Mrs. Maureen Philomena Chacko,
4. Mrs. Yuonne Glasford,
R/o 13-B, Chottu Teerrace, 1st floor Coloba Road, Bombay.

(Transferor)

(2) Sri Dudley Footman, H. No. 12-5-87 at Bathkammakunta Lallaguda, Secunderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Western portion of H. No. 12-5-87, at Bathammakunta lallaguda, Secunderabad, registered vide Doc. No. 569/79 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 15-11-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 15th November 1979

Ref. No. RAC. No. 367/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 8-2-503 situated at Jublee Hills, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khairtabad in March-79 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

30—356GI/79

(1) 1. Smt. Kusum Bharathi, W/o Dev Datt Bharathi,
2. Satish Chandra Bharati,
3. Sudhir Chandra Bharati,
all residing H. No. 8-2-503 at Jublee Hills, Hyderabad.

(Transferor)

(2) 1. Smt. Nirmala Ben, W/o Shivjee,
2. Smt. Manjula,
3. Nitin Kumar,
4. Girish Kumar,
5. Sri Neelesh Kumar,
all residing at H. No. 8-2-503 at Jublee Hills, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storied building H. No. 8-2-503 out-houses, Garages, servant and Watchman quarters, admeasuring 3358.12 Sq. Mets. situated at Jublee Hills, Hyderabad, registered vide Doc. No. 802/79 in the office of the Sub-Registrar Khairtabad.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 15-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 15th November 1979

Ref. No. RAC. No. 368/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 10-3-173, situated at Maredpally, Secunderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Secunderabad in March-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Vuppalla Venkata Lakshmi, W/o V. G. Nageswar Rao,
R/o Maredpally, Secunderabad.
(Transferor)

(2) Sri Moyiyed Mulla Taiyab Bhai Manajiwala,
R/o Krishna Colony, "Ashok Nivas", Bholakpur, Hyderabad.
(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed building M. No. 10-3-173 on plot of land plot No. 21/1A admeasuring 222.22 Sq. Yds. situated at St. John's Road, Secunderabad, registered vide Doc. No. 615/79 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 15-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 15th November 1979

Ref. No. RAC. No. 369/79-80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 3-6-135 situated at Himayatnagar, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad in March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Heel Mohini, W/o late Raj Koshal Raj, H. No. 494/22/LIGH, Sanjeevareddynagar, Hyderabad.

(Transferor)

(2) 1. S/Sri, Hanuman Prasad S/o Bhuramal,
2. Rameshchand, 3. Suresh Chand,
4. Narayani Bai, W/o Hanuman Prasad,
all residing at H. No. 3-6-129/1 at Hyderguda, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House building M. No. 3-6-135 admeasuring 885 Sq. Yds. situated at Himayatnagar, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1627/79 in he office of the Sub-Registrar Hyderabad.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 15-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD.

Hyderabad, the 16th November 1979

Ref. No. RAC. No. 370/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 38 & 39 situated at 16-2 at Saidabad, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad in March 1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Prakhakant Rao, Pratapwant, S/o late Hanumant Rao, 6-2-906 at Khairtabad, Hyderabad. (Transferor)

(2) Secretary, State Bank of Hyderabad Staff Cooperative Housing Society, Ltd., Gaddiamnaram, II-Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land in Survey No. 38 and 39 in ward No. 16-2— total area 8, Acrs. at Saidabad, Hyderabad, registered vide Doc. No. 927/79 in the office of the Sub-Registrar Azampura.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 16-11-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD.

Hyderabad, the 16th November 1979

Ref. No. RAC. No. 371/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 4-1-938/R-15 to 17 Tilak Road, situated at Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Hyderabad in March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri Krishna Construction Co., 5-8-612 at Abid Road, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Mrs. Farhana Yousufuddin, 6-3-1119/A at Begumpet, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to te undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Premises No. 4-1-938/R-15 to 17 on 3rd floor of Krishna Complex Building situated at Tilak Road, Hyderabad, admeasuring 1157 Sq. ft. registered vide Doc. No. 1835/79 in the office of the Sub-Registrar Hyderabad.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 16-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 16th November 1979

Ref. No. RAC. No. 372/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 4-1-938/R-12 to 14 Tilak Road, Hyderabad,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transefrred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Hyderabad on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Sree Krishna Construction Co., 5-8-612 at Abid Road, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri V. Vishweswara Rao, H. No. 1-1-404/A at Bakaram, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Hall No. 4-1-938/R-12 to 14 on 3rd floor of Krishna Complex Building at Tilak Road, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1518/79 in the office of the Sub-Registrar Hyderabad.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 16-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD.

Hyderabad, the 17th November 1979

Ref No. RAC. No. 373/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 4-1-938/R-19 & 20 situated at Tilak Road, Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s Sree Krishna Construction Co., 5-8-612 Abid Road, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Shri Mir Mahmood Ali Khan, H. No. 6-2-6 at Lakdikapul, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to be undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Premises Bearing M. No. 4-1-938/R-19 and R-20 on 5th floor of Krishna floor of Krishna Complex, at Tilak Road, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1519/79 in the office of the Sub-Registrar Hyderabad.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 16-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD.

Hyderabad, the 16th November 1979

Ref. No. RAC. No. 374/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 79 situated at S. P. Road, Secunderabad.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Secunderabad, on March 79,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mohd. Abdul Hadi, H.No. 196 "A" Class, New Malakpet Hyderabad.
(Transferor)

(1) Syed Yousuf, H. No. 10-4-11/7 at Masab Tank, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House on plot No. 79 area 194 Sq. Yds part of layout bearing No. 1548/112/74 at Sardar Patel Road, Secunderabad, registered vide Doc. No. 642/79 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 16-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

HYDERABAD

Hyderabad, the 16th November 1979

Ref. No. RAC. No. 375/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3-5-121 to 142, situated at Eden Garden, Hyderabad, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Hyderabad on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sahebzadi Aziza Begum, W/o Nawab Nawazish Jah Bahadur, R/o Nawazish Villa, Eden Garden, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. Mahinder Kaur, W/o Sri Sardar Karter Singh, H. No. 5-2-423 at Risala Abdullah, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land in M.No. 3-5-121 to 142 at Edengarden, King Koti Hyderabad, admeasuring 566 Sq. Yds. registered vide Doc. No. 1464/79 in the office of the Sub-Registrar Hyderabad.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 16-11-1979.

Seal

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,

HYDERABAD

Hyderabad, the 16th November 1979

Ref. No. RAC. No. 376/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Open land situated at Saidabad, Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908); in the office of the Registering Officer

at Azampura, on March 1979,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269 D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Tahazeebunnisa Begum, 16-2-867 at Saidabad, Hyderabad.

(Transferor)

(2) State Bank of Hyderabad Employees Co-operative Housing Society, Ltd, at TAB-57 at Malakpet-Unit Gunfoundry, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land admeasuring 2229 Sq. Yds situated at Saidabad, Hyderabad, registered vide Doc. No. 655/79 in the office of the Sub-Registrar Azampura.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 16-11-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,

HYDERABAD

Hyderabad, the 16th November 1979

Ref. No. RAC. No. 377/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Open land at situated at Saidabad, Hyderabad,
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Azampura, on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Tahzeebunnisa Begum, H. No. 16-2-867 at Saidabad, Hyderabad.

(Transferor)

(2) State Bank of Hyderabad Employees Co-operative Housing Society, Ltd., Malakpet-Unit at TAB-57 Gunfoundry, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land admeasuring 2771 Sq. Yds situated at Saidabad, Hyderabad, registered vide Doc. No. 654/79 in the office of the Sub-Registrar Azampura.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 16-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

HYDERABAD

Hyderabad, the 16th November 1979

Ref. No. RAC. No. 378/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 15-9-297/1 and situated at 15-9-299 Afzalgunj, Hyderabad. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on March 1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) :

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Zaibunnisa Begum,
2. Mohd. Dilawar Shariff,
3. Mohd. Yousuf Shariff,
4. Mohd. Khaja Shariff,
5. Mrs. Dilawar Begum,
6. Khairunnisa Begum,
7. Noorunnisa Begum,
all residing at H. No. 15-9-297/1 Afzalgunj, Hyderabad.

(Transferors)

(2) Syed Yosuf, and Syed Ibrahim,
H. No. 17-8-343 at Chowni Nade Ali Baig, Yaqutpura, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. 15-9-297/1 and its Malgi No. 15-9-299 (Ist and ground floor) at Afzalgunj, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1828/79 in the office of the Sub-Registrar Hyderabad.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 16-11-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 16th November 1979

Ref. No. RAC. No. 379/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Shop No. 1 on situated at Sagarview Building, Hyderabad,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Hyderabad on March 1979,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Narbada Bai,
2. Sri Mukundlal Pitti,
3. Sri Laxminivas Pitti, all at H.No. 4-1-10 at Tilak Road, Hyderabad.
(Transferors)

(2) Sri Mohd. Aleem Khan, H. No. 8-7-685 at Darugalli, Nizamabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 1 on ground floor of "Sagar View Building" at 1-2-524/3 Domalguda, Hyderabad, admeasuring 231 Sq. Ft. registered vide Doc. No. 1798/79 in the office of the Sub-Registrar Hyderabad.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commssioner of Income-tax.
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 16-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

HYDERABAD

Hyderabad, the 17th November 1979

Ref. No. RAC. No. 380/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1-10-47/1 situated at Ashoknagar, Hyderabad,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Hyderabad on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri D. Venkat Rao, S/o Sri Sita Ramaiah, G.P.A. Smt. D. Seshirekha, W/o Sri Sita Ramaiah, H. No. 4-1-920 at Tilak Road, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Dr. B. Narsimaha Reddy, S/o G. Galreddy, C/o Dr. P. Raghuram Reddy, 5-8-50/2 at Nampally, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of House No. 1-10-47/1 at Ashoknagar Hyderabad, Ist floor 1620 Sq. Ft. registered vide Doc. No. 1759/79 in the office of the Sub-Registrar Hyderabad.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range.
Hyderabad.

Date : 17-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 17th November 1979

Ref. No. RAC. No. 381/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
3-6-158, situated at Himayatnagar, Hyderabad,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of property as aforesaid exceeds the apparent
consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following Persons, namely :—

(1) Smt. Indira Bai, W/o late Raja Dilaramgiri, R/o Puran Bagh, at Toli Chowli, Hyderabad. (8-2-681 at Road. No. 12 Banjara Hills, Hyderabad).

(Transferor)

(2) Dr. Syed Jaweed Muneer s/o Syed Muneer Ahmed H. No. 318/B at Mallepally, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion, No. I bearing M. No. 3-6-168 at Hyderguda, Himayatngar Hyderabad, registered vide Doc. No. 1631/79 in the office of the Sub-Registrar, Hyderabad.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 17-11-1979.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 17th November 1979

Ref. No. RAC. No. 382/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Port. 3 in 3-6-158 situated at Hyderguda, Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Hyderabad on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Indira Bai, late Raja Dilaramgiriji, H. No. 8-2-681/A at Road No. 12 Banjara Hills, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Dr. Syed Majid Muneer,
H. No. 318/B at Mallepally, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion No. 3 of M.H. No. 3-6-158 situated at Hyderguda, Himayatnagar, Hyderabad, admeasuring 208.00 Sq. Yds registered vide Document No. 1632/79 in the office of the Sub-Registrar Hyderabad.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 17-1 1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 17th November 1979

Ref. No. RAC. No. 383/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 6-8-129 to 137 situated at Hanumkonda, Chowrashtha, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Warangal, on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in resect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. S/Sri N. Shantha Iyengar w/o Dr. N. C. Iyengar
2. Dr. N. Ranga Raj,
3. N. Ramprasad,
4. N. Dwarakanath,
5. Smt. Jaya Lakshmi Promod,
6. Smt. Tara Satyan,
7. Smt. Rama Balaji, R/o Jainagar Bangalore,

(Transferor)

(2) S/Sri Yada Narayana, R/o Pinnawari Street, Warangal.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

M. No. 6-8-134 situated at Chowrasta, Hanamkonda, Warangal, registered vide Doc. No. 620/79-registered in the office of the Sub-Registrar Warangal.

K. K. VEER,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 17-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 17th November 1979

Ref. No. RAC. No. 384/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 6-8-135 situated at Hanamkonda, Warangal, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Warangal, on March 1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. S/Sri N. Shantha Iyengar, W/o Dr. N. C. Iyengar,
2. Dr. N. Ranga Raj,
3. N. Ramprasad,
4. N. Dwarakanath,
5. Smt. Jaya Lakshmi Promod,
6. Smt. Tara Satyana,
7. Smt. Rama Balaji W/o Balaji 367—Second Block—Uainagar, Bangalore.

(Transferor)

(2) Smt. Mandapalli Padma, W/o M. Kistaiah, H. No. 1-8-157 at Head Post Office Hanamkonda, Warangal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Malgi No. 6-8-135 at Chowrastha, Hanamkonda, Warangal, registered vide Doc. No. 621/79 in the office of the Sub-Registrar Warangal.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 17-11-1979.
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 17th November 1979

Ref. No. RAC. No. 385/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Malgi No. 6-8-136 situated at Hanamkonda, Warangal. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Warangal, on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. S/Sri N. Shantha Iyengar, s/o Dr. N. C. Iyengar,
2. Dr. N. Ranga Raj,
3. N. Ram Prasad,
4. N. Dwarakanath,
5. Smt. Jaya Lakshmi Promod,
6. Smt. Tara Satyan,
7. Smt. Rama Balaji,
H. No. 367 Second block, Jainagar, Bangalore.

(Transferor)

(2) Sri Nasaruddin, S/o Karmali Musali, R/o Girmajipet, Warangal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Malgi No. 6-8-136, situated at Hanamkonda, Warrangal, registered vide Doc. No. 622/79 in the office of the Sub-Registrar, Warangal.

K. K. VEER
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 17-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

HYDERABAD

Hyderabad, the 17th November 1979

Ref. No. RAC. No. 386/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Malgi No. 6-8-137 situated at Hanamkonda, Warangal, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Warangal, on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 296C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. S/Sri N. Shantha Iyengar, W/o Dr. N. C. Iyengar, R/o Tarnaka, Hyderabad,
2. Dr. N. Ranga Raj,
3. N. Ramprasad,
4. N. Dwarakanath,
5. Smt. Jaya Lakshmi Promod, W/o Dr. Promod, Hihari,
6. Smt. Tara Satyana,
7. Smt. Rama Balaji W/o Balaji, R/o Jainagar, Bangalore.

(Transferor)

(2) Sri S. Seetha Ramulu, S/o Kantaiah, R/o Zafargadha-Warangal Tq, Warangal Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

Malgi No. 6-8-137 at Chowrasta, Hanamkonda, Warangal, registered vide Doc. No. 623/79 in the office of the Sub-Registrar Warangal.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad

Date : 17-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT.

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 17th November 1979

Ref. No. RAC. No. 387/79-80.—Whereas I, K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 6-8-130, 131, 132, 133, Hanamkonda, Warangal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at Warangal, on March 1979,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. S/Sri N. Shantha Iyengar, W/o Dr. N. C. Iyengar, R/o Tarnaka, Hyderabad,
2. Dr. N. Ranga Raj,
3. N. Ramprasad,
4. N. Dwarakanath,
5. Smt. Jaya Lakshmi Promod,
6. Smt. Tara Satyan, W/o late N. Satyan,
7. Smt. Rama Balaji W/o Balaji,

(Transferor)

(2) 1. S/Sri Gunda Sivakumar (Minor) G.P.A. Father Sri Linga Murthy,
2. Srikumar (Minor),
3. G. Sravana Kumar, (Minor)
4. G. Uma Maheshwar,
5. K. Jitender Kumar, all residing at 12/635, to 640 at S.V.N. Road, Warangal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House and Malgies, M. No. 6-8-130, 131, 132, 133, situated at Chowrasta, Hanamokonda, Warangal, registered vide Doc. No. 624/79 in the office of the Sub-Registrar Warangal.

K. K. VEER,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 17-11-1979.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD.

Hyderabad, the 17th November 1979

Ref. No. RAC. No. 388/79/80.—Whereas, I, K. K. VEER, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 6-8-129, 137 situated at Hanamkonda Warangal,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Warangal, on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. S/Sri N. Shantha Iyengar,
2. Dr. N. Ranga Raj,
3. N. Ramprasad,
4. N. Dwarakanath,
5. Smt. Jaya Lakshmi,
6. Smt. Tara Satyana,
7. Smt. Rama Balaji R/o Bangalore.

(Transferor)

(2) S/Sri Rayabarapu Prakashm, R/o Old Beat Bazar, Warangal,
2. R. Vidyasagar,
3. R. Sudharshanam, all residing at Old beat Bazar, Warangal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House and Malgs. M. No. 6-8-129 and 137 situated at Hanamkonda, Warangal, registered vide Doc. No. 625/79 in the office of the Sub-Registrar, Warangal.

K. K. VEER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 17-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD.

Hyderabad, the 17th November 1979

Ref. No. RAC. No. 389/79-90.—Whereas I. K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 2 in situated at 8-2-696/697 Banjara Hills, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khairtabad, on Match 1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri O. P. Vasudev, S/o late Pt. Amirchand, No. 1 at Katol Road, Nagpur.

(Transferor)

(2) Mrs. Surinder Kaur Kohli, W/o Amarjit Singh Khili, 2. Mrs. Gurjit Kaur Kohli W/o Jagmohan Singh, Kohli, R/o 3-6-131/1 at Hyderguda, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land 1196 Sq. Yds. bearing Plot No. 2 in the compound of H. No. 8-2-696/697 situated at Road No. 12 Banjara Hills, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1784/79 in the office of the Khairtabad.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad

Date : 17-11-1979.

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD.

Hyderabad, the 17th November 1979

Ref. No. RAC. No. 390/79-80.—Whereas I. K. K. VEER, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- No. 7-12 situated at Laxpetipet Mancheryal,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Mancheryal on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri J. N. Upender Rao,
2. J. Nareshkumar, both H. No. 1-2-412/8 at Gaganmahal Colony Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri N. Kantaiah, S/o Jegiah, 7-12- Laxsettypet Karcemnagar-Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House M. No. 7-12- situated at Laxettipet, Kareemnagar-Dist., registered vide Doc. No. 239/79 in the office of the Sub-Registrar Mancheryal.

K. K. VEER
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad.

Date : 17-11-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 29th October 1979

Ref. No. AP-1964.—Whereas, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule
situated at Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on March, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mela Singh,
Sahota Building, Civil Lines, Jullundur.
(Transferors)

(2) M/s. Apex Industries, No. 54,
Dada Colony, Industrial Area, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above,
[Person in occupation of the property].

(4) Any other person interested in the property,
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chaper XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 8645 of March, 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 29-10-79
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 2nd November 1979

Ref. No. AP-1966.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
No. As per Schedule
situated at Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on March, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Satnam Singh, Harjit Singh and Mohan Singh S/o Labh Singh, Ravidas Nagar, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Gurdial Singh s/o Shri Hazara Singh, Smt. Jasbir Kaur w/o Gurdial Singh, Village Kathar.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property].

(4) Any other person interested in the property.
[Person whsm the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 8128 of March, 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 2-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th November 1979

Ref. No. AP-1967.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at G. T. Road, Phagwara, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara on March, 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(2) Shri Gurdial Singh s/o Inder Singh, G.T. Road, Phagwara.

(Transferor)

(2) Shri Janak Raj s/o Balraj Duggal, G.T. Road, Phagwara.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property].

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 2208 of March, 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th November 1979

Ref. No. AP-1968.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. As per Schedule situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on March, 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument *of transfer with the object of :—*

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Raj Kaur w/o Shri Hira Singh, EC-139, Panj Peer, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shrimati Rajinder Kaur w/o Shri Tarlochan Singh, EF-352, Ladowali Road, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above,
[Person in occupation of the property].

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquistion of the said property *may be made in writing to the undersigned*—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 8109 of March, 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th November 1979

Ref. No. AP-1969.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- ad bearing
No As per Schedule
situated at pullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur on March, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kesar Singh s/o Shri Kaur Singh, EC-139, Panj Peer, Jullundur.

(Transferor)

(2) Smt. Raj Kaur w/o Shri Hira Singh, Panj Peer, Jullundur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property].

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 8110 of March, 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th November 1979

Ref. No AP-1970.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule
situated at Phagwara,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara on March, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ved Parkash s/o Shri Telu Ram Singhla, G.T. Road, Phagwara.
(Transferor)

(2) Dr. Krishan Chand s/o Shri Ram Sarup Khosla, Subash Nagar, Phagwara.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property].

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of th caforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 2201 of March, 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-11-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th November 1979

Ref. No. AP-1971.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No As per Schedule
situated at Phagwara,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Phagwara on March, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Roop Chand s/o Shri Telu Ram Singla, G.T. Road, Phagwara.
(Transferor)

(2) Dr. Krishan Chand s/o Shri Ram Sarup, Subash Nagar, Phagwara.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above,
[Person in occupation of the property].

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 2219 of March, 1979 of the Registering Authority, Phagwara.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th November 1979

Ref. No. AP-1972.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No.
As per Schedule
situated at Phagwara,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara on March, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 169C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chaman Lal s/o Shri Telu Ram Singla, G.T. Road, Phagwara. (Transferor)

(2) Smt. Dr. Usha Khosla w/o Dr. Krishan Chand Khosla, Subash Nagar, Phagwara. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].

(4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 2203 of March, 1979 of the Registering Authority, Phagwara.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th November 1979

Ref. No. AP-1973 —Whereas, I, B. S. DEHIYA. being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule
situated at Phagwara,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Phagwara on March, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I, hereby initate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Roop Chand s/o Shri Telu Ram Singla, G.T. Road, Phagwara.
(Transferor)

(2) Smt. D. Usha Khosla w/o Dr. Krishan Chand Khosla, Subash Nagar, Phagwara.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 2218 of March, 1979 of the Registering Authority, Phagwara.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-11-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th November 1979

Ref. No. AP-1974.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Phagwara, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara on March, 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chaman Lal s/o Shri Telu Ram Singla, G.T. Road, Phagwara. (Transferor)

(2) Shri Ram Sarup s/o Shri Ram Nath Khosla, Subash Nagar, Phagwara. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 2220 of March, 1979 of the Registering Authority, Phagwara.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-11-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th November 1979

Ref. No. AP-1975.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing
No. As per Schedule
situated at Village Shanker
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Nakodar on March, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chanan Singh s/o Shri Attar Singh, Vill. & P.O. Shankar, Teh. Nakodar. (Transferor)

(2) Shrimati Jagdish Kaur w/o Shri Ajit Singh, Vill. & P.O. Shankar, Teh. Nakodar. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 2982 of March, 1979 of the Registering Authority, Nakodar.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 8-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th November 1979

Ref. No. AP-1976.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. As per Schedule situated at Village Jethpur Teh. Jullundur (and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on March, 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Teja Singh s/o Bachittar Singh, Vill. Jethpur Teh. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Sohan Singh, Malkiat Singh Ss/o Teja Singh, Vill. Jethpur Teh. Jullundur
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property].

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 8631 of March, 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 8-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 9th November 1979

Ref. No. AP-1977.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule
situated at Jullundur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur on March, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Joginder Singh S/o Shri Mehtab Singh, Spare Parts Wala, Model Town, Phagwara. (Transferor)

(2) Smt. Harpal Kaur w/o Shri Gurdip Singh, NM-123 Moh. Krar Khan, Jullundur. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].

(4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 8562 of March 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 9-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 9th November 1979

Ref. No. AP-1978.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule
situated at Phagwara
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara on March 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Gurdial Kaur w/o Shri Harbhajan Singh, Khera Road, Phagwara.
(Transferor)

(2) Shri Bal Krishan s/o Shri Rakhi Ram, R/o Partap Pura Teh. Phillaur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property].

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Regisferation Sale Deed No. 2199 of March, 1979 of the Registering Authority, Phagwara.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 9-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 9th November 1979

Ref. No. AP-1979.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as
the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule
situated at Phagwara,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Phagwara on March, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Hardial Singh s/o Shri Inder Singh, R/o G.T. Road, Phagwara. (Transferor)

(2) Shri Kailash Chander s/o Shri Jagan Nath, G.T. Road, Phagwara. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].

(4) Any other person interested in the property.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 2209 of March, 1979 of the Registering Authority, Phagwara.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 9-11-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 7th November 1979

Ref. No. TR/748/Acq. Agra/78-79.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per Schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Agra on 26-3-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Surendranath Bansal s/o Shri Ramesh Nath Bansal, 2. Shri Narendra Kumar Bansal s/o Shri Jamnuna Pd. Bansal, 3. Shri Surendra Kumar Bansal s/o Kailash Nath Bansal and Arvind Kumar Bansal s/o Shri Rajendra Pd. Bansal, r/o Raghunath Nagar, Mahatma Gandhi Road, Agra.

(Transferrors)

(2) M/s. Liberty Footwear Company, Mathura Road, Agra, Partner Shri Purshottam Dass Gupta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Urban Property No. 5/85 situated at Madia Katra Mausooma, Mathura Road, Agra and half portion in Shamlathi.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 7-11-1979
Seal :

FORM ITNS ....

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 7th November 1979

Ref. No. 762/Acq/Agra/78-79.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section **269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)**
(hereinafter referred to as the said Act),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per Schedule situated at as per Schedule
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Agra on 9-4-1979
for an apparent consideration which is **less than the fair market value of the aforesaid property** and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

35—356GI/79

(1) Shri Suresh Nath Bansal s/o Shri Ramesh Nath Bansal, Shri Narendra Kumar Bansal s/o Shri Jamnuna Pd. Bansal, Shri Surendra Kumar Bansal s/o Shri Kailash Nath Bansal and Arvind Kumar Bansal s/o Shri Rajendra Pd. Bansal, r/o Raghunath Nagar, Mahatma Gandhi Road, Agra.

(Transferors)

(2) M/s. Liberty Interprises Mathura Road, Agra, through Partner Shri Purshottam Dass Gupta.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Urban Property No. 5/85 situated at Madia Katra Agra and half portion in Shamlathi.

B. C. CHATURVED
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpu

Date : 7-11-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 7th November 1979

Ref. No 749/Acq/Meerut 79 80—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 2500/- and bearing No
As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Mathura on 23-3-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Suresh Chand Agarwal,
r/o Sethwara Tilakdwar, Mathura.
(Transferor)

(2) 1 Shri Ramnath Agarwal
r/o Kesarwai, Mathura,

2. Smt Sushila Devi and Subhash Chandra Agarwal
r/o Sethwara Mathura.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

One portion House No 1206 (old) and 1317 (new) situated Sethwara Tiladwar, Mathura.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date . 7 11 1979

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 27th October 1979

Ref. No. 542-A/P.N./Kairana/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Kairana on 29-5-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such trasnfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sukhveer Singh & Balram Singh s/o Shri Asharam,
Village Purmaki, Parg. Jhinjhana Hall Bahera; Parg. Jhinjhana, Teh. Kairana, Distt. Muzaffarnagar.
(Transferor)

(2) Shri Chaman Lal s/o Shri Devi Chandra & Smt. Chandra Prabha w/o Shri Chaman Lal,
Village Bahera, Parg. Jhinjhana, Teh. Kairana, Dist. Muzaffarnagar.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land $\frac{99}{1/1}$, $\frac{106}{/2}$ A 10 Kitey 7111/2 Lagan 77.35 yearly situated at Village Thithali (Dithali) Parg. Jhinjhana and two Houses at south side (Kacha construction) situated at Village Bahera, Parg. Jhinjhana, Teh. Kairana, Distt. Muzaffarnagar.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Dated : 27-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 27th October 1979

Ref. No. 205-A/P.N./Baghpat/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5 Baghpat on 2-5-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or the assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Munshi and Shri Karam Singh s/o Dataram, r/o Binauli, Parg. Barnava, Teh. Sardhana Distt. Meerut

(Transferor)

(2) Smt. Surla Devi w/o Shri Suresh Pal and M. Baheti w/o Shri Iqbal Singh, r/o Chhaprauli Teh Baghpat Distt. Meerut.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural Land situated at Village Chhaprauli Bangar Khasara No. $\frac{2749}{6/3-11}$ yearly Lagan 80.35.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 27-10-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 29th October 1979

Ref. No. 118-A/P.N./Massourie/79-80.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Massourie on 16-4-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C. of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ami Chand Sachdev,
13, Cantonement, Amritsar.

(Transferor)

(2) Shri Pritam Singh
R/o Sagar Bhawan, Kulari, Mussorie.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property (Three storeyed) situated at spring Road, Mussorie.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 29-10-1979
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979